आज़ादी का अमृत महोत्सव

ह. स. कं. क.
HSCC
एक मिनीरत्न कंपनी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी

www.hsccltd.co.in

39 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

ई–6 (ए), सेक्टर–1, नोएडा – उ.प्र.–201301

दूरभाष – 91–120–2542436–40,

फैक्स – 91–120–2542447

ईमेल – hsccltd@hsccltd.co.in

सीआईएन नंबरः U74140DL1983GOI015459

वेबसाइटः www.hsccltd.co.in

विजन, मिशन, कॉर्पोरेट मूल्य और कॉर्पोरेट गुणवत्ता नीति

विजन

"भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा के संवर्धन हेतु, अन्य अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं में अपनी मुख्य क्षमता का लाभ उठाने और अपने पेशेवर कर्मचारियों को एक उत्साहजनक एवं सक्षम कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए एक अग्रणी परामर्श कंपनी बनने की दिशा में, मूल्य वर्धित, अभिनव और एकीकृत सेवाएं प्रदान करना।"

मिशन

"भारत और विदेशों में स्वास्थ्य देखभाल और अन्य उद्देश्यों हेतु भवनों और अधोसंरचना के विकास के लिए व्यापक, अवधारणा, परियोजना नियोजन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रापण, और संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान करना।"

कॉर्पोरेट मूल्य

- ग्राहक हेतु मूल्यवर्धन पर ध्यान देना।
- संगठन के भीतर रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना,
- एक शिक्षण संगठन बनाना।
- टीम भावना हमारी सभी गतिविधियों के लिए प्रवर्तक है।

कॉर्पोरेट गुणवत्ता नीति

स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण परामर्श सेवाएं प्रदान करके नेतृत्व और ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना।

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
205 (द्वितीय तल), ईस्ट एंड प्लाजा,
प्लॉट नंबर 4, एलएससी, सेंटर–II,
वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली–110096
सीआईएन नंबरः U74140DL1983GOI015459
वेबसाइटः www.hsccltd.co.in

कॉर्पोरेट कार्यालय

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
ई–6 (ए), सेक्टर–1, नोएडा – उ.प्र. – 201301
संपर्कः 91–120–2542436–40
फैक्सः 91–120–2542447
सीआईएन नंबरः U74140DL1983GOI015459
वेबसाइटः www.hsccltd.co.in

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एंड्रोस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ए–101, जीआईए, वजीरपुर,
नई दिल्ली–110052

आतंरिक लेखाकार

मैसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
18/12 डब्ल्यूईए, आर्य समाज रोड,
करोल बाग, दिल्ली

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
2382, सेक्टर–16, पहली मंजिल
फरीदाबाद–121002

बैंकर्स

इंडियन ओवरसीज बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
एक्सिस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

विषय सूची

1.	निदेशकों की प्रोफाइल	6
2.	कार्य निष्पादन पर एक नजर	8
3.	सर्विस स्पेक्ट्रम	10
4.	अध्यक्ष का उद्बोधन	11
5.	प्रबंध निदेशक का पत्र	14
6.	सूचना	16
7.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	22
	– प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	34
	– कार्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट	38
	– अन्य अनुलग्कन	46
8.	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	69
9.	स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	71
10.	वित्तीय विवरण	87

निदेशकों की प्रोफाइल

श्री पवन कुमार गुप्ता
अध्यक्ष

श्री पवन कुमार गुप्ता ने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

वे एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एक नवरत्न सीपीएसई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं, जो एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की नियंत्रक/धारण कंपनी भी है। एनबीसीसी के सीएमडी का कार्यभार संभालने से पहले, श्री गुप्ता राइट्स लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय परियोजना) थे, जो रेल मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई है। श्री गुप्ता ने एनआईटी, कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है और आईआईटी दिल्ली से स्नातकोत्तर किया है। वे वर्ष 1986 में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में शामिल हुए, और उन्हें इंजीनियरिंग परियोजनाओं और व्यवसाय संचालन में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

श्री सुरेश चंद्र गर्ग ने 15 जनवरी 2020 से एचएससीसी में निदेशक (इंजीनियरिंग) का पदभार ग्रहण किया है। श्री सुरेश चंद्र गर्ग के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री है। श्री सुरेश चंद्र गर्ग 23 जुलाई 1990 से एचएससीसी के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्हें परियोजना योजना और प्रबंधन में लगभग 31 वर्षों का अनुभव प्राप्त है।

श्री सुरेश चंद्र गर्ग को दिनांक 01 अगस्त 2021 से प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

श्री सुरेश चंद्र गर्ग
निदेशक (इंजीनियरिंग)

सुश्री डी. थारा
सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री डी. थारा वर्ष 1995 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वे 1 जनवरी 2020 से कंपनी में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में एचएससीसी के बोर्ड में शामिल हुई हैं।

उन्हें खेड़ा शहर में 1 साल की अवधि के लिए और अहमदाबाद में 3 साल की अवधि के लिए भूमि राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन विभागों में कलेक्टर के रूप में भी कार्य करने का अनुभव है। सुश्री थारा ने लगभग 2 वर्षों तक अहमदाबाद नगर निगम में उप निगम आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है।

वह 24 जून 2016 से गुजरात औद्योगिक विकास निगम, गांधीनगर की उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थीं। उसके बाद वे 29 जुलाई 2019 को संयुक्त सचिव के रूप में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शामिल हुई।

डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
स्वतंत्र निदेशक

डॉ (श्रीमती) विनोद पंथी को 01 अगस्त 2019 से एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (एनओडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पूरा किया है। डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी के पास प्रसूति एवं स्त्री रोग और चिकित्सा के क्षेत्र में 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह वर्तमान में एक निजी चिकित्सक है।

'डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी ने एचएससीसी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को पूरा कर लिया है।

~~डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला~~
~~स्वतंत्र निदेशक~~

डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला को दिनांक 27 अप्रेल 2020 से एचएससीसी के बोर्ड में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (एनओडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए (अर्थशास्त्र), पीएचडी (प्रबंधन और अर्थशास्त्र) किया है।

उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, और राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रबंधन और अर्थमिति में पीएचडी पूरी की है। वे एक उत्कृष्ट शिक्षाविद और ख्याति प्राप्त पेशेवर रही हैं, उनके पास शिक्षण, अनुसंधान और प्रबंधन में व्यापक अनुभव है, उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर जैसे प्रमुख संस्थान में अध्यापन किया है, और प्रबंधन और इंजीनियरिंग संस्थानों में निदेशक के रूप में कार्य किया है, साथ ही ग्रामीण वित्त और ग्रामीण विकास में उनके पास व्यापक विशेषज्ञता है।

*डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला ने एचएससीसी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को पूरा कर लिया है।

डॉ. दीपक सिंह भाकर
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. दीपक सिंह भाकर, एमबीबीएस और एमडी हैं उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रबंधन में पीजी कोर्स किया है और जी.आई.एस. सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान और बायोमेडिकल डेटा विश्लेषण का भी कोर्स किया है। उनके पास विभिन्न स्तरों पर 28 से अधिक वर्षों का अनुभव है उन्होंने सीआईएमएस बिलासपुर (सीजी) में सहायक प्रोफेसर और जीएमसीएच, उदयपुर (आरएजे) में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया है। उन्होंने अधिकारी ऑन ड्यूटी (ओएसडी) सरकार के रूप में भी काम किया। वह भारत के केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री (सीजी) मेडिको लीगल अपडेट (आईएसएसएन 0971–720X) के सहायक संपादक थे।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स का आधिकारिक अंग रहे, वह जर्नल मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी (ISSN0971-1929) के मुख्य संवाददाता थे। उनके पास संपादकीय सलाहकार, पर्यावरण और नैतिक मुद्दों के जर्नल, बंगलौर की सदस्यता है। उन्होंने यूएसए, थाईलैंड, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, बोत्सवाना, रूस, जर्मनी, मलेशिया, मॉरीशस का दौरा किया।

कार्य निष्पादन पर एक नजर

दिनांक 31.03.2022 को वर्ष की समाप्ति तक एक बार फिर कम्पनी के लेखों की समीक्षा करने पर उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करते हुए कारोबार 1,36,041 लाख रूपये तथा कर पश्चात लाभ 2,517 लाख रूपये हुआ है।

कंपनी को 1983 में रु. 40 लाख की चुकता पूंजी के साथ शामिल किया गया था, और बाद में रु. 200 लाख के बोनस शेयर जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप चुकता शेयर पूंजी बढ़कर रु. 240 लाख हो गई। वित्त वर्ष 2017–18 में, कंपनी ने 25% पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के वापसी–खरीद (बायबैक) को संसाधित किया, जिसके परिणामस्वरूप चुकता शेयर पूंजी घटकर रु. 180 लाख हो गई। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कंपनी का 100% रणनीतिक विनिवेश किया गया, और इस प्रकार एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ मौजूदा 100% चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया।

एचएससीसी के उद्देश्यों और रणनीतियों को व्यापार वृद्धि के माध्यम से निवल–मूल्य को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उच्च राजस्व और मुनाफे के साथ–साथ मजबूत तथा तनाव मुक्त नकदी प्रवाह सृजित करता है। इस तरह हम कंपनी के मूल्य में वृद्धि करेंगे, और एक ही समय में एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ–साथ शेयरधारकों हेतु आकर्षक लाभांश भी बनाए रखेंगे।

हम अपने ग्राहकों को गुणवत्ता और समय सीमा दोनों को अपनाकर हेल्थकेयर क्षेत्रों में अपनी सर्वश्रेष्ठ, बेहतरीन, नवीनतम सेवाएं निरंतर प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आय	1,61,220	2,07,104	2,13,176	1,29,289	1,36,219
कर पूर्व लाभ	5,822	7,949	6,424	1,361	3,321
निवल लाभ	3,747	4,981	3,763	982	2,517
निवल मूल्य	17,203	13,870	10,978	11,774	14,361
लाभांश	1,124	2,989	2,500	589	618
समझौता ज्ञापन के अधीन कोटि निर्धारण	अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	अच्छा	अच्छा (अपेक्षित)

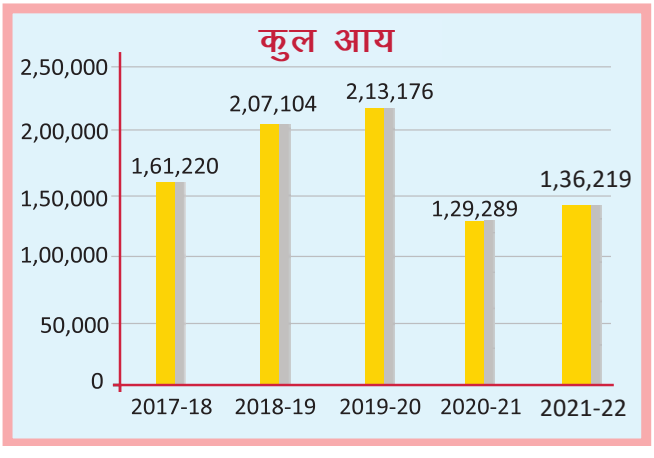

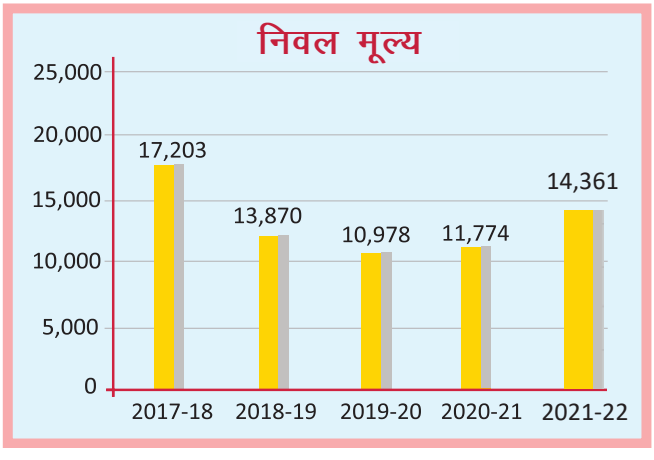

दशक के वित्तीय परिणाम पर एक नजर

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वित्तीय प्रदर्शन										
प्रदत्त पूंजी	240	240	240	240	240	180	180	180	180	180
रिजर्व और अधिशेष	10,347	11,841	13,693	17,182	19,585	17,023	13,690	10,798	11,594	14,181
निवल मूल्य	10,587	12,081	13,933	17,422	19,825	17,203	13,870	10,978	11,774	14,361
शुद्ध नियत संपत्तियां	685	693	649	635	699	688	7,496	7,366	7,223	7,098
कार्यशील पूंजी*	10,200	12,053	14,165	17,519	24,083	17,188	3,339	(-) 3,779	1,684	5,997
नियोजित पूंजी	10,587	12,081	13,933	17,422	19,825	17,203	13,870	10,978	11,774	14,361
ऑपरेटिंग सांख्यिकी										
परामर्श शुल्क**	3,380	3,919	49,004	1,02,180	1,51,116	1,51,311	2,04,946	2,12,509	1,29,060	1,36,041
ब्याज और अन्य आय	2,455	2,126	8,572	8,518	10,809	9,910	2,158	667	229	177
कुल आय	5,835	6,045	57,576	1,10,698	1,61,925	1,61,220	2,07,104	2,13,176	1,29,289	1,38,903#
व्यय	2,203	2,287	53,782	1,01,948	1,56,236	1,55,320	1,99,111	2,06,590	1,27,780	1,35,442
कुल लाभ	3,632	3,758	3,863	8,750	5,689	5,900	7,993	6,586	1,509	3,461
मूल्यह्रास	32	44	69	63	73	78	44	162	148	140
कर देने से पूर्व लाभ	3,600	3,714	3,794	8,687	5,616	5,822	7,949	6,424	1,361	3,321
कराधान के लिए प्रावधान	1,343	1,316	1,341	3,225	1,855	2,075	2,968	2,661	379	804
कर अदायगी के बाद लाभ	2,257	2,398	2,454	5,462	3,761	3,747	4,981	3,763	982	2,517
लाभांश	468	492	492	1,638	1,128	1,124	2,989	2,500	589	618
जनशक्ति										
कर्मचारी (संख्या में)	123	143	153	162	176	184	177	187	183	179
(नियमित वेतनमान पर)										
अनुपात										
पीबीटी / कुल आय (%)	62%	61%	7%	8%	3%	4%	4%	3%	1%	2%
शुद्ध लाभ / कुल आय (%)	39%	40%	4%	5%	2%	2%	2%	2%	1%	2%
निवल लाभ / निवल मूल्य (%)	21%	20%	17%	31%	19%	22%	36%	34%	8%	18%
प्रति कर्मचारी कुल आय	47	42	376	683	920	876	1,248	1140	706	776
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹)	940	999	1,022.5	2,276	1,567	2,081	2,767	2,090	546	1,398
प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)	4,411	5,034	5,805	7,259	8,260	9,555	7,705	6,099	6,541	7,978

*वित्त वर्ष 2021–22 का वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया है। पुनः मापन, पुनः वर्गीकरण और आवश्यक आंकड़ों के पुनः समूहीकरण के कारण मूल्य में भिन्नता है।

**2021–22 के लिए परामर्श शुल्क में रु. 1,29,612.60 लाख के कार्य का मूल्य और रु. 6,248.46 लाख का परामर्श शुल्क शामिल है।

#कुल आय में रु. की असाधारण मद शामिल है। 2684.55 लाख

सर्विस स्पेक्ट्रम

वैचारिक अध्ययन और प्रबंधन

परामर्श

- आधारभूत सर्वेक्षण और आर्थिक अध्ययन
- महामारी विज्ञान सर्वेक्षण
- सिस्टम प्लानिंग
- व्यवहार्यता अध्ययन
- पुनर्गठन / पुनर्निर्माण अध्ययन
- मूल्यांकन अध्ययन

प्रापण

- ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स
- चिकित्सकीय संसाधन
- अन्य उपकरण
- संचार प्रणाली
- उपकरण
- फर्नीचर और फिक्स्चर

परियोजना प्रबंधन

- परियोजना नियोजन जिसमें ठेकेदारों का चयन और कार्य का सौंपा जाना शामिल है
- परियोजना निगरानी
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- अनुबंध प्रशासन
- वित्तीय नियंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी

- स्वास्थ्य एमआईएस
- प्रणाली एकीकरण

सुविधा डिजाइन

- वैचारिक डिजाइन
- बेसिक डिजाइन
- वास्तुकला डिजाइन / योजनाएं
- इंजीनियरिंग डिजाइन
- उपकरण योजना
- कचरे का प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

इंजीनियरिंग अध्ययन

- नवीनीकरण / पुनर्वास
- आधुनिकीकरण / उन्नयन
- एक्सपेंशन
- उत्पादकता / दक्षता में सुधार

लॉजिस्टिक्स और इंस्टॉलेशन

- परिवहन
- समाशोधन और अग्रेषण
- साइट डिलीवरी
- इंस्टालेशन
- परिक्षण एवं कमीशनिंग
- प्रशिक्षण

नए क्षेत्र (विविधीकरण)

- इंजीनियरिंग और सुविधाओं का रखरखाव
- पशु वैक्सीन विनिर्माण सुविधाएं
- फार्मास्युटिकल विनिर्माण सुविधाएं
- प्रवासी चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण
- जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का विकास
- न्यू डेवलपमेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में परियोजनाएं

पवन कुमार गुप्ता
अध्यक्ष

अध्यक्ष की विज्ञप्ति

प्रिय शेयरधारकों

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में इस कंपनी का चूंकि यह तीसरा पूर्ण वित्तीय वर्ष है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन तीन वर्षों के दौरान मूल कंपनी, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के सहक्रियात्मक सहयोग और मार्गदर्शन से, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की संगठनात्मक संस्कृति में एक आदर्श परिवर्तन लाया गया, जिसके कारण व्यवस्थित सुधार हुआ है। एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को ज्ञान साझा करने और एनबीसीसी की विशेषज्ञता और निष्पादन विधियों पर ध्यान देकर, एनबीसीसी की संगठनात्मक ताकत का लाभ उठाते हुए, एचएससीसी अन्य बुनियादी ढांचे के कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम करने की योजना बना रहा है।

कार्य अवलोकन

सबसे पहले मैं वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन और वित्तीय प्रदर्शन के प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाल रहा हूं। एचएससीसी मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 महामारी के निरंतर प्रभाव के बावजूद, 2021–22 के दौरान एचएससीसी ने लाभ कमाया। 2018–19 में एनबीसीसी द्वारा कार्यभार संभालने के बाद से, कर पश्चात लाभ (च्ज।) वित्त वर्ष 2018–19 में 49.81 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2019–20 में 37.63 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2020–21 में 9.82 करोड़। वित्त वर्ष 2021–22 में 25.17 करोड़, कंपनी की स्थापना के बाद से सकारात्मक निवल मूल्य है।

एचएससीसी पिछले 37 साल से लाभांश का भुगतान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्त वर्ष 2018–19 में लाभांश 29.89 करोड़ रुपये भुगतान किए गए। वित्त वर्ष 2019–20 में 25.00 करोड़ और वित्त वर्ष 2020–21 में 5.89 करोड़ रुपये। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 55.55 रुपये प्रति प्रदत्त इक्विटी शेयर प्रत्येक 100 रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 288 रुपये का अंतिम लाभांश प्रस्तावित है।

इस वर्ष के दौरान, एचएससीसी ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है जैसे नागपुर और कल्याणी में एम्स, सिलीगुड़ी और शिमला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, संगरूर में पीजीआईएमईआर सैटेलाइट सेंटर, एलएचएमसी, नई दिल्ली,

में दुर्घटना और आपातकालीन ब्लॉक, विभिन्न स्थानों पर विश्राम सदन परियोजनाएं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की और मॉरीशस में कैंसर अस्पताल ।

एचएससीसी एक पै 9001रू2015 प्रमाणित कंपनी है और इसका हेल्थकेयर–सेक्टर में लगभग चार दशक का समृद्ध और विविध अनुभव है। एचएससीसी विशेष स्वास्थ्य देखभाल और संबद्ध परियोजनाओं को लागू करने में अग्रणी है।

इन वर्षों में, एचएससीसी ने स्वास्थ्य सेवा परामर्श में एक विशेष स्थान बनाया है। इसकी व्यापक विशेषज्ञता में स्वास्थ्य सेवा संस्थान जैसे अस्पताल और मेडिकल कॉलेज योजना, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण के साथ–साथ चिकित्सा उपकरणों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल हैं। एचएससीसी एंड–टू–एंड मल्टी–डिसिप्लिनरी सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम हैरू एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सिविल, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, आईटी, बायो–मेडिकल और सहायक क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यवहार्यता अध्ययन और निविदा दस्तावेज से खरीद और परियोजना प्रबंधन तक।

व्यापार के अवसर और परियोजनाएं

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायीयों की बढ़ती भागीदारी के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तेजी से प्रतिस्पर्धी बन गया है। इससे कीमतों में गिरावट का दबाव बन रहा है और मूल्य निर्धारण पर असर पड़ रहा है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवा में उभरते अवसर कहीं अधिक बड़े हैं। देश में अस्पतालों, बिस्तरों, डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं और प्रतिभाओं की संख्या में कमी है। देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सरकार बड़े पैमाने पर इस अंतर को पाटने के लिए, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए, प्रतिबद्ध है। इसमें नई सुविधाओं के निर्माण के साथ–साथ देश भर में मौजूदा अस्पतालों का पुनर्विकास और उन्नयन शामिल है। स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र की मांग में भी नए सिरे से उछाल देखा जा रहा है क्योंकि अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक मैदान में उतर रहे हैं। एक और खुला अवसर विदेशी देशों में ` ।त्ब क्षेत्र में है, वे भी स्वास्थ्य सेवा में भी भारी वृद्धि की ओर देख रहे हैं। एचएससीसी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवा परामर्श प्रदान करने में अग्रणी है और इस विकास के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए तैयार है वही निकटतम भविष्य में इन परियोजनाओं का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य है।

इस वर्ष के दौरान प्रमुख चालू घरेलू परियोजनाएं एम्स मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश, एम्स राजकोट, गुजरात, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र, राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज, एनआईजीआरआईएचएमएस–शिलांग, मेघालय में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली में छात्रावास ब्लॉक, आरआईआईएमएस–इंफाल, मणिपुर में विभिन्न अतिरिक्त सुविधाएं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही प्रमुख परियोजनाएं फ्लैक, मॉरीशस में शिक्षण अस्पताल का निर्माण और मॉरीशस में विभिन्न स्थानों पर मेडी–क्लिनिक परियोजनाएं हैं।

अग्रावलोकन

देश के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा देने पर सरकार के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ एचएससीसी स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में विकास और विस्तार की ओर अग्रसर के लिए तैयार है।

इस वर्ष के दौरान, एचएससीसी ने नई परियोजनाएं हासिल की हैं, जैसे पंजाब सरकार के लिए नए मेडिकल कॉलेज (2 पद) की स्थापना, चुरी, राजस्थान में मौजूदा मेडिकल कॉलेज का उन्नयन, एम्स–नई दिल्ली, आरआईआईएमएस –इम्फाल और एनईआईजीआरएचआईएमएस –शिलांग, प्रत्येक में 150 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक, मॉरीशस में 4 एरिया हेल्थ सेंटर का निर्माण, एनसीडीसी, नई दिल्ली में बीएसएल –3 लैब, एलएचएमसी, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरणों की, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, नई दिल्ली और मॉरीशस सरकार के लिए कैंसर उपकरणों की खरीद।

एचएससीसी को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग 1600 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। आज, एचएससीसी के पास विविध क्षेत्रों और स्थानों में परियोजनाएं हैं और 4500 करोड़ रुपये से अधिक की एक मजबूत और स्वस्थ ऑर्डर बुक है।

शासन और जनता

आपकी कंपनी ने अपने दायरे में आने वाले डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों का अनुपालन किया है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट देख सकते हैं जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि इस वर्ष के दौरान, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (ब्।ळ) ने वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के वार्षिक खातों पर शून्य टिप्पणियां की हैं। एचएससीसी ने हमेशा कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों में विश्वास किया है और उसी का पालन करता है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कर्मचारियों के कौशल के उन्नयन में सराहनीय प्रगति की है।

एचएससीसी ने निरंतर प्रगति और निरंतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक अनुभवी नेतृत्व टीम द्वारा निर्देशित कार्यबल को प्रतिबद्ध और समर्पित किया है।

मैं विभिन्न राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों, मॉरीशस सरकार के अधिकारियों, बोर्ड के सदस्यों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अन्य संगठनों और नियामक निकायों को एचएससीसी को दिए गए उनके निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा और धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में सभी शेयरधारकों को लाभान्वित करने के लिए कंपनी के निरंतर विकास, विस्तार और समृद्धि के लिए हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास निश्चित रूप से होगा।

हमारी सभी एजेंसियों और विक्रेता भागीदारों, जिनकी मदद के बिना कंपनी परियोजनाओं के शानदार निष्पादन को पूरा करने में सक्षम नहीं होती, और सबसे महत्वपूर्ण, एचएससीसी के प्रत्येक कर्मचारी को उनकी प्रतिबद्धता और अथक प्रयास के लिए, मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं अपने सभी शेयरधारकों, और बैंकरों को एचएससीसी में उनके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का आश्वासन देता हूं।

आपका
(ह/–)
(पवन कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष
डीआईएन नं. 07698337

सुरेश चंद्र गर्ग
प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार/
निदेशक (इंजीनियरिंग)

प्रबंध निदेशक का पत्र

प्रिय अंशधारकों,

एचएससीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से, मुझे आपकी कम्पनी की 39वीं वार्षिक आम–सभा बैठक (एजीएम) में आप सभी का स्वागत करते हुये बेहद खुशी हो रही है। आज इस अवसर पर आपके आगमन तथा वर्ष के दौरान कम्पनी को आपके अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन के लिये मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ।

उपलब्धियों की समीक्षा

जैसा कि आपने वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट में देखा होगा, जब कोविड–19 महामारी और अत्यंत चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक संदर्भ की पृष्ठभूमि के खिलाफ इसे देखा जाता है तो कार्यप्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। मुझे शेयरधारकों के सामने यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल आय पिछले वर्ष के रु. 1,414.24 करोड़ (पुनर्कथन) की तुलना में रु. 1,362.18 करोड़ हो गई है। कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 6,374.70 लाख़ (पुनर्कथन) की तुलना में रु. 64.28 करोड़ का परामर्श शुल्क अर्जित किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 63.75 करोड़ (पुनर्कथन) की तुलना में रु. 33.21 करोड़ का कर–पूर्व लाभ अर्जित किया है। आपके सहयोग से हमारी कंपनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

लाभांश

मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने रु. 100/– प्रति प्रदत्त इक्विटी शेयर प्रत्येक हेतु वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान रु. 55.55/– (लगभग) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है (अर्थात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 55.55%), जिसकी कुल राशि रु. 1,00,00,000/– है, और रु. 100/– प्रति प्रदत्त इक्विटी शेयर का रु. 288 का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है (अर्थात प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 288%), जो शेयरधारकों के लिए कुल राशि रु. 5.18 करोड़ अनुमोदन के लिए है। यह लगातार 37वां साल है जब कंपनी ने लाभांश की घोषणा की है।

मिनी रत्न स्थिति

31 दिसंबर 2015 से एचएससीसी ने मिनी रत्न श्रेणी ५ के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा हासिल कर लिया है।

समझौता ज्ञापन

शीर्ष प्रबंधन लगातार लागत नियंत्रण, संसाधनों और सिस्टम सुधार के अधिकतम उपयोग करके रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से कारोबार में निरंतर वृद्धि के साथ–साथ कर–पूर्व लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयास कर रहा है। कम्पनी ने वर्ष 2020–21 के लिए

समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत ''अच्छा'' का दर्जा हासिल किया है। इसके अलावा, परिणामों के आधार पर वर्ष 2021–22 के दौरान, कम्पनी के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मूल्यांकन के अनुसार ''अच्छा'' रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

चूँकि कम्पनी की समस्त गतिविधियाँ स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के क्षेत्रों से जुड़ी हैं अतः अपनी सभी गतिविधियों और कार्यों में परोक्ष रूप से सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पित है। वर्ष 2021–22 के दौरान एचएससीसी ने वास्तव में कुल रु. 105.11 लाख का योगदान दिया है और कोविड–19 के लिए प्रधान मंत्री केयर्स फंड में योगदान हेतु रु. 14.64 लाख का प्रावधान किया है।

वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कुल सीएसआर देयता रु. 110.17 लाख रही, जिसमें से रु. 10.11 लाख, सीएसआरआईसीडीएस शाखा, जिला पंचायत नर्मदा (राजपीपला) आकांक्षी जिले के तहत "गंभीर तीव्र कुपोषण और गर्भवती महिला वाले बच्चों के लिए मोरिंगा पाउडर के उपयोग" के लिए और पीएम केयर फंड में 95 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। शेष 5.06 लाख रु की राशि वित्त वर्ष 2021–22 और 1.82 लाख रुपये की राशि वित्त वर्ष 2020–21 में पुनर्कथन के कारण वित्त वर्ष 2022–23 में खर्च किया जाना है।

विश्व–व्यापी कारोबार

आपकी कंपनी सार्क देशों के समूह में विदेश मंत्रालय के माध्यम से और स्वास्थ्य और गुणवत्ता जीवन मंत्रालय, मॉरीशस सरकार के माध्यम से विदेशों में भी व्यापारिक अवसरों को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।

वृद्धि पर दृष्टि

भारत और ओवरसीज देशों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में मूल्य–वर्धित, अभिनव और एकीकृत सेवाएँ प्रदान करने वाली विभिन्न सेवाएँ, अन्य बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं में अपनी कोर क्षमता का लाभ एवं अपने पेशेवर कर्मचारियों को एक बल–वर्द्धक और सक्रिय काम करने का माहौल पैदा करके परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने वाली एक अग्रणी कम्पनी के रूप में जाना जाये।

कम्पनी को विश्व स्तर के परामर्शी संगठन के रूप में विकसित होने के लिए अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवश्यकता को मान्यता देना।

निगमित प्रशासन

कम्पनी के समस्त प्रदर्शन में व्यापार के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के क्रम में अपने व्यवहार में पारदर्शिता और देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, जैसेः देख–रेख, पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता, जवाबदेही तथा उचित प्रकटीकरण के पहलू।

अभिस्वीकृति

अंत में, निदेशक मंडल की ओर से और व्यक्तिगत तौर पर, मैं हमारी मूल कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सभी हितधारकों द्वारा कंपनी को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए सभी का निष्ठापूर्वक धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सभी सम्मानीय शेयर–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका बहुमूल्य समर्थन, मार्ग–दर्शन एवं सहयोग हमें निरन्तर मिलता रहा है और जो सदैव हमारे शक्ति–स्रोत रहे हैं।

मैं कम्पनी के मूल्यवान ग्राहक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़ सरकार, मॉरीशस सरकार, पंजाब तथा हरियाणा सरकार, केरल सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा उनके निरन्तर समर्थन और विश्वास के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। कम्पनी का ध्यान हमेशा की तरह ग्राहकों की संतुष्टि पर केंद्रित रहेगा।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी उनके मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उनके सभी स्तरों पर कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और निरन्तर प्रयासों के लिये सराहना करता हूँ। मुझे दिए गए आपके सहयोग और समर्थन के बदले में, मैं आपकी कंपनी को नई और शानदार ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करता हूँ।

आपको धन्यवाद,

ह/–
(सुरेश चंद्र गर्ग)
प्रबंध निदेशकए अतिरिक्त प्रभार/निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएन संख्याः 03555957

टिप्पणी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सभी सदस्यों को एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि **39वीं वार्षिक सामान्य बैठक** का आयोजन **मंगलवार, दिनांक 27 सितंबर, 2022 को 12:30 बजे** भारतीय मानक समय ("आईएसटी") के अनुसार **एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली** में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओवीएएम) की सुविधा द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए की जाएगी:

सामान्य कार्यवाही:

1. दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी की वित्तीय लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों, तथा इस संबंध में निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करना और अपनाना।
2. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रु. 1,00,00,000/– प्रत्येक राशि कंपनी द्वारा भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश के भुगतान पर ध्यान देने के लिए 55.55 रुपये (लगभग) के प्रदत्त रु. 100/– प्रति इक्विटी शेयर।
3. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु रु. 100/– प्रति चुकता इक्विटी शेयरों में रु. 288 का अंतिम लाभांश घोषित करना।
4. वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक(कों) का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय

5. **कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. दीपक सिंग भाकर (डीआईएन 08568480) की नियुक्ति को नियमित करने के लिए और एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधनों के साथ या बिना पारित करने पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए:**

   "संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, डॉ. दीपक सिंह भाकर (डीआईएन 08568480) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ–1703432ध्2021–पीएस (ई संख्या 9115900) दिनांक 15 नवंबर, 2021 को समय–समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।' उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख या अगले आदेश तक, भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों पर की जाएगी।"

आदेशानुसार, निदेशक मंडल
कृते **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड**

ह/–
सोनिया सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस–24442

स्थान: नोएडा
दिनांक: 16.09.2022

टिप्पणियाँ

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुसार बैठक में की जाने वाली विशेष कार्यवाही से संबंधित विवरण एतद् संलग्न है।
2. एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य को अपनी ओर से मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी या प्रॉक्सी को नियुक्त करने का अधिकार है। एक प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी को प्रभावी बनाने के लिए, कंपनी को बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (प्रॉक्सी का फॉर्म संलग्न है) प्राप्त होना चाहिए।
3. उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और बैठक स्थल का रूट मैप इसके साथ संलग्न है।
4. चूंकि सदस्यों को वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, बैठक के दौरान किसी भी समाधान के लिए यदि मतदान आवश्यक है तो सदस्य ॅ्ब्ब्छक्.।ण्ब्व पर पंजीकृत मेल आईडी से ईमेल भेजकर अपना वोट भेज सकते हैं।
5. कोविड की स्थिति को देखते हुए सदस्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05/05/2022, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05.05.2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02ध्2021 दिनांक 13.01.2021, सामान्य परिपत्र संख्या 19/2001 दिनांक 08.12.2021 और 21/2021 दिनांक 14.12.2021 और इन परिपत्रों के अनुसार एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनका ई–मेल पता कंपनी में पंजीकृत है।

   हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, निगमित निकाय, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने और सहभागी होने के लिए तथा ई–वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने हेतु अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं।
6. लाभांश के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि 21 सितंबर, 2022 है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन सदस्यों को 26 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा, जिनके सदस्यों का नाम कंपनी के रजिस्टर में 21 सितंबर, 2022 है।
7. चूंकि कंपनी वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान कर रही है, इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।
8. जब किसी संकल्प के लिए बैठक के दौरान मतदान करना आवश्यक हो, तो सदस्य www.hsccindia.co.in पर अपनी पंजीकृत मेल आईडी से ईमेल भेजकर अपना वोट दे सकते हैं।
9. निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश 288 रुपये प्रति पेड अप इक्विटी शेयर प्रत्येक के लिए 100/- रुपये की सिफारिश की गई है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
10. वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।
11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार संलग्न नोटिस और विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में सुबह 11:00 बजे से 05:00 बजे अपराह्न एजीएम से पहले (शनिवार और रविवार को छोड़कर) के बीच निरीक्षण के लिए खुले हैं। ।
12. एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है और उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में या कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाना है। यह प्रस्ताव है कि सदस्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा विधिवत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के लागू करों के अतिरिक्त पारिश्रमिक और वास्तविक यात्रा और जेब खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत कर सकते हैं।
13. बैठक में वार्षिक खातों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले cs_hscc@hsccltd.co.in पद पर अनुरोध भेजकर कंपनी को सूचित करें।
14. भौतिक प्रति के अलावा, नोटिस की सॉफ्ट कॉपी भी शेयरधारकों को परिचालित की जाएगी।

15. लाभांश वितरण पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) पर संचारः जैसा कि आप जानते होंगे कि दिनांक 01.04.2015 से 1 अप्रैल 2020, लाभांश की घोषणा पर घरेलू कंपनियों द्वारा देय आयकर अधिनियम, 1961 (''आईटी अधिनियम'') की धारा 115–ओ के तहत लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन और वित्त अधिनियम, 2020 के तहत लाए गए कुछ परिणामी संशोधनों के अनुसार, कंपनी 1 अप्रैल को या उसके बाद वितरित लाभांश से आईटी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर (''टीडीएस'') काटने के लिए बाध्य होगी।

16. नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा सूचना का भाग है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण।

मद संख्या 5

15 नवंबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या O-17034/32/2021-PSS (E No. 9115900) के अनुसरण में, डॉ. दीपक सिंह भाकर को 15 नवंबर, 2021 से एक अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तीन साल से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख या अगले आदेश तक।

डॉ. दीपक सिंह भाकर को एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (एनओडी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

डॉ. दीपक सिंह भाकर, एमबीबीएस और एमडी हैं। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रबंधन में पीजी कोर्स किया है और जी. आई.एस. सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान और बायोमेडिकल डेटा विश्लेषण में। उन्हें विभिन्न स्तरों पर 28 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने CIMS बिलासपुर (सीजी) में सहायक प्रोफेसर और GMCH, उदयपुर (RAJ)., में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया है। उन्होंने ड्यूटी पर अधिकारी (ओएसडी) भारत सरकार के केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री (सीजी) के रूप में भी काम किया।

वह मेडिको लीगल अपडेट (आईएसएसएन 0971–720X) के सहायक संपादक थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स का आधिकारिक अंग। वह जर्नल मेडिसिन एंड टक्सिकोलॉजी (ISSN0971-1929) के मुख्य संवाददाता थे। उनके पास संपादकीय सलाहकार, पर्यावरण और नैतिक मुद्दों के जर्नल, बंगलौर की सदस्यता है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, बोत्सवाना, रूस, जर्मनी, मलेशिया, मॉरीशस आदि का दौरा किया।

डॉ. दीपक सिंह भाकर का विवरण नोटिस के ''अनुलग्नक–क'' में दिया गया है डॉ. दीपक सिंह भाकर ने इस आशय का एक घोषणा पत्र दिया है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है। (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014।

डॉ. दीपक सिंह भाकर को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं। बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित विशेष संकल्प की सराहना करता है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. भौतिक बैठक आयोजित करने के अलावा, कंपनी नीचे दिए गए लिंक पर वीसी/ओवीएएम के माध्यम से सदस्यों को एजीएम में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान कर रही है:

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a582ec4fece214b988d6ae722223e40e9%40thread.tacv2/1663571366051?context=%7b%22Tid%22%3a%22e5b04c44-bc23-415f-8591-633eb11e4253%22%2c%22Oid%22%3a%22d77c61c9-07fa-4098-bb67-e80e6380010a%22%7d

   बैठक का उपरोक्त लिंक भी सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर अलग से और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एजीएम की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले भेजा जाएगा।

2. बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक खुली रखी जाएगी और निर्धारित समय के बाद 15 मिनट की समाप्ति पर बंद कर दी जाएगी.

3. जिन सदस्यों को वार्षिक आम बैठक से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे कंपनी सचिव, एचएससीसी से cs_hscc@hsccltd.co.in पद पर संपर्क कर सकते हैं।

आदेशानुसार, निदेशक मंडल
कृते **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड**

ह/–
सोनिया सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस–24442

स्थान: नोएडा
दिनांक: 16.09.2022

नियुक्ति हेतु निदेशकों का संक्षिप्त विवरण / 39वीं वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति

नाम	डॉ. दीपक सिंह भाकर
जन्म तिथि / आयु	21.09.1966 (56 वर्ष)
योग्यता	एमबीबीएस और एमडी
मंडल में पहली नियुक्ति की तिथि	15/11/2021
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में अनुभव / विशेषज्ञता	डॉ. दीपक सिंह भाकर, एमबीबीएस और एमडी हैं उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रबंधन में पीजी कोर्स किया है और जी.आई.एस. सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान और बायोमेडिकल डेटा विश्लेषण का भी कोर्स किया है। उनके पास विभिन्न स्तरों पर 28 से अधिक वर्षों का अनुभव है उन्होंने सीआईएमएस बिलासपुर (सीजी) में सहायक प्रोफेसर और जीएमसीएच, उदयपुर (आरएजे) में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया है। उन्होंने अधिकारी ऑन ड्यूटी (ओएसडी) सरकार के रूप में भी काम किया। वह भारत के केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री (छ.ग.) मेडिको लीगल अपडेट (ISSN 0971-720X) के सहायक संपादक थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स का आधिकारिक अंग रहे, वह जर्नल मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी (ISSN0971-1929) के मुख्य संवाददाता थे। उनके पास संपादकीय सलाहकार, पर्यावरण और नैतिक मुद्दों के जर्नल, बंगलौर की सदस्यता है। उन्होंने यूएसए, थाईलैंड, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, बोत्सवाना, रूस, जर्मनी, मलेशिया, मॉरीशस का दौरा किया।
नियुक्ति के नियम और शर्तें/पुनर्नियुक्ति	भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार।
एचएससीसी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध	शून्य
अन्य कंपनियों में निदेशक पद'	मोइल लिमिटेड
अन्य कंपनियों की समितियों की सदस्यताध्अध्यक्षता '	शून्य

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की 39वीं वार्षिक आम बैठक का रूट मैप मंगलवार 27 सितंबर, 2022 को एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 में आयोजित किया जाएगा।

रूट मैप

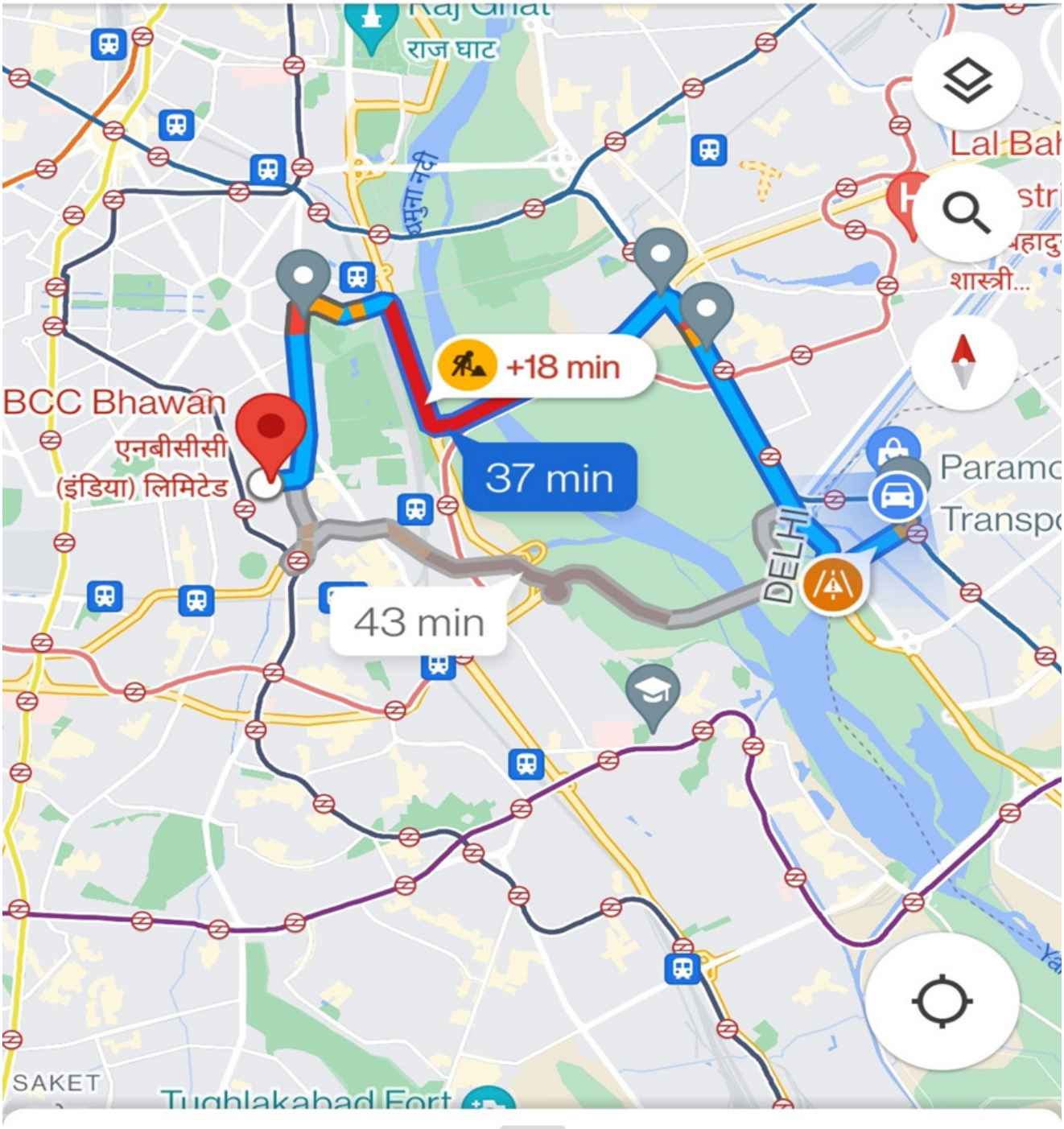

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपकी कंपनी के निदेशकों को प्रसन्नता है कि एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के कारोबार और संचालन पर 39वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों पर टिप्पणियों के साथ आपको प्रस्तुत की जा रही है, जो कि इस प्रकार है:

वित्तीय विशिष्टताएँ

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की वित्तीय विशिष्टताओं के साथ–साथ भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वर्ष 2020–21 के तुलनात्मक आंकड़ों को नीचे दर्शाया गया है: (रुपये करोड़ में)

विवरण	2021-22*	2020-21*
कुल आय	1362.19	1414.24
कुल व्यय	1355.82	1395.46
विशिष्ट एवं असाधारण मदों से पूर्व लाभ	6.37	18.78
विशिष्ट एवं असाधारण मदें	26.85	-
कर पूर्व लाभ	33.21	18.78
कर व्यय (निवल)	8.04	5.09
कर पश्चात लाभ	25.18	13.68
प्रदत्त लाभांश	4.89	2.00
निवल मूल्य	143.61	123.65
प्रति शेयर आय (रुपये में)	1398.64	760.11

*पुनः स्थापित आंकड़े

पूंजीगत संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 5.00 करोड़ है। पूरे वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 1.80 करोड़ थी।

लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 55.55 (लगभग) प्रति प्रदत्त इक्विटी शेयर रु. 100/– प्रत्येक (अर्थात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 55.55%) की राशि रु. 03 नवंबर, 2021 की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 1,00,00,000/– रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इसके अलावा, कंपनी ने 288/– रुपये प्रति प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 100/– रु. प्रत्येक (अर्थात 288%) अंतिम लाभांश का भी प्रस्ताव किया है। कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 518.44 लाख (लगभग) का भुगतान किया जाना है।

मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से निधि

मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से निधियां निम्नानुसार हैं:

मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
विवरण	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में
नकद एवं नकद समकक्ष	265.63	305.54
अन्य बैंक शेष (सावधि और फ्लेक्सी जमा)	2484.49	2702.56

आरक्षित निधि

कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सामान्य आरक्षित निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

निष्पादन विशेषताएँ

आपकी कंपनी ने परिचालन के क्षेत्र में भौगोलिक और वित्तीय रूप से विस्तार करने का सिलसिला जारी रखा है। संचालन के क्षेत्रों में विस्तार, नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। कंपनी की विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन में उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञों और सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी को विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और चिकित्सा उपकरणों की खरीद आदि के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने का कार्य प्रदान किया गया था।

वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक कुल रु. 1360.41 करोड़ का कारोबार और 143.61 करोड़ की निवल संपत्ति हासिल की है।

प्रमुख जारी परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक–क में दी गई है।

समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी को वर्ष 2020–21 के लिए "अच्छा" रेटिंग प्रदान किया गया है और परिणामों के आधार पर वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी को "अच्छा" रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, होल्डिंग कंपनी यानी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ कंपनी के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन के आधार पर मापदंडों को अंतिम रूप दिया है। वित्तीय प्रदर्शन के मामले में, एचएससीसी ने रु. 136065.89 (लाख) संचालन से राजस्व और भौतिक मानकों में उपलब्धि नीचे दी गई है:–

- क्षमता उपयोग–निर्मित क्षेत्र 5.56 मिलियन वर्ग फुट है।
- विदेशों से राजस्व रु. 7.33 करोड़
- वर्ष के दौरान सुरक्षित नया व्यवसाय रु. 1566 करोड़

भारतीय लेखांकन मानक

कंपनी ने निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का पालन किया है, जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को अपनाने हेतु अधिसूचित किया गया है।

आईएसओ प्रमाणन

आपकी कंपनी सिविल निर्माण परियोजना के निर्माण, खरीद और प्रबंधन में आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

आपकी कंपनी ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक है, और प्राकृतिक प्रकाश, सौर प्रकाश और एलईडी संस्थापनों के अधिकतम उपयोग का पक्षपोषण करके, अपने ग्राहकों के परामर्श से इस पहलू का ध्यान रखा जाता है। आपकी कंपनी ने किसी भी तकनीक का आयात नहीं किया है, और समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन या व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क. व्यय		
• यात्रा	शून्य	0.02
• सी.आई.एफ.+आधार पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात (ग्राहकों की ओर से)	29.37	7.64
ख. मॉरीशस परियोजना शुल्क	7.33	3.05

कल्याणकारी गतिविधियां

आपकी कंपनी कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रेरित करने के लिए समारोह आयोजित करना, विभिन्न अवसरों का जश्न मनाना और सामाजिक लाभ प्रदान करना जारी रखती है।

मानव संसाधन

एचएससीसी कौशल प्राप्त कम्पनी है तथा जनशक्ति ही इसकी वास्तविक ताकत है किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होता है। कंपनी, सक्षम पेशेवरों का दल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए, कंपनी ने अपने मानव संसाधनों के विकास पर फोकस किया है। सभी स्तरों के कर्मचारियों को अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया था कि उनके ज्ञान और कौशल का निरंतर उन्नयन किया जाए। 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी के पास 64 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों और शारीरिक विकलांग श्रेणी के 3 कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान पर 178 कर्मचारी और निर्धारित कार्यकाल आधार पर 96 कर्मचारी हैं। वर्षभर कर्मचारी प्रबंधन संबंध उत्कृष्ट रहा। 31 मार्च 2022 की स्थिति तक एनबीसीसी के विभिन्न व्यवस्थाओं के 03 कर्मचारी एचएससीसी में उपनियुक्ति आधार पर कार्यरत थे।

कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कंपनी अपनी मानव पूंजी की भूमिका की सदैव सराहना करती है। वर्ष 2021–22 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की श्रेणीवार भर्ती की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	समूह	सामान्य	ओबीसी	अनु.जाति/अनु. जनजाति				कुल
				अनु. जाति	%(अनु. जाति)	अनु. जनजाति	%(अनु. जनजाति)	
1.	समूह "क"	00	00	00	00	00	00	00
2.	समूह "ख"	08	01	00	00	00	00	00
3.	समूह "ग"	00	00	00	00	00	00	00
कुल		**08**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**09**

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों को भरने के लिए समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों को कंपनी द्वारा सही भावना के अनुरूप कार्यान्वित किए गए हैं।

वेतनमान पर कर्मचारी	178 (बोर्ड स्तर से नीचे)
स्थायी कार्यकाल वाले कर्मचारियों की संख्या	91

कंपनी में महिला कर्मचारियों की कार्य स्थिति – श्रेणीवार और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / वीएच / पीएच समूह के अनुसार।

(i) कंपनी में महिला कर्मचारियों की कार्य स्थिति – श्रेणीवार

क्र.सं.	पदों की श्रेणी (समूह)	महिला कर्मचारियों की संख्या
1.	समूह "क"	06
2.	समूह "ख"	10
3.	समूह "ग"	01
4.	समूह "घ"	00
	कुल	**17**

(ii) समूहवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/वीएच/पीएच कुल संख्या :

क्र.सं.	पदों की श्रेणी (समूह)	कर्मचारियों की संख्या						
		कुल कर्मचारी	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	वीएच	एचएच	पीएच (ओपीएच)
1.	समूह "क"	80	12	01	12	00	0	00
2.	समूह "ख"	90	10	02	22	00	0	01
3.	समूह "ग"	08	03	00	01	00	0	02
	कुल	**178**	**25**	**03**	**35**	**00**	**0**	**03**

31 मार्च 2022 के अनुसार श्रम शक्ति स्थिति

श्रेणी	इंजीनियर्स (सी. ई.एम.आईटी)	इंजीनियर्स (बीएमई–फार्मा–आर्क–डी'मैन)	वित्त (एफएंडए–इको–सीएस)	एचआरएम (कानूनी)	अन्य	कुल
क	58	08	10	04	00	80
ख	66	08	08	04	04	90
ग	00	00	00	00	08	08
कुल	**124**	**16**	**18**	**08**	**12**	**178**

राजभाषा का अनुपालन एवं कार्यान्वयन

कंपनी ने सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करना जारी रखा। वर्ष 2021–22 के दौरान कार्यालय में हिंदी राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में राजभाषा अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों में भारत का। कर्मचारियों को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी मानक प्रपत्र, फाइलें, आदि द्विभाषी हैं। हिंदी में पत्राचार, नोटिंग और प्रारूपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सभी हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जा रहा है। हिंदी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कंपनी ने 13 सितंबर, 2021 से 26 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया, जिसके दौरान राजभाषा ज्ञान पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा, कंपनी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नोएडा की सदस्य भी है और विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठकों, सेमिनारों आदि में भी प्रतिनिधित्व करती है।

सतर्कता

श्री एस.एस.पोपली कंपनी के सतर्कता अधिकारी (वीओ) हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता प्रकोष्ठ ने प्रबंधन के एक प्रभावी हिस्से के रूप में कार्य किया है। निजी विदेश यात्राओं, सीटीई प्रत्युत्तर संबंधित एजेंसियों को समय पर प्रस्तुत किए गए थे। समय–समय पर प्राप्त सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन किया गया और निरोधक और निवारक उपाय के रूप में पालन किया गया, और जाँच को ठीक से और त्वरित तौर पर संबोधित किया गया। भावी सुधारों के लिए मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई और कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 26/10/21 से 01/11/2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और आपकी कंपनी के कर्मचारियों के उच्च नैतिक मानक को बनाए रखने के लिए कंपनी ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया, जिसके तहत कंपनी के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।

जमा

31 मार्च 2022 को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया, और कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था।

ऋण, गारंटी और निवेश

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कोई ऋण, गारंटी और निवेश प्रदान नहीं किया है।

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ:

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं हैं। हालांकि, अब कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कंपनी के 100: शेयर प्राप्त करने पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा प्रकट किया जाता है। कंपनी नियमावली, 1975 के सह–पठित, (समय–समय पर संशोधित), कम्पनी के कर्मचारियों में से काई भी प्रतिवर्ष 102 लाख रूपये या 8.50 लाख रूपये प्रतिमाह के पारिश्रमिक प्राप्ति से अधिक नहीं था।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी की स्वयं की जोखिम प्रबंधन नीति है जो प्रमुख जोखिमों और अनिश्चितताओं का प्रबंधन और निगरानी करती है, तथा जो कंपनी के कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली इसके व्यवसाय की प्रकृति और इसके संचालन के आकार एवं जटिलताओं के अनुरूप है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।

लेखा परीक्षा समिति

आपकी कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आपकी कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल या श्रमिक अशांति के कारण किसी कार्य–दिवस की कोई हानि नहीं हुई है।

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (एमबीए) तथा कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी में कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं, पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर केंद्रित है। त्रैमासिक रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित प्रारूप में हैं, तथा कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता रहा है। लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार, "प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" और "कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट", क्रमशः अनुलग्नक I और II में रखे गए हैं।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 ने भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। कंपनी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए उपयुक्त तंत्र मौजूद है। वर्ष 2021–22 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 73 आवेदन प्राप्त हुए, तथा उन पर आरटीआई अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पार्टियों के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन / की गई प्रविष्टियाँ, व्यवसाय के सामान्य कार्यप्रणाली में, और निष्पक्ष स्वहित लेन–देन के आधार पर थे। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न एमजीटी–9 में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में संदर्भित संबंधित पार्टी अनुबंध फॉर्म एओसी–2 में है, तथा इसे अनुबंध–ppp के रूप में संलग्न किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

वर्षों के दौरान, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कुल सीएसआर देयता 110.17 लाख रु.। जिसमें से 10.11 लाख रु., सीएसआरआईसीडीएस शाखा, जिला पंचायत नर्मदा (राजपीपला) आकांक्षी जिले के तहत ''गंभीर तीव्र कुपोषण और गर्भवती महिला वाले बच्चों के लिए मोरिंगा पाउडर के उपयोग'' के लिए और पीएम केयर फंड में 95 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। शेष राशि रु 5.06 लाख, वित्त वर्ष 2021–22 और 1.82 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2020–21 में पुनर्कथन के कारण वित्त वर्ष 2022–23 में खर्च किया जाना है।

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के अनुरूप एक सीएसआर नीति है, जिसे कंपनी की वेबसाइट

www.hsccltd.co.in पर देखा जा सकता है, और यह अनुबंध–IV पर इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों और नीतियों का अनुपालन

डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों और नीतियों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाता है।

आईटी प्रभाग

- कॉर्पोरेट कार्यालय में इंटरनेट कनेक्शन संस्थापित किया गया है।
- कॉरपोरेट कार्यालय के विभिन्न विभाग लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) और वाई–फाई के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
- ई–निविदा का उपयोग।

एमएसएमई कार्यान्वयन

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई), और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करने की दिशा में एचएससीसी हमेशा प्रयासशील रहा है। एचएससीसी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित एमएसएमई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद हेतु भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों सहित कई प्रयास किए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों

(एमएसएमई) की निविदा में भाग लेने की पात्रता का उललेखे करते हुए सभी निविदाओं में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी एमएसएमई, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एमएसई हेतु सार्वजनिक प्रापण नीति में अनिवार्य है।

निदेशक मण्डल के बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक बोर्ड की पांच (5) बार बैठक हुई और कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की निर्धारित समय सीमा के भीतर बोर्ड की बैठक आयोजित करने के नियम का अनुपालन किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बोर्ड समितियाँ

क. लेखापरीक्षा समिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के पास बोर्ड स्तर पर लेखापरीक्षा समिति है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 और 7, और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार कार्य कर रही है। 31 मार्च 2021 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में श्रीमती (डॉ.) विनोद पंथी, अध्यक्ष के रूप में और सुश्री डी. थारा डॉ. और (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला, समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं।

ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

31 मार्च 2021 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अध्यक्ष के रूप में डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, और डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला, सुश्री डी थारा तथा श्री सुरेश चंद्र गर्ग समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं।

ग. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में सीएसआर समिति का गठन किया है। 31 मार्च 2022 के अनुसार सीएसआर समिति में सुश्री डी. थारा अध्यक्ष के रूप में, और डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी और श्री सुरेश चंद्र गर्ग समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं।

निदेशक मंडल/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

निदेशकों की नियुक्ति आदि पर नीतिः एचएससीसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) के प्रावधान, भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 की राजपत्र अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकनः एचएससीसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान, भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की राजपत्र अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं।

नियुक्ति/समाप्ति आदि

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित नियुक्ति/समाप्ति हुई

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	विवरण	दिनांक
1.	श्री ज्ञानेश पांडे	प्रबंध–निदेशक	नियुक्ति	26/07/2012
			समापन	30/07/2021
2.	श्री एम.सी. बंसल	सीएफ़ओ	नियुक्ति	07/08/2019
			समापन	31/08/2021
3.	श्री सौरभ श्रीवास्तव	सीएफ़ओ	नियुक्ति	01/09/2021
			समापन	-
4.	डॉ. दीपक सिंह भाकर	निदेशक	नियुक्ति	15/11/2021
			समापन	-

चूंकि कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, निदेशकों की सभी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, जब और जहां आवश्यक हो, स्वतंत्रता की घोषणा की थी।

निदेशकों की जवाबदेही का बयान

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक एतद निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

- 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू भारतीय लेखांकन मानकों, जिसे अधिनियम की अनुसूची–III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पढ़ा गया है, का अनुपालन किया गया है, और इससे कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार कार्यान्वित किया है तथा निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च 2022 को एवं उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के मामलों की स्थिति और कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए, और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले वित्तीय नियंत्रणों के लिए आंतरिक निर्धारित किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है, और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

निदेशकों का प्रशिक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशकों के प्रशिक्षण पर कंपनी की अपनी नीति है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

आतंरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें रु. 99,999/– के शुल्क एवं जीएसटी के साथ–साथ परिवहन एवं कर, जैसा भी लागू हो।

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एंड्रोस एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में वित्त वर्ष 2021–22 हेतु नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित देय शुल्क की राशि रु. 13,20,000/– (केवल तेरह लाख बीस हजार रुपये) एवं कर है, जैसा भी लागू हो।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी का साचिविय लेखापरीक्षा करने हेतु अभ्यासकर्ता कंपनी सचिव मेसर्स पी सी जैन एंड कंपनी को नियुक्त किया है। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक–V में दी गई है।

लागत लेखा परीक्षा

जैसा कि कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्धारित किया गया है, लागत लेखांकन रिकॉर्ड आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत पूरक लेखापरीक्षा करने के बाद, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी दी है, जो अनुलग्नक–V के रूप में एतद संलग्न है। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों को इस रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में शामिल किया जाएगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण

कंपनी ने बोर्ड की बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति तैयार करने एक प्रस्ताव अनुमोदनार्थ रखा है।

हालाँकि, वर्ष 2021–22 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के तहत प्रदान किए गए फॉर्म नंबर एमजीटी–9 में वार्षिक विवरणी का सार अनुबंध–VI के रूप में वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

सामान्य

निदेशक एतद्द्वारा उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं किया गया है:

1. ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं किया, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद हुआ हो, और जिससे यह वित्तीय विवरण संबंधित और इस रिपोर्ट की तारीख के अनुसार हो।
2. कर्मचारियों को ईएसओएस के तहत शेयरों का कोई निर्गम/इश्यू नहीं था।
3. कंपनी अधिनियम–2013 के तहत कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
4. एक सरकारी कंपनी होने के नाते तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 के अनुसरण में कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 197 के प्रावधान एचएससीसी पर लागू नहीं हैं।
5. कंपनी समय–समय पर आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

अभिस्वीकृति

कम्पनी के निदेशक आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के आभारी हैं जिनसे निरन्तर सहायता एवं सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने कंपनी के सामर्थ्य और उसकी व्यावसायिक सक्षमता के प्रति अपना विश्वास दिखाया है।

कम्पनी के निदेशक अपने सम्मानित बैंकरों तथा अन्य संगठनों सहित व्यक्ति विशेष का आभार व्यक्त करते हैं जिन्का उन्हें निरन्तर मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है।

निदेशक मण्डल ने कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर निष्ठा–पूर्वक कार्य करने एवं कड़ी मेहनत और समर्पित भावना से कार्य करने की प्रशंसा की है जिनकी बदौलत कम्पनी श्रेष्ठ एवं निरंतर वृद्धि कर रही है।

आदेशानुसार, निदेशक मंडल
कृते एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

ह/–
सुरेश चंद्र गर्ग
(अतिरिक्त प्रभार)/निदेशक
(इंजीनियरिंग)
डीआईएनः 03555957

स्थानः नोएडा
दिनांकः 16/09/2022

अनुलग्नक–क

आज की तिथि के अनुसार जारी परामर्शी परियोजनाओं का सारांश

क. वास्तुकला योजना, डिजाइन इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन सेवाएँ।

एम्स मंगलागिरी

1. मंगलापुरी, गुंटूर में एम्स।
2. राजकोट, गुजरात में एम्स।
3. चंद्रपुर, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज।
4. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र।
5. राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर नया मेडिकल कॉलेज।
6. एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र।
7. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली में अस्पताल ब्लॉक।
8. आरआईआईएमएस, इम्फ़ाल की परियोजनाएं।
9. फ्लेक, मॉरीशस में शिक्षण अस्पताल का निर्माण
10. मॉरीशस के 4 स्थानों पर मेड क्लिनिक

पीजीआई न्यूरोसाइंस, चंडीगढ़

राजकोट, गुजरात में एम्स

थ्संबु, मॉरीशस में शिक्षण अस्पताल का निर्माण

ख. खरीद प्रबंधन सेवाएं

- सुपर स्पेशियलिटी और आपातकालीन ब्लॉक के लिए चिकित्सा उपकरण, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
- एम्स, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के लिए चिकित्सा उपकरण
- नया कैंसर अस्पताल, मॉरीशस गणराज्य के लिए चिकित्सा उपकरण
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरण
- स्पोर्ट्स इंकुइरी सेंटर, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरण

एसएसबी सिलीगुड़ी

अनुलग्नक–1

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग की संरचना एवं विकास

मार्च 1983 में स्थापित, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की सहायक कंपनी है। कम्पनी की स्थापना के बाद से अब तक कम्पनी ने अपना पूरा कारोबार बिना किसी सरकारी मदद या अन्य किसी स्रोत से किया है। सितम्बर, 1999 में एचएससीसी को '"मिनी रत्न'' कम्पनी घोषित किया गया है तथा दिसम्बर 2015 में 'मिनी रत्न–श्रेणी I कंपनी का दर्जा हासिल किया है।

एचएससीसी कम्पनी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में परामर्शदायी कार्य जैसे अस्पताल नियोजन, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रोजेक्ट प्रबंधन एवं अनुवीक्षण सहित, चिकित्सा उपकरणों का प्रापण, स्थापना एवं कमीशनिंग इत्यादि कार्य करती है।

एचएससीसी ने परियोजनाओं के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें ग्राहक की मांग के अनुरूप कम एवं लागत प्रभावी और विशेषज्ञता से ओत–प्रोत अच्छा संयोजन प्रदान करती है। एचएससीसी ने प्रमुख हेल्थ–केयर परियोजनाएं जिसमें विभिन्न अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्रयोगशालाओं इत्यादि को ना केवल भारत में अपितु विदेशों में सफलतापूर्वक पूरा किया है। कम्पनी अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंधन अध्ययन और प्रशिक्षण, भर्ती आदि गतिविधियों में विविधता पूर्वक निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

एचएससीसी वर्षों से हेल्थ–केयर के क्षेत्रों में परामर्शदायी सेवाएँ प्रदान वाले एक अग्रणी संगठन के रूप में विकसित है। वर्तमान में कम्पनी का ध्यान समूचे भारत में मौजूदा निष्पादन कार्यों पर लगा है किन्तु अभी उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने में लगी।

शक्ति:

- अस्तित्व में आने से अब तक डेबिट मुक्त एवं लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी
- भारत सरकार का समर्थन और सहायता
- एक ही छत के नीचे परामर्शदायी सेवाओं के विभिन्न आयाम
- बहुपार्श्व धन एवं अंतर्राष्ट्रीय अन्य एजेंसियों के साथ व्यापक अनुभव
- मजबूत क्षमता के साथ जटिल एवं बड़ी परियोजनाओं को संभालने का अनुभव
- परियोजनाओं की गुणवत्ता और उन्हें समय पर पूरा करने के माध्यम से संगठन प्रदर्शन
- योग्य एवं समर्पित तथा अद्भुत कार्य–शक्ति

कमजोरी:

- निजी कामगारों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है
- शाखा संघर्षण असमर्थता
- ज्यादातर कारोबार / व्यापार सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों के साथ होता है
- व्यापार के समर्थन का आश्वासन राजस्व मॉडल एक बार की बजाय परियोजनाओं के लगातार राजस्व संबंधी आवर्ती सेवाओं पर आधारित है
- विशेष विक्रेताओं / एजेंसियों की सीमित संख्या

अवसर:

- देश अस्पतालों, बिस्तरों, डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या के मामले में पिछड़ रहा है
- वर्तमान अस्पतालों का पुनर्विकास और उन्नयन
- सार्क देशों में व्यापार का विस्तार

- भवन निर्माण में इंजीनियरिंग एवं रख–रखाव सेवाओं में विविधीकरण संबंधी अन्य सेवाएं।
- बुनियादी स्वास्थ्य सेवा (सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में) आधारभूत ढ़ांचे के मांग में बढ़ोतरी करना
- अस्पतालों के लिये अवसर प्रदान करना और सरकारी अस्पताल गतिविधियों की आउटसोर्सिंग करना
- आधारभूत वास्तुकला, डिजाइन, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन का आधारभूत कार्य तथा प्रापण गतिविधियों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कौशल विकसित करना

प्रबंधनः

- व्यापारिक परियोजनाओं को उत्तर–पूर्व की ओर स्थानान्तरित करने / उनके पूरा होने, दीर्घ–कालीन धन की अनुपलब्धता के कारण कारोबार का लम्बे समय के लिये प्रसार ना हो पाना
- तेजी से निजी क्षेत्र में बढ़ते परिचालन के परिदृश्य में अनुभवी कर्मियों की उदासीनता
- एमओएच एंड एफडब्ल्यू नीति अपने पीएसयू को समर्थन देने और परामर्श सेवाओं के वैकल्पिक स्रोत के रूप में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने से हट गई है।
- बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों के साथ खंडित बाजार अत्यधिक न्यूनतम शुल्क
- बुनियादी ढ़ांचे में तेजी से आये उछाल के कारण बड़ी संख्या में अनुभव–प्राप्त कामगारों की वजह से मूलभूत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कौशल द्वारा वस्तु–विकरण बढ़ाना
- नियंत्रण से परे कारणों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना को रोकना पड़ा
- परियोजनाओं के लिए नामांकन और उनके द्वारा गैर–संबंधित विविधीकरण हेतु पीएसयू फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा, व्यापार हानि और बड़े कार्यों/परियोजनाओं की प्राप्ति में कमी का कारण बनती है।
- खरीद परियोजनाओं के लिए शुल्क में कमी, जिसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म लघु असाइनमेंट में व्यावसायिक प्रस्तावों में हानि होती है।

आउटलुकः

एचएससीसी एक बहु–आयामी अनुशासनिक विविध सेवाओं जैसे इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन से ओत–प्रोत कम्पनी है। यह कम्पनी स्वास्थ्य देख–भाल एवं अन्य सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में परामर्श प्रबंधन और प्रापण प्रबंधन सेवा के लिये प्रसिद्ध है। कम्पनी की सेवा–वर्णक्रम सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सूचना तकनीकी और चिकित्सा सेवाओं में सहायक क्षेत्रों में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, विस्तृत निविदा दस्तावेज, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, खरीद समर्थन सेवाओं को शामिल किया। इसके महत्वपूर्ण ग्राहकों में शामिल हैंः–

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उसके अस्पताल / संस्थान
- विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय
- राज्य सरकार तथा उनके अस्पताल / संस्थान
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम / अन्य संस्थान
- मॉरीशस सरकार
- कम्पनी को विश्व स्तर के परामर्शी संगठन के रूप में विकसित होने के लिए अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवश्यकता को मान्यता देनी पड़ती है।

जोखिम एवं चिंताएं

कम्पनी के प्रमुख जोखिम एवं चिंताओं में संबंधित मंत्रालय द्वारा न्यूनीकृत प्रापण समनुदेशन कार्य तथा वर्तमान परिदृश्य में सिविल कार्यों में से कुछ में लगातार कम / परामर्श शुल्क में कमी के कारण रही है।

सूचना तकनीकी संबंधित पहल

- इंटरनेट कनेक्शन कॉरपोरेट कार्यालय और इकाइयों में स्थापित किया गया है।
- कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न विभाग लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) के माध्यम से जुड़े हुये हैं।
- ई–निविदा गतिविधि।

परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

कंपनी की कुल कमाई ब्याज और अन्य आय सहित रु.1389.03 करोड़ रुपये रही और जो पिछले वर्ष के आंकड़े की तुलना में रु. 1.53 करोड़ रुपये रही। जो क्रमशः पिछले वर्ष के रु.1414.24 करोड़ रुपये (पुनर्कथन) तथा रु. 2.09 करोड़ थी। वर्ष के दौरान कंपनी का कर पूर्व लाभ रु. 33.21 करोड़ रुपये के पिछले वर्ष के आंकड़े की तुलना में रु.18.78 करोड़ (पुनर्कथन) रहा।

खण्ड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक इंड एएस–108 "सेगमेंट रिपोर्टिंग" में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर कंपनी के व्यवसाय खंडों में निर्माण गतिविधि, परामर्श, उपकरण की आपूर्ति, दवा आदि शामिल हैं। इसलिए, इसके सभी संचालन भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस–108 "सेगमेंट रिपोर्टिंग" के अर्थ के भीतर एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।

चूंकि कम्पनी की गतिविधियाँ मुख्य रूप से देश के भीतर रह कर उत्पाद/सेवाओं और उनकी प्रकृति को ध्यान में रख कर की जा रहीं हैं, अतः परिचालन जोखिम और रिटर्न वही कर रही हैं और इस तरह के रूप में वहां केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी में अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, व्यापारिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिये कम्पनी में एक आंतरिक नियंत्रण की कुशल प्रणाली व्याप्त है। कार्यात्मकता की क्षमता, कानून और नियमों के साथ निर्धारित अनुपालन नीतियां और प्रक्रियाओं का परिपालन किया जाता है।

आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा कार्य पर बल, पारदर्शिता स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये, कम्पनी आंतरिक लेखा–परीक्षा के लिये चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म को कार्य सौंपा गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को समय–समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिये प्रबंधन/मैनेजमेंट को प्रस्तुत किया जाता है।

मानव संसाधन विकास

एचएससीसी एक ज्ञान आधारित कम्पनी है, जिसकी असली ताकत उसकी जनशक्ति में निहित है। 31 मार्च 2022 तक, कंपनी के पास नियमित वेतनमान पर 178 कर्मचारियों की कार्यशक्ति थी, और निश्चित कार्यकाल के आधार पर 96 कर्मचारी थे, जिनमें 68 अजा/अजजा/अपिव श्रेणी के कर्मचारी और 3 दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारी शामिल थे। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। बदलते परिवेश की आवश्यकतानुसार, एचएससीसी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा तथा कम्पनी की कार्य कुशलता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गए, इसके अतिरिक्त कम्पनी इस दिशा में उसकी दक्षता में और बढ़ोतरी हेतु उनका विकास किया जा रहा है। कम्पनी विभिन्न सामाजिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को निरंतर अभिप्रेरित कर रही है।

आचार संहिता

कम्पनी के बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों और कम्पनी के समस्त वरिष्ठ प्रबंधन के लिये आचार संहिता निर्धारित की है। जिसे सभी संबंधित अधिकारियों तथा कार्यपालकों को ई–मेल द्वारा साथ ही हार्ड–कॉपी के माध्यम से वितरित किया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और नामित वरिष्ठ प्रबंधन ने कार्मिक आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

लोक उद्यम विभाग को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर वार्षिक रिपोर्ट को निगमित (अभि) शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति को संसूचित करते हुए इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में भिजवा दिया जाता है।

निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थिरता

वर्षों के दौरान, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कुल सीएसआर देयता रु. 110.17 लाख है। जिसमें से रु. 10.11 लाख, सीएसआरआईसीडीएस शाखा, जिला पंचायत नर्मदा (राजपीपला) आकांक्षी जिले के तहत ''गंभीर तीव्र कुपोषण और गर्भवती महिला वाले बच्चों के लिए मोरिंगा पाउडर के उपयोग'' के लिए और पीएम केयर फंड में 95 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। शेष रु 5.06 लाख राशि, वित्त वर्ष 2021–22 और 1.82 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2020–21 में पुनर्कथन के कारण वित्त वर्ष 2022–23 में खर्च किया जाना है।

सचेतक कथन

कंपनी के उद्देश्य, अनुमानों, पूर्वपेक्षाओं, अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अभिप्राय के भीतर भविष्योन्मुखी बयान हो सकते हैं, जो कंपनी के प्रबंधन के विश्वासों पर आधारित हैं। इस तरह के बयान भविष्य की घटनाओं के संबंध में कंपनी के वर्तमान विचारों को दर्शाते हैं, और इसके साथ ही ये जोखिम और अनिश्चितताओं के अधीन हैं।वास्तविक परिणाम अनुमानित किए गए भौतिक रूप से महत्वपूर्ण तौर पर भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि सामान्य आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण, उस भाग को प्रभावित करता है जिसमें कंपनी संचालित होती है। इसके अलावा, व्यापार रणनीति, ब्याज दरों, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, विदेशी मुद्रा दरों, उद्योग में प्रतिस्पर्धा, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर कानूनों, सांविधिक तथ्यों और अन्य आकस्मिक कारकों में परिवर्तन भी कंपनी के वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुलग्नक–II

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

I. कंपनी का दर्शन

एक अच्छी कॉरपोरेट अभिशासन नीति वह होती है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का नियंत्रित तरीके से संचालन व परिचालन होता है, जो प्रबंधन को पारदर्शी, नैतिक, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाता है और जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारक मूल्य में वृद्धि होती है। प्रबंधन प्रासंगिक, विशिष्ट मामलों का विस्तृत प्रकटीकरण प्रदान करता है।

II. निदेशक मंडल

1. अन्य कंपनियों में संवर्ग–श्रेणी और निदेशक के पद सहित निदेशक मंडल की संरचना।

31 मार्च 2022 की स्थिति में कंपनी के निदेशक मंडल का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	पूर्णकालिक / अंशकालिक	अन्य कंपनियों के बोर्ड के सदस्य
श्री पवन कुमार गुप्ता	अध्यक्ष	(क) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (ख) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
श्री सुरेश चंद्र गर्ग	प्रबंध निदेशक/अतिरिक्त प्रभार/निदेशक (इंजीनियरिंग)	शून्य
श्रीमती डी. थारा	सरकारी नामित निदेशक	(क) हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (ख) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ग) दिल्ली गोल्फ क्लब
डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला	स्वतंत्र निदेशक	(क) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (ख) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (ग) पेट्रोनेट एलएनजी फाउंडेशन
डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	स्वतंत्र निदेशक	शून्य
श्री दीपक सिंह भाकर	स्वतंत्र निदेशक	(क) मोइल लिमिटेड

*डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला स्वतंत्र और डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, स्वतंत्र निदेशक ने एचएससीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल क्रमशः 16 जुलाई, 2022 को पूरा कर लिया है।

बोर्ड के किसी भी निदेशक के पास दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक का पद नहीं है।

इसके अलावा, उनमें से कोई भी दस से अधिक समितियों के सदस्य नहीं है, या ऐसे सभी सार्वजनिक कंपनियों में पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वे निदेशक हैं। निदेशकों द्वारा 31 मार्च 2022 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति पदों के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं। कोई भी निदेशक एक–दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं थे।

2. कार्यकाल

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशक की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशक, पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या पदधारक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक, या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किए जाते हैं।

अंशकालिक, गैर–सरकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

3. निदेशकों का चयन

एचएससीसी एक सरकारी कंपनी है, इसके सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021.22 की स्थिति में एचएससीसी के बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशक हैं।

4. बोर्ड के सदस्यों हेतु परिचितीकरण कार्यक्रम

एचएससीसी के बोर्ड में शामिल किए गए सभी निदेशकों को कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन और कार्यकारियों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कंपनी से परिचित कराया गया। उन्हें परिचितीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर, कंपनी की आंतरिक नीतियां संबंधी सामाग्री प्रदान की गई।

इसके अलावा, निदेशकों को कंपनी के प्रति उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने के लिए, विभिन्न वैधानिक निकायों द्व ारा लागू किए गए कानूनों में विकास पर समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी के मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम से कम एक बार कार्यात्मक, सरकारी निदेशकों या प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना मिलते हैं। वे कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन करते हैं, जो बोर्ड के लिए इसके कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने हेतु आवश्यक है।

6. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

*श्री ज्ञानेश पांडे, (पूर्व प्रबंध निदेशक), श्री. सुरेश चंद्र गर्ग, प्रबंध निदेशक/निदेशक (इंजीनियरिंग) का अतिरिक्त प्रभार ''श्री. एम.सी. बंसल (पूर्व, मुख्य वित्तीय अधिकारी), '''श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, एचएससीसी और श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

* श्री ज्ञानेश पांडे 31 जुलाई, 2021 से सेवानिवृत्त हुए

**श्री एम.सी. बंसल 31/08/2021 से सीएफओ से समाप्त हो गए।

***श्री सौरभ श्रीवास्तव को 01/09/2021 से सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया।

7. बोर्ड बैठक

अप्रैल, 2021 से मार्च 2022 के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें (169 से 173वीं तक) 18 जून, 07 अगस्त, 09 अगस्त, 14 सितंबर, 03 नवंबर और 07 फरवरी, 2022 को आयोजित की गईं।

बैठकें और उपस्थिति

निदेशक का नाम	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	उपस्थित हुए	विगत वार्षिक सामान्य बैठक में हिस्सा लिया
श्री पवन कुमार गुप्ता	5	5	हाँ
*श्री ज्ञानेश पाण्डेय	1	1	हाँ
डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला	5	5	हाँ
श्रीमती डी. थारा	5	3	हाँ
डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	5	2	हाँ
श्री सुरेश चंद्र गर्ग	5	5	हाँ
श्री दीपक सिंह भाकर	1	1	लागू नहीं

*श्री ज्ञानेश पांडे 31 जुलाई, 2021 से सेवानिवृत्त हुए।

इसके अलावा, कुछ निर्णय संचलन के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके लिए गए थे और बाद में बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में नोट किए गए, पुष्टि की गई और रिकॉर्ड में लिए गए।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारीः–

8. निदेशकों का शेयरधारक पैटर्न

31 मार्च, 2022 तक 1,80,01,400 रुपये की कुल इक्विटी शेयर (1,80,014 रुपये 100 के इक्विटी शेयर) पूंजी से बाहर रखे गए शेयर।

निदेशक	एचएससीसी के शेयरों की संख्या
श्री सुरेश चंद्र गर्ग, प्रबंध निदेशक (एमडी का अतिरिक्त प्रभार) / निदेशक (इंजीनियरिंग)	6
श्री पवन कुमार गुप्ता	शून्य
डॉ. श्रीमती विनोद पंथी	शून्य
डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ल	शून्य
डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	शून्य
श्री दीपक सिंह भाकर	शून्य

एजेंडा तैयार करते समय, कंपनी अधिनियम, 2013 सहित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में एजेंडे पर टिप्पणी और बैठक के कार्यवृत्त को इसके तहत जारी नियमों के साथ पढ़ा जाता है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों को भी सुनिश्चित किया जाता है।

III. सामान्य सभा की बैठक

1. वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठक निम्नानुसार आयोजित की गईः

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2021.22	27 सितंबर, 2022	दोपहर 12:30 बज	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली
2020.21	28 सितंबर, 2021	04:00 अपराह्न	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली
2019.20	08 दिसंबर, 2020	अपराह्न 03:00 बजे	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा।

2. असाधारण सामान्य बैठक

वित्तीय वर्ष 2021.22 के दौरान कोई असाधारण सामान्य बैठक आयोजित नहीं हुई।

3. पोस्टल बैलेट/डाक मतपत्र

आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किसी भी कार्य को डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

4. निदेशक मंडल स्तर की समितियां

(क) लेखा परीक्षा समितिः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुपालन में, 09 अगस्त, 2021 को आयोजित 170वीं बोर्ड बैठक में एचएससीसी की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था और तदनुसार, समिति में अध्यक्ष के रूप में डॉ (श्रीमती) विनोद पंथी, श्रीमती डी. थारा सदस्य और डॉ. श्रीमती ज्योति किरण शुक्ल समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे।

इसके अलावा, 15 नवंबर, 2021 से एचएससीसी के बोर्ड में डॉ दीपक सिंह भाकर की नियुक्ति पर, लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था और तदनुसार, समिति में अध्यक्ष के रूप में डॉ (श्रीमती) विनोद पंथी, डॉ (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला, श्रीमती डी. थारा और डॉ. दीपक सिंह भाकर समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे।

31 मार्च, 2022 तक लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार हैः–

1. डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी–अध्यक्ष
2. सुश्री डी. थारा–सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला–सदस्य
4. डॉ. दीपक सिंह भाकर–सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों को आवश्यकता के आधार पर बैठकों में भाग लेने और भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 17 जून, 2021, 09 अगस्त, 2021 14 सितंबर, 2021, 03 नवंबर, 2021, 07 फरवरी, 2022 और 25 मार्च, 2022 को छह ऑडिट समितियों की बैठक हुई।

सदस्य का नाम	पदनाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लिए समिति की संख्या
डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	अध्यक्ष	6	5
डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला	सदस्य	6	6
श्रीमती डी. थारा	सदस्य	6	3
श्री सुरेश चंद्र गर्ग	सदस्य	2	2
डॉ. दीपक सिंह भाकर	सदस्य	-	लागू नहीं

(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितिः

एचएससीसी के बोर्ड में डॉ दीपक सिंह की नियुक्ति पर, एचएससीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया गया था और तदनुसार, समिति में श्रीमती डी. थारा को लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष और डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला, डॉ. दीपक सिंह भाकर और श्री. सुरेश चंद्र गर्ग समिति के सदस्य शामिल हैं।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना इस प्रकार हैः–

1. सुश्री डी. थारा – अध्यक्ष।
2. डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी – सदस्य।
3. डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला– सदस्य।
4. श्री दीपक सिंह भाकर– सदस्य।
5. श्री सुरेश चंद्र गर्ग – सदस्य।

कंपनी सचिव वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैठक और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकें 17 जून, 2021 और 02 फरवरी, 2022 को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की गईं: –

सदस्य का नाम	पदनाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	भाग लिए समिति की बैठकों की संख्या
डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	अध्यक्ष	2	2
डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला	सदस्य	.	लागू नहीं
सुश्री डी. थारा	सदस्य	2	2
श्री दीपक सिंह भाकर	सदस्य	.	लागू नहीं
श्री सुरेश चंद्र गर्ग	सदस्य	2	2

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआरआईसीडीएस शाखा, जिला पंचायत नर्मदा (राजपीपला) वित्तीय वर्ष 2021.22 के लिए आकांक्षात्मक जिला के तहत ''गंभीर तीव्र कुपोषण और गर्भवती महिला के बच्चों के लिए मोरिंगा पाउडर का उपयोग'' के लिए योगदान के संबंध में सीएसआर समिति ने संचलन के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया है और बोर्ड को उनके विचार और अनुमोदन के लिए सिफारिश की।

(ग) नामांकन और पारिश्रमिक समितिः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुपालन में, एचएससीसी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन 09 अगस्त, 2021 को आयोजित 170 वीं बोर्ड बैठक में किया गया था और तदनुसार, समिति में श्रीमती विनोद पंथी अध्यक्ष के रूप में और श्रीमती डी. थारा और डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं।

इसके अलावा, एचएससीसी के बोर्ड में डॉ दीपक सिंह की नियुक्ति पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार, समिति ने श्रीमती डी. थारा और डॉ. दीपक सिंह भाकर समिति के सदस्य के रूप में डॉ (श्रीमती) विनोद पंथी को अध्यक्ष और डॉ (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला के रूप में समझौता किया।

कंपनी सचिव वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव हैं।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार हैः–

1. डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी – अध्यक्ष।
2. डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ल–सदस्य
3. सुश्री डी. थारा सदस्य के रूप में – सदस्य
4. डॉ. दीपक सिंह भाकर–सदस्य

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैठक और उपस्थितिः वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

निदेशकों का पारिश्रमिक (31 मार्च, 2022 के अनुसार)

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीएमडी सहित कार्यात्मक निदेशकों को, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, और वे सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, और जैसा कि सरकार द्वारा जारी उनकी नियुक्ति/अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट किया गया होता है। कंपनी के नियमों के अनुसार प्रदर्शन से संबंधित वेतन सहित भत्ते और अनुलाभ दिए जा रहे हैं।

बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों को निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं प्रदान किया जाता है, लेकिन सरकारी अधिकारी के रूप में सरकार से उनका पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक भी कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, उन्हें केवल रु. 10,000/– प्रति बैठक और उप–समितियों के आधार पर बैठक–शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार उन्होने अप्रैल 2015 से भाग लिया था।

कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक भी कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, उन्हें केवल रुपये 10,000 का भुगतान किया जाता था। प्रति बैठक और उप–समिति (समिति) ने निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार उनके द्वारा भाग लिया। गैर–सरकारी निदेशक की 3 नवंबर, 2021 को बार्ड बैठक में रुपये 5,000 से रु. 10,0000/– शुल्क संशोधित किया गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों का पारिश्रमिक इस प्रकार है:–

क. कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

विवरण	श्री ज्ञानेश पांडे (एमडी) (01–04–2021 से 31–07–2021 तक)	श्री सुरेश चंद्र गर्ग (डब्ल्यूटीडी) (01–04–2021 से 31–03–2022 तक
सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	22,43,518	42,41,715
(ख) धारा के अधीन अनुलाभों का मूल्य	29,956	2,050
(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में प्रतिलाभ	-	-
स्टॉक विकल्प	-	-
उद्यम इक्विटी	-	-
लाभ के रूप में कमीशन	-	-
ई.पी.एफ., नियोक्ता पेंशन, अंशदान	-	-
अर्जित अवकाश और एचपीएल, छुट्टी नकदीकरण, पीआरएमबी, ग्रेच्युटी और पीआरपी हेतु प्रावधान	-	-
कुल	22,73,474	42,43,765

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

पारिश्रमिक का विवरण	डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी	डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला	डॉ. दीपक सिंह भाकर
बोर्ड की बैठक और समिति (समितियों) में भाग लेने के लिए शुल्क	80,000	80,000	30,000
कमीशन	-	-	-
अन्य	-	-	-
कुल	80,000	80,000	30,000

2 निदेशकों का कंपनी के साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध/लेनदेन नहीं है। गैर–कार्यकारी अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र) को प्रत्येक बोर्ड और उप–समिति(ओं) की बैठक के लिए क्रमशः रु. 10,000/– का बैठक शुल्क प्रदान किया जाता है।

3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशक को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

III. संचार के साधन

कंपनी अपने शेयरधारकों को अपनी वार्षिक प्रतिवेदन, आम बैठकों और वेबसाइट के द्वारा प्रकटीकरण के माध्यम से संवाद व संचार करती है।

क. वार्षिक प्रतिवेदनः वार्षिक प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ–साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट उक्त वार्षिक प्रतिवेदन का एक हिस्सा है, और कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

ख. वेबसाइटः कंपनी की वेबसाइट ूणैबबसजकण्बवण्पद एचएससीसी के प्रबंधन, विजन, मिशन, नीतियों, कॉरपोरेट अभिशासन, कॉर्पोरेट स्थिरता, निवेशकों के संबंध, अध्यतन सूचनाएँ और समाचार हेतु एक व्यापक संदर्भ प्रदान करती है।

ग. कंपनी आयोजनों और घटनाओं के आधार पर, कंपनी की वेबसाइट पर समाचार विज्ञप्ति जारी करती है।

IV. शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारीः–

a.	कंपनी पंजीकरण विवरण	CIN-U74140DL1983GOI015459
b.	39वीं वार्षिक आम बैठकः तिथि, समय और स्थान	मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 दोपहर 12:30 बजे भारतीय मानक समय (''आईएसटी'') एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में
c.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022
d.	बही समापन तिथि	21 सितंबर, 2022

V. प्रकटीकरण

1. इस अवधि के दौरान इसके निदेशकों और प्रबंधन के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी स्तर लेनदेन नहीं हुआ, जो कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित रूप में प्रतिकूल रहा हो। इसके अलावा, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।
2. निदेशकों को उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को बैठने की फीस के अलावा, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण या आर्थिक संबंध नहीं था, जो निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो।
3. विभिन्न विभागों से प्राप्त सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट, सांविधिक बकाया की स्थिति के साथ, नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
4. कंपनी बोर्ड की संरचना को छोड़कर, सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है, क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में है।
5. वर्ष के दौरान, लेखा बहियों में ऐसा कोई व्यय के नामे नहीं लिखा गया है, जो कि व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं था, और ऐसा कोई भी व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का था, तथा जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च नहीं किया गया है।
6. मेसर्स एंड्रोस एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।
7. वित्तीय वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित दर्ज किए, निपटाए गए और लंबित मामलों का विवरण कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

VI. सीईओ / सीएफ़ओ प्रमाणन

मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक–क) के साथ संलग्न किया गया है।

VII अनुपालन

कॉर्पोरेट अभिशासन के दायित्वों व शर्तों के अनुपालन के संबंध में कंपनी के लेखापरीक्षकों से अनुपालन प्रमाणपत्र, इसके साथ संलग्न है और यह रिपोर्ट का हिस्सा है।

घोषणा

मैं, सुरेश चंद्र गर्ग, (इंजीनियरिंग) / एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में, एतद्द्वारा

घोषणा करता हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी की आचार संहिता के विधिवत अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर
सुरेश चंद्र गर्ग
प्रबंध निदेशक (आई / सी)
डीआईएन 08684289

स्थानः नोएडा
दिनांकः 16 / 09 / 2022

अनुलग्नक–क

सीईओ / सीएफ़ओ प्रमाणन

सेवा में,

निदेशक मंडल,

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

नोएडा

हम, श्री सुरेश चन्द्र गर्ग (अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक / निदेशक (इंजीनियरिंग) और श्री सौरभ श्रीवास्तव मुख्य वित्तीय अधिकारी, एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि;

क. हमने, 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए और उस तारीख को वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है, और हमारे सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसारः–

(i). उक्त विवरणों में कोई महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन नहीं है, या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है, या इसमें ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(ii). उक्त विवरण एक साथ कंपनी के मामलों व कार्यों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ी हो, अवैध हो या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य कमियां नहीं पाई हैं।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित को सूचित किया हैः–

(i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2021–22 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष 2021–22 के दौरान लेखांकन नीतियों में उक्त महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका प्रकटीकरण।

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या ऐसे किसी भी कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के कोई भी उदाहरण।

ह / –
सुरेश चंद्र गर्ग
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) /
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(एचएससीसी)
डीआईएन संख्याः 08684289

ह / –
सौरभ श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी
एचएससीसी
एफसीएमए सं.: 13771

स्थानः नोएडा
दिनांकः 16.09.2022

कॉर्पोरेट अभिशासन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्य,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु कॉरपोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के 8.2.1 में यथा निर्धारित है।

2. कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। यह न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है। हमारी जांच निम्नलिखित को छोड़कर, कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाली कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी:

   (i) लेखा परीक्षा समिति की बैठक 9 अगस्त, 2021 को समिति के एक स्वतंत्र सदस्य के साथ आयोजित की गई थी जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 में निर्धारित किया गया था कि बैठक में न्यूनतम दो स्वतंत्र सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है, न ही इसकी दक्षता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का कार्यान्वयन किया है।

पी.सी. जैन एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव
(एफआरएनः P2016HR051300)

POONAM CHAND JAIN
Digitally signed by POONAM CHAND JAIN
Date: 2022.09.19 17:53:37 +05'30'

स्थानः फ़रीदाबाद
दिनांकः 19 सितंबर, 2022
यूडीआईएनः F004103D000998360

सदस्यता सं. F-4103
सीओपी सं: 3349

अनुलग्नक–III

एओसी–2

संबंधित पार्टी के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण।

1. व्यापार के सामान्य कार्यकलापों में दर्ज किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं या लेनदेन के विवरण का प्रकटीकरण, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर नहीं: **शून्य**

2. व्यापार के सामान्य कार्यकलापों में दर्ज किए गए अनुबंधों / व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में: **शून्य**

ह/–
सुरेश चंद्र गर्ग
प्रबंध निदेशक (आई/सी)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएन संख्या: 08684289

स्थान: नोएडा
दिनांक: 16.09.2022

अनुलग्नक–IV

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में संगठित (corporate) सामाजिक उत्तरदायित्व और निरंतरता (sustainability) पर नीति

पृष्ठभूमि

अगस्त 2013 में भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 को अधिनियमित किया। कंपनी अधिनियम की धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के विषय से संबंधित है। यह उन कंपनियों के लिए निवल मूल्य (net worth), टर्नओवर और शुद्ध लाभ के आधार पर योग्यता मानदंड निर्धारित करता है, जिन्हें सीएसआर गतिविधियों को करने की आवश्यकता होती है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के व्यापक तौर–तरीकों को निर्दिष्ट करता है। कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल किए जाने वाली गतिविधियों को अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम की धारा 135 और अधिनियम की अनुसूची VII के प्रावधान सीपीएसई (CPSEs) सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

समस्त लाभ कमाने वाले सीपीएसई (CPSEs) के लिए अधिनियम और सीएसआर नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को करना अनिवार्य है। सीपीएसई से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिनियम और सीएसआर नियमों में निर्धारित सीएसआर गतिविधियों पर तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करें।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सीएसआर नियम तैयार किए हैं और इसे 27 फरवरी, 2014 को जारी किया है। सीएसआर नियम सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

हाल ही में डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पर दिशानिर्देश जो 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी है, जिसका उद्देश्य सीएसआर और स्थिरता के पूरक को सुदृढ़ करना और सीपीएसई को सलाह देना है कि वे व्यापार और सीएसआर एजेंडा के संचालन में सतत विकास के बड़े उद्देश्य को न देखें।

सीएसआर नीति

एचएससीसी (HSCC) एक संबंधित कॉर्पोरेट नागरिक की तरह ही है और समुदाय के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी पहचानता है तथा समाज के कमज़ोर और हाशिए पर मौजूद वर्गों की बेहतरी के लिए काम करने में यकीन करता है।

एचएससीसी सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए व्यवसाय के राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

विजन

उस इलाके या गतिविधियों के क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना सक्रिय रूप से योगदान करें, जिसमें कंपनी संचालित होती है। ऐसा करके, समाज के कमज़ोर वर्गों की पीड़ा को कम किया जा सकता है।

पहचान और कार्यान्वयन

(i) एचएससीसी निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं / गतिविधियों की पहचान करेगा:

स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता

- शुद्ध पेयजल
- ग्रामीण विद्यालयों में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था
- छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
- समय–समय पर पहचान की गई अन्य कल्याणकारी श्रेणियाँ।

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों को कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वाभाविक रूप से जोर दिया जाएगा।

(iii) सीएसआर में निवेश लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों पर आधारित होगा।

(iv) शुरू की गई सीएसआर गतिविधि सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करने, सामाजिक प्रभाव और दृश्यता पैदा करने की दृष्टि से होगी।

(v) सीएसआर गतिविधि को कंपनी की सकारात्मक छवि बनाने में सहायता करनी चाहिए।

(vi) प्रत्येक परियोजना / गतिविधि के लिए समय–सीमा और आवधिक माइलस्टोन को शुरू में ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

(vii) सीएसआर के तहत चिन्हित परियोजना गतिविधियों को विशेष एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

ऐसी विशेष एजेंसियों में सम्मिलित होंगे:–

- समुदाय आधारित संगठन चाहे औपचारिक हों या अनौपचारिक
- निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें
- स्वैच्छिक एजेंसियाँ (एनजीओ)
- संस्थान / शैक्षणिक संगठन
- स्वयं सहायता समूह
- सरकारी, अर्ध सरकारी और स्वायत्त संगठन
- स्कोप
- महिला मंडल / समितियाँ और इसी तरह
- सिविल कार्यों के लिए अनुबंधित एजेंसियाँ
- व्यावसायिक परामर्श संगठन आदि

यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरतने की कोशिश की जाएगी कि एचएससीसी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों का केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के साथ पुनरावृत्ति न हो।

जहाँ कहीं भी विशेष एजेंसियों को सीएसआर परियोजनाएँ सौंपी जाती हैं, ऐसी एजेंसियों की विश्वसनीयता और स्वच्छ ट्रैक रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। एचएससीसी (HSCC) सरकार, अर्ध–सरकारी, स्वायत्त संगठन या राष्ट्रीय सीएसआर हब आदि द्वारा बनाए गए पैनलों में से भी चयन कर सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में दर्शाए अनुसार सीएसआर गतिविधियों के संबंध में प्रावधान

उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे। बशर्ते कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि को व्यय करने के लिए कंपनी स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को वरीयता देगी, जहाँ पर वह काम करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII

वे गतिविधियाँ जिन्हें कंपनियों द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियों में शामिल किया जा सकता है, वे संबंधित गतिविधियाँ हैं:–

(i)	अत्यधिक भूख और गरीबी का उन्मूलन
(ii)	शिक्षा को बढ़ावा देना;
(iii)	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना;
(iv)	बाल मृत्यु दर में कमी और मातृ स्वास्थ्य में सुधार;

(v)	ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशियेंसी सिंड्रोम, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला करना;
(vi)	पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना;
(vii)	रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल;
(viii)	सामाजिक व्यापार परियोजनाएँ;
(ix)	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण हेतु धन; तथा
(x)	ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में नवीनतम संशोधन के अनुसार, निम्नलिखित मद को शामिल किया गया है:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में संशोधन के अनुसार सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष और पीएमएनआरएफ के लिए योगदान।

सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों में सीएसआर के संबंध में प्रावधान (दिसंबर 2012)

सीएसआर बजट अनिवार्य रूप से बोर्ड के प्रस्ताव के माध्यम से शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित तरीके से बनाया जाएगा:–

एक वित्तीय वर्ष में सीएसआर (CSR) के लिए सीपीएसई (CPSEs) व्यय सीमा के प्रकार–

	निवल लाभ (पिछले वर्ष)	(लाभ का %)
(i)	₹ 100 करोड़ से कम 3%–5%	
(ii)	100 करोड़ से ₹ 500 करोड़ 2% –3% (न्यूनतम 3 करोड़ के अधीन)	
(iii)	500 करोड़ और 0.5%–2% से अधिक	

सीएसआर के अंतर्गत गतिविधियों के संभावित क्षेत्र (यह सूची सांकेतिक है, किन्तु मुकम्मल नहीं है):–

i)	पेयजल सुविधा
ii)	शिक्षा
iii)	बिजली सुविधा
iv)	सौर प्रकाश व्यवस्था
v)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
vi)	सिंचाई सुविधाएँ
vii)	स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य
viii)	प्रदूषण नियंत्रण
ix)	पशु देखभाल
x)	खेल और खेलों को बढ़ावा देना
xi)	कला और संस्कृति को बढ़ावा
xii)	पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियां
xiii)	फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आजीविका को बढ़ावा देना
xiv)	देश के किसी भी हिस्से में भूकंप, चक्रवात, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत
xv)	सरकार के पूरक विकास कार्यक्रम
xvi)	गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
xvii)	सामुदायिक केंद्रों / रात्रि आश्रयों / वृद्धाश्रमों का निर्माण

xviii)	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना
xviii)	कौशल विकास केंद्रों की स्थापना
xix)	गाँवों को गोद लेना
xx)	उद्योगों की 17 श्रेणियों के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व पर चार्टर (किसी संगठन या व्यक्ति–समुदाय के अधिकारों, विश्वासों और उद्देश्यों का लिखित दस्तावेज या अधिकारपत्र) से संबंधित वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही करना।
xxi)	अनु.जाति, अनु.जनजाति, ओबीसी और विकलांग वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति।
xxii)	छात्रावासों का दत्तक ग्रहण/निर्माण (विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और लड़कियों के लिए)
xxiii)	युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और प्लेसमेंट सहायता कार्यक्रम।
xxiv)	सड़कों, रास्तों और पुलों का निर्माण।
xxv)	उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)
xxvi)	आपदा प्रबंधन गतिविधियाँ जिनमें सुधार/शमन से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं।
xxvii)	पर्यावरण/पारिस्थितिकी के संरक्षण और सतत विकास से संबंधित गतिविधियाँ।
xxviii)	सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष, पीएमएनआरएफ (PMNRF) के लिए योगदान।

पुराने बजट के उपयोग के लिए परियोजनाएँ

वर्तमान परियोजना स्थल के आस–पास जर्जर सरकारी स्कूल भवन की पहचान। मौजूदा भवन का नवीनीकरण या नए भवन का निर्माण तथा शौचालय ब्लॉक और पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि।

- समाज के निर्बल वर्ग के छात्राओं या छात्रों के लिए मासिक आधार पर छात्रवृत्ति उनके बैंक के खातों में सीधे भेजने का प्रावधान।
- समाज के निर्बल वर्ग से जुड़े नागरिकों को डॉक्टर की सेवा का प्रावधान। (केवल जाँच और पर्चा)
- सीएसआर की शेष निधि को सावधि जमा में पृथक रूप से लगाया जा सकता है और अर्जित ब्याज का उपयोग भी सीएसआर की गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- सीएसआर के पुराने शेष का उपयोग स्वच्छ गंगा निधि में किया जा सकता है।
- शेष सीएसआर निधि का सरकारी अस्पतालों में रात्रि आश्रयस्थल के निर्माण में योगदान देने का प्रावधान।
- दिल्ली के अन्दर और आसपास वायु प्रदुषण नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण का प्रावधान।
- सरकारी स्कूलों में महिला शौचालय खण्डों के निर्माण/नवीकरण का प्रावधान।

निगरानी

सीएसआर परियोजनाओं / गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी सीएमडी द्वारा गठित सीएसआर समिति द्वारा की जाएगी और इसे सीएसआर बोर्ड समिति के समक्ष रखा जाएगा। निगरानी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगाः–

i) की जाने वाली गतिविधियाँ;
ii) आवंटित बजट;
iii) निर्धारित समय–सीमा;
iv) परिभाषित जिम्मेदारियां और प्राधिकरण;
v) प्रमुख परिणाम अपेक्षित

कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

एचएससीसी सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप है। सीएसआर नीति की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:–

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लेखित सभी परियोजनाओं को कवर करना है।

प्रस्ताव को बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित किया जाता है तथा कार्यान्वयन के लिए एचएससीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सीएसआर समिति की संरचना निम्नलिखित है:–

नाम	पदनाम
सुश्री डी. थारा	अध्यक्ष
डॉ. (श्रीमती) विनोद पांथी	सदस्य
श्री सुरेश चंद्र गर्ग	सदस्य

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ रु. 5,508.50 लाख

(ख) निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद में राशि का दो प्रतिशत)। रु. 110.17 लाख

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय किए गए सीएसआर का विवरण

- वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि: रु. 105.11 लाख
- अव्ययित राशि, यदि कोई हो: रु. 5.06 लाख वित्तीय वर्ष 2021–22 और 1.82 लाख वित्तीय वर्ष 2020–21
- कुल राशि खर्च न करने का कारण: वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण
- वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:–

(लाख रु. में)

क्र. सं.	परियोजना गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	स्थान	परियोजना / कार्यक्रम के लिए कुल स्वीकृत बजट	चालू वर्ष 2020–21 में परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि।	चालू वर्ष 2020–21 के लिए राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार।	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय।	व्यय की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।
1	कोविड 19 के मद्देनजर प्रधान मंत्री केयर्स फंड में योगदान	अनुसूची–VII (मद संख्या (VIII)	नई दिल्ली	95.00	95.00	95.00	95.00	भारत सरकार
2.	सीएसआर आईसीडीएस शाखा, जिला पंचायत नर्मदा (राजपीपला) आकांक्षी जिला के तहत गंभीर तीव्र कुपोषण और गर्भवती महिला वाले बच्चों के लिए मोरिंगा पाउडर का उपयोग	अनुसूची VII	नर्मदा (राजपीपला) आकांक्षी जिला	10.11	10.11	10.11	10.11	GOI

उत्तरदायित्व कथन (Responsibility Statement)

हम, इसके अनुसार पुष्टि करते हैं कि एचएससीसी (HSCC) के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर (CSR) नीति लागू की गई है तथा सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

ह/–
सुरेश चंद्र गर्ग
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएन संख्याः 08684289

ह/–
डी. थारा
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)
डीआईएन नं.: 01911714

स्थानः नोएडा
दिनांकः 14.09.2021

फॉर्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) और

कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्य,

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

205, (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4,

एलएससी, सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव,

नई दिल्ली–110096

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **CIN: U4140DL198 GOI015459 वाले एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड (इसके बाद ''कंपनी'' कहा जाता है)** द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्तग सूचना के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, कंपनी ने, **31 मार्च, 2022** को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास यहां इसमें इसके बाद रिपोर्ट की गई सीमा तक, रिपोर्टिंग में बताए तरीके में और उसके अध्ययधीन समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र विद्यमान है:

हमने **31 मार्च, 2022** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निम्न लिखित के प्रावधानों के अनुसार, रखी जा रही बहियों, रखे जा रहे कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों, दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम, विनियमन 55 क की सीमा तक; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2015; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2018; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2021; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं); तथा**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);**

(vi) हमने कंपनी पर अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा दी गई प्रस्तुति का आश्रय लिया है।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की हैः

(i) लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों के लिए अभी तक संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

(ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक बोर्ड की बैठकों और आम बैठकों के संबंध में जारी किए गए सचिवीय मानक।

हमने कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि ये साविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य निर्दिष्टन व्याधवसायिकों द्वारा समीक्षा के अध्यधीन हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित समुक्तियों के अध्यनधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया हैः

(क) लेखापरीक्षा समिति की बैठक 9 अगस्त, 2021 को समिति के एक स्वतंत्र सदस्य के साथ आयोजित की गई थी, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 में निर्धारित किया गया था कि बैठक में न्यूनतम दो स्वतंत्र सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 और उससे संबंधित नियमों के तहत, समीक्षाधीन अवधि के दौरान उस पर अतिरिक्त शुल्क के साथ धारा–139 के तहत ई–फॉर्म एडीटी–1 (एसआरएनः टी54295134) और धारा–170 के तहत ई–फॉर्म डीआईआर–12 (एसआरएनः टी54294772) को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करने में देरी हुई।

इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के बाद, ई–फॉर्म एमजीटी –14 (सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति) (एसआरएनः एफ 23729395), एमजीटी –14 (आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति) (एसआरएनः एफ 23730534), एमजीटी –14 (बोर्ड रिपोर्ट का अनुमोदन)) ैत्छःथ्23730203), डळज्–14 (वित्तीय विवरणों का अनुमोदन) ैत्छःथ्23729395) धारा 179 (3) के तहत 05–09–2022 को दायर किया गया और ई–फॉर्म क्प्त्–12 (प्रबंध निदेशक के पद में परिवर्तन) ैत्छःथ्2403749) धारा 170 के तहत, डळज्–14 (प्रबंध निदेशक की नियुक्ति) ैएसआरएन 24036196) धारा 117 के तहत 07–09–2022 को अतिरिक्त शुल्क के साथ भरे गए थे।

इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए कम समय में नोटिस दिया जाता है, स्वतंत्र निदेशकों की सहमति से एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स भेजे गए थे। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठकों में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभापति द्वारा विधिवत रूप से दर्ज और हस्ताक्षरित बैठकों के कार्यवृत्त के अनुसार, बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मति से थे और कोई असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा शुरू नहीं किया गया था या कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी की कोई विशिष्ट घटनाध्कार्रवाई नहीं थी, जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव पड़ा हो, सिवाय इसके कि–

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (''होल्डिंग कंपनी'') द्वारा भारतीय विदेशी बैंक, सेक्टर –1, नोएडा के बैंक खाते में कंपनी में धोखाधड़ी वाले बैंक लेनदेन के लिए फोरेंसिक ऑडिट शुरू किया गया था। मेसर्स डेलॉइट द्वारा प्रस्तुत अंतिम फोरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट 18.04.2022 को एनबीसीसी के माध्यम से प्राप्त हुई थी। एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर की सिफारिशों और सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में एचएससीसी प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट किए गए किसी भी धोखाधड़ी लेनदेन का पता नहीं चला है।

पी सी जैन एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव
(एफआरएनः P2016HR051300)

(पी सी जैन)
मैनेजिंग पार्टनर
सदस्यता सं. एफ4103
सीपी नं.: 3349

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 07–09–2022
यूडीआईएनः F004103D000913627

नोटः इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुबंध ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक–क

सेवा में,
सदस्य,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
205, (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4,
एलएससी, सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली–110096

महोदय,

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्वत है। हमारा दायित्वर, लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों के संबंध में अभिमत अभिव्यमक्तण करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तुप की शुद्धता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच आधार पर सत्यापन किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा विश्वा्स है कि जिन प्रक्रियाओं और व्य वहारों का हमने पालन किया है, उनसे हमारे अभिमत का समुचित आधार प्राप्त् होता है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले ही बताई गई समुक्तियों / टिप्पणियों / कमियों को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना, प्रबंधन का उत्तकरदायित्व् है। हमारी परीक्षा, जाँच आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन और इस संबंध में हमारा अभिमत देने तक सीमित थी कि क्या कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है या नहीं।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वाकसन जिनसे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

पी सी जैन एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव
(एफआरएनः P2016HR051300)

(पी सी जैन)
मैनेजिंग पार्टनर
सदस्यता सं. एफ4103
सीपी नं.: 3349

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 07–09–2022
यूडीआईएनः F004103D000913627

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्टों (2021–22) पर सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट के लिए प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षक टिप्पणियाँ	लेखा परीक्षक टिप्पणियाँ (कॉर्पोरेट अभिशासन	प्रबंधन का उत्तार
(a). लेखापरीक्षा समिति की बैठक 9 अगस्त, 2021 को समिति के एक स्वतंत्र सदस्य के साथ आयोजित की गई थी, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 में निर्धारित किया गया था कि बैठक में न्यूनतम दो स्वतंत्र सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।	(a). लेखापरीक्षा समिति की बैठक 9 अगस्त, 2021 को समिति के एक स्वतंत्र सदस्य के साथ आयोजित की गई थी, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 में निर्धारित किया गया था कि बैठक में न्यूनतम दो स्वतंत्र सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।	(a). अत्यावश्यक कार्यसूची (एजेंडा) मदों के कारण, बैठक आयोजित करना आवश्यक था।
(b). कंपनी अधिनियम 2013 और उससे संबंधित नियमों की समीक्षाधीन अवधि के दौरान अतिरिक्त शुल्क पर, धारा–139 के तहत ई–फॉर्म एडीटी–1 (एसआरएनः टी54295134) और धारा–170 के तहत ई–फॉर्म डीआईआर–12 (एसआरएनः टी54294772) कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर किए गए थे।		(b). समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ई–फॉर्म अर्थात एडीटी–1 और डीआईआर–12 को एमसीए द्वारा दायर और अनुमोदित किया गया था। हालांकि, समय पर फॉर्म भरने में सावधानी बरती जाएगी।
इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के बाद, ई–फॉर्म एमजीटी –14 (सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति), (आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति), (बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन), (वित्तीय विवरणों का अनुमोदन), (प्रबंध निदेशक की नियुक्ति) 07 सितंबर, 2022 को अतिरिक्त शुल्क के साथ भरा गया।		समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ई–फॉर्म अर्थात डीआईआर–12 (पदनाम में परिवर्तन प्रबंध निदेशक और एमजीटी–14 (सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति), (आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति), (बोर्ड रिपोर्ट का अनुमोदन), (वित्तीय विवरणों का अनुमोदन), प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दाखिल की गई और स्वीकृत की गई। हालांकि, समय पर फॉर्म भरने के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी।

प्रपत्र सं. एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

I. पंजीकरण और अन्य विवरणः

1.	सीआईएन	U74140DL1983GOI015459
2.	पंजीकरण तिथि	30/03/1983
3.	कंपनी का नाम	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड, सरकारी कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	205 (द्वितीय तल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4, एलएससी, सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली 110096
	ई–मेलः cs_hscc@hsccltd.co.in,	नहीं
	संपर्क करें: 0120–2542436–40	लागू नहीं।
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
7.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	लागू नहीं।

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँः

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगाः–

क्रम सं	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का
1.	परामर्श इंजीनियरिंग सेवाएँ	9983	100

III. होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियों का विवरण

क्रम सं	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	L74899DL1960GOI003335	होल्डिंग	100	2(46)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्नः

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

(i) श्रेणी–वार शेयर होल्डिंग

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग की संख्या (01 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार)				वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग की संख्या (31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डी– मैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डी–मैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
प्रवर्तक									
भारतीय									
क). व्यक्तिगत / एचयूएफ	36	6	42	0.01	36	6	42	0.01	शून्य
ख) केंद्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) राज्य सरकार (सरकारें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) निकाय कॉर्पोरेट	1,79,972	शून्य	1,79,972	99.99	1,79,972	शून्य	1,79,972	99.99	99.99
ङ) बैंक / एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप (कुल) (क) (1)	1,80,008	6	1,80,014	100	1,80,008	6	1,80,014	100	शून्य
(2) विदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) एनआरआई व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निकाय कार्पोरेशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (क) (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (क)	1,80,008	6	1,80,014	100	1,80,008	6	1,80,014	100	शून्य
ख शेयर होल्डिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1ए संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) म्युचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक / एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केंद्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) उद्यम पूंजी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) एफआईआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी उद्यम पूंजी कोषं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग की संख्या (01 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार)				वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग की संख्या (31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डी– मैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डी–मैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
उप–कुल (ख) (1):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) निकाय कार्पोरेशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) 1 लाख रुपए से अधिक नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) 1 लाख रुपए से अधिक नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनिवासी भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी नागरिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समाशोधन सदस्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ट्रस्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी निकाय– डी आर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–कुल (ख) (2):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक (ख)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (क+ख+ग)	**1,80,008**	**6**	**1,80,014**	**100**	**1,80,008**	**6**	**1,80,014**	**100**	शून्य

(ii) प्रवर्तक की शेयर होल्डिंग

	वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग (01 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार)			वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग (31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन %
भारत के राष्ट्रपति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत के राष्ट्रपति की ओर से नामिती	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1,79,972	99.97	शून्य	1,79,972	99.97	शून्य	99.97
सुरेश चंद्र गर्ग*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
राजेंद्र चौधरी*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
योगेश शर्मा*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
बलदेव कौर सोखी*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
चंद्र शेखर गुप्ता*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
मानस कविराज	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
राकेश गुप्ता*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0

*एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की ओर से

(iii) प्रवर्तक की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	तिथि	कारण	वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग	वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग
1.	वर्ष की शुरुआत में	1 अप्रैल, 2021	लागू नहीं		
2.	वर्ष के दौरान परिवर्तन	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	31 मार्च, 2022			

(iv) शीर्ष दस शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग पैटर्न

(जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा)

क्र. सं	विवरण	तिथि	कारण	वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग	वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग
1.	वर्ष की शुरुआत में	1 अप्रैल, 2021	ला,गू नहीं		
2.	वर्ष के दौरान परिवर्तन	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	31 मार्च, 2022			

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर होल्डिंगः

क्र.सं.	विवरण	तिथि	कारण	वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1.	श्री पवन कुमार गुप्ता वर्ष की शुरुआत में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य				
2.	श्री सुरेश चंद्र गर्ग वर्ष की शुरुआत में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	6 शून्य 6	0.00 शून्य 0.00	6 शून्य 6	0.00 शून्य 0.00
4.	डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी वर्ष की शुरुआत में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य				
5.	श्रीमती डी. थारा वर्ष की शुरुआत में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य				
6.	डॉ. (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला						
6.	श्री सौरभ श्रीवास्तव वर्ष की शुरुआत में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य				
7.	श्रीमती सोनिया सिंह वर्ष की शुरुआत में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य				

(vi) ऋणता

बकाया/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणता लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं है।

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	कुल ऋणता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणता				
i) मूल राशि		शून्य		
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं				
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणता में परिवर्तन		शून्य		
* योग		शून्य		
* कमी		शून्य		
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणता				

(vii) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक : (राशि रु. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	
	नाम	ज्ञानेश पांडेय (01–04–2021 से 31–07–2021 तक	श्री सुरेश चंद्र गर्ग (01–04–2021 से 31–03–2022 तक
	नाम	प्रबंध निदेशक	निदेशक (इंजीनियरिंग)
1.	सकल वेतन		
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	22,43518	42,41,715
	(ख) धारा 17(2) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुलाभों का मूल्य	20,956	2,050
	(ग) धारा 17 (3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के बदले लाभ		
2.	स्टॉक विकल्प	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-
4.	कमीशन	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-
	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल (क)	22,64,474	42,43,765
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक (राशि रु. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि	कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी	डॉ. (श्रीमति) ज्योति किरण शुक्ला	डॉ दीपक सिंह भाकर
	बोर्ड समिति की बैठकों और समिति (समितियों) में भाग लेने के लिए शुल्क	80,000	80,000	30,000
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य, निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1)	80,000	80,000	30,000
2.	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक			
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि	कुल राशि
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	कुल (ख) = (1+2)	80,000	80,000	30,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार सीमा	शून्य	शून्य	शून्य

ग. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक : **(राशि रु. में)**

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम		
	नाम	**श्री सौरभ श्रीवास्तव (सीएफओ) 01–09–2021 से 31–03–2022**	**सुश्री सोनिया सिंह (कंपनी सचिव) 01–04–2021 से 31–03–2022 तक)**	**एमसी बंसल पूर्व सीएफओ) 01–04–2021 से 31–08–2021**
	पदनाम			
1.	सकल वेतन	14,78,800	6,79,193	12,16,419
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन			
	(ख) धारा 17(2) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुलाभों का मूल्य	28,673	6,704	9,78,994
	(ग) धारा 17 (3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-
4.	कमीशन	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-
	- अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-
	कुल (क)			
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	**15,07,473**	**6,85,897**	**12,16,419**

(viii) अर्थदंड/दंड/अपराधों का संयोजन :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति/दंड/कंपाउंडिंग शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि कोई की गई, (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	लागू नहीं				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना	लागू नहीं				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. डिफ़ॉल्ट में अन्य अधिकारी					
जुर्माना	लागू नहीं				
दंड					
कंपाउंडिंग					

आदेशानुसार, निदेशक मंडल
कृते **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड**

ह/–
सोनिया सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस–24442

स्थान: नोएडा
दिनांक: 16.09.2022

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

सत्यमेव जयते

संख्या/No.DGA (Infra)/HQ-I/27-84/2021-22/158

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 01/8/22

सेवा मे,

अध्यक्ष,

HSCC (India) Limited
E-6(A), Sector I,
Noida-Uttar Pradesh -201301

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए HSCC (India) Limited के लेखाओं पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए HSCC (India) Limited के वार्षिक लेखो पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित कर रहा हूँ। इन **शून्य** टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट मे प्रकाशित किया जाए और कंपनी की आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्न: शून्य टिप्पणियाँ

दीपक

(दीपक कपूर)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ठ) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार, स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तखरदायी है। दिनांक 12 जुलाई 2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा उन्होंने लेखापरीक्षा का निष्पादन उनके द्वारा 26 मई, 2022 किए जाने की सूचना दी है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एव महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्य– पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से निष्पादित की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जिन्हों ने मेरा ध्यातन आकर्षित किया और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक हैं।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
की ओर से

(दीपक कपूर)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 अगस्त, 2022

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हमारे पहले के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26 मई 2022 के अधिक्रमण में जारी की जा रही है। हमारी पिछली रिपोर्ट में भारत के सी एंड एजी द्वारा इंगित अवलोकन के मद्देनजर संशोधित रिपोर्ट जारी की जा रही है। इसके अलावा, हम पुष्टि करते हैं कि पहले व्यक्त की गई राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है और 31 मार्च 2022 तक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी आंकड़े में कोई बदलाव नहीं आया है।

सेवा में,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्य

भारतीय लेखांकन मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, साक्षेप अभिमत की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

साक्षेप अभिमत

1. हमने **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी")** भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण की जांच की है, जिसमें 31 मार्च 2022 को तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य सर्वसमावेशी आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, तब समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य स्पष्टकारी सूचना का संक्षेप (यहाँ इसमें इसके बाद में भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण कहा गया है) शामिल हैं।

2. हमारे अभिमत में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और साक्षेप अभिमत पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमें दिए गए स्पष्ट कारणों के अनुसार, उपरोक्त भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण से कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना, यथा अपेक्षित तरीके से प्राप्ति होती है और इनसे यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियमों की धारा 133 के तहत निर्दिष्टी भारतीय लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्यधा लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2022 को कंपनी के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति) और इसके लाभ, (अन्य सर्वसमावेश आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इसके नकद प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्राप्त होती है।

साक्षेप अभिमत का आधार

3. हमने भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण की अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसएएस) के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण भाग में और अधिक वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचारसंहिता के अनुसार कंपनी के साथ ही नीतिगत अपेक्षाओं से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण के संबंध में हमारे अभिमत का पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्राप्त होता है।

4. मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किए गए पूछताछ जांच के तहत मामलों की जानकारी कंपनी द्वारा हमें प्रदान नहीं की गई है। कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है। 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले के संबंध में योग्य थी।

5. परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं और मंत्रालयोध्ग्राहकों को सौंप दी गई हैं और परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं लेकिन उन मंत्रालयोंध्ग्राहकों को नहीं सौंपी गई हैं जिनके पास रुपये की संपत्ति और देनदारियां हैं। 163,489.21 लाख (पिछले वर्ष– 48,956. 77 लाख रुपये) कंपनी के खातों की किताबों में वित्तीय बंद होने के लिए लंबित हैं। वित्तीय विवरणों पर ऐसी परियोजनाओं की परिसंपत्तियों और देनदारियों के समायोजन से उत्पन्न परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले के संबंध में योग्य थी।

6. कंपनी के पास व्यापार प्राप्य, से वसूली योग्य/देय दावों, व्यापार देय, प्रतिधारण धनराशि, ग्राहक जमा निधि, ईएमडी, जमानत राशि (प्राप्य और देय), मंत्रालयों, ग्राहकों से शेष, देय दावों के के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और शेष राशि का मिलान करने की कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है। उपरोक्त लेखाशेष राशियों की पुष्टि और मिलान उपलब्ध न होने के कारण, हम कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखाशेष के मिलान और परिशोधन से उत्पन्न समायोजन, यदि कोई हो, के प्रभाव का परिमाण निर्धारण नहीं कर सकते। इस मामले में 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी साक्षेप थी।

7. अंतर परियोजनाओं के प्राप्य 87.21 लाख रुपये की (पिछले वर्षः 85.15 लाख रुपये) के लिए और देय के लिए 39.58 लाख रुपये (पिछले वर्षः 244.22 लाख रुपये)। इस तरह के गैर–समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सका है। 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण ों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले के संबंध में योग्य थी।

8. स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 50 में दिए गए विवरण के अनुसार, संदिग्ध विश्वसनीयता के महत्वपूर्ण लेनदेन, रु. वित्तीय वर्ष 2017–18 में इंडियन ओवरसीज बैंक, नोएडा में कंपनी के बैंक खाते में 2,926.07 लाख रुपये देखे गए। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1 अप्रैल 2017 को आरक्षित निधियों में से 2,926.07 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया था। ऐसी संदिग्ध विश्वसनीयता के कारण, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए और पहले के वर्षों में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों द्वारा योग्य राय है। संदिग्ध विश्वसनीयता के लेन–देन की अंतिम राशि अब होल्डिंग कंपनी द्वारा नियुक्त फोरेंसिक लेखा परीक्षकों द्वारा निर्धारित की गई है। फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने बताया कि रुपये के अलावा कोई अतिरिक्त धोखाधड़ी का पता नहीं चला। 490.07 लाख और कंपनी ने आकस्मिकता राशि के अतिरिक्त प्रावधान को वापस बट्टे खाते में डाल दिया है। इन वित्तीय विवरणों में 2684.55 लाख फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में फोरेंसिक ऑडिटर्स द्वारा की गई अस्पष्ट पुष्टि के साथ–साथ विभिन्न अस्वीकरणों और सीमाओं के कारण इस तरह से निर्धारित राशि का निष्पक्ष मूल्यांकन और आश्वासन हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता है।

9. जैसा कि नोट संख्या 51 में वर्णित है, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर–1, नोएडा के दो बैंक खातों में असमाशोधित शेष हैं। कंपनी के स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर बेजोड़ और अप्राप्य प्रविष्टियों का परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है। 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले के संबंध में योग्य थी।

10. जैसा कि नोट संख्या 52 में बताया गया है, कंपनी ने पूर्व अवधि की आय और पूर्व अवधि के खर्चों का पुनर्कथन किया है। हम इन वित्तीय विवरणों पर वैधानिक देनदारियों और अन्य देनदारियों के परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, जो इस तरह के पुनर्कथन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी द्वारा हमें आवश्यक ऑडिट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

मामले का प्रमुख विषय

11 कंपनी के भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण के नोट संख्या 3 का संदर्भ देखें, जिसके द्वारा 389.16 लाख रुपये के खाता मूल्य् की पट्टा भूमि पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, जबकि पट्टा विलेख के अनुसार निर्माण कार्य 21 अप्रैल 2017 तक पूरा किया जाना था। कंपनी ने रुपये के विस्तार शुल्क का भुगतान नहीं किया है। इस ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा मांग के अनुसार 56.51 लाख प्लस जीएसटी@18% नोएडा प्राधिकरण उक्त संपत्ति को फिर से शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस मामले में हमारी रिपोर्ट साक्षेप नहीं है।

12 कंपनी के संचालन और प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किए गए परिणामों पर कोविड–19 से संबंधित अनिश्चितताओं के संभावित प्रभावों के संबंध में, कंपनी के भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण के नोट संख्या 54 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

इस मामले में हमारी रिपोर्ट साक्षेप नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण से इतर सूचना और तत्संबंधी लेखापरीक्षक रिपोर्ट

13 कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य सूचना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंधों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट और कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपरोक्त संदर्भित सूचना हमें इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

भारतीय लेखांकन मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और इस संबंध में किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व है कि अन्य सूचना पढें जब भी यह उपलब्ध हो और ऐसा करने पर यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण या लेखापरीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के साथ पर्याप्ता रूप से असंगत है या अन्यथा पर्याप्त गलत विवरण प्रतीत होता है। यदि अपने कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में पर्याप्तण गलत विवरण है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

अन्य सूचना पढते समय यदि हम निष्क र्ष निकालते हैं कि इसमें पर्याप्त गलत विवरण हैं तो हमें मामले की सूचना प्रभारी और अभिशासन करने वाले व्यक्तियों को देनी होगी और परिस्थितियों और लागू कानून एवं विनियम द्वारा आवश्यकक समुचित कार्रवाई करनी होगी।

भारतीय लेखांकन मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के प्रबंधन का दायित्व

14.. कंपनी का निदेशक मंडल, ये भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में दिए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिनसे अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तन की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर मिलती है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्तन लेखांकन रिकॉर्डों का अनुरक्षण; उपयुक्त कार्यान्वयन का चयन व प्रयोग और लेखांकन नीतियों का अनुरक्षण; ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना, जो समुचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, कार्यान्वित और अनुरक्षित करना, जो वित्तीय विवरण बनाने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित किए जा रहे थे, भी शामिल है जिनसे सच्ची एवं निष्पक्ष और पर्याप्त गलत विवरण से मुक्ति, चाहे धोखाधड़ी से हो या त्रुटिवश हो, तस्वीर प्राप्त होती है।

15. भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया में, निदेशक मंडल, कंपनी की चालू संस्था के तौर पर बने रहने, चालू संस्थाग से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, प्रकटीकरण करने, और लेखांकन के चालू संस्था् आधार का उपयोग करने की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तंरदायी है,जब तक प्रबंधन कंपनी का परिसमापन अथवा संचालन बंद करना चाहता है अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

16 ये निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

भारतीय लेखांकन मानक एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

17. हमारा उद्देश्य इस विषयमें कि क्या भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी पूर्ण हों या त्रुटिवश हो, और लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन है, किंतु इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित की गई लेखापरीक्षा में हमेशा एक वास्तविक गलत विवरण का पता लग जाएगा जब वह विद्यमान हो। गलत विवरण धोखाधड़ी सेया त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें वास्तविक माना जाता है यदि, अलग–अलग या समग्र रूप से, इनसे स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के आधार पर उपयोगकर्ताओं के लिए गए आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की समुचित अपेक्षा है।

18. लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के अंश के रूप में, हम लेखापरीक्षा के जरिए व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और

व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे धोखाधड़ी से हो या त्रुटिवश हो, उन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाना और उनका निष्पादन करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वास्तरविक गलत विवरण का पता न चल पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामतः गलत विवरण से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता की व्यवस्था है।

प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

लेखांकन के चालू संस्थान आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई वास्ताविक अनिश्चितता है अथवा नहीं जिससे कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप बने रहने की क्षमता के संबंध में पर्याप्तत संदेह हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण में संबंधित प्रकटीकरण करने या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत में परिवर्तन करने पर ध्यान देना होगा। हमारे निष्कर्ष, हमें प्राप्त अद्यतन लेखापरीक्षा रिपोर्ट से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण संभवतः कंपनी चालू संस्थान के रूप में निरंतर बनी न रह पाए।

प्रकटीकरण सहित भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना, और इसका मूल्यांकन करना कि क्या भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण से आधारभूत लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति मिलती है।

19. हम प्रशासन प्रभारित व्यएक्तियों को अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र और समयावधि और अपनी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ज्ञात आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में संसूचित करते हैं, हम प्रशासन प्रभारित व्यक्तियों को इस विषय में भी विवरण प्रदान करते हैं कि जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों की संसूचना देते हैं जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों से समुचित संबंध हो सकता है।

अन्य–कानूनी और नियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

20. जैसाकि भारत की केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुरूप जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हमने **अनुलग्नक I** में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में विवरण दिया है।

21. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित है, हम **अनुलग्नक II** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और निर्दिष्ट मामलों पर आधारित विवरण प्रदान करते हैं।

22. इसके अतिरिक्त, अनुबंध I और II में हमारी टिप्पणियों के संबंध में, जैसाकि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    क. हमने, साक्षेप अभिमत पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामलों / प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वाभस है, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

    ख. हमारे अभिमत में, साक्षेप अभिमत पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर,

कंपनी द्वारा विधि द्वार यथा अपेक्षित लेखाओं की उपयुक्त बहियां रखी गई हैं जहाँ तक यह उन बहियों की हमारी जाँच और अन्य लेखापरीक्षक रिपोर्टों से प्रतीत होता है;

ग. इस रिपोर्ट में साक्षेप अभिमत पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर, स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ. हमारे अभिमत में, साक्षेप अभिमत पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपयुक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

ङ. चूंकि, कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर–463 (ई) संख्या के अनुसार, कंपनी के निदेशकों से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2), कंपनी पर लागू नहीं होती है;

च. लेखाओं के रख–रखाव और तत्संबंधी अन्य मामलों के संबंध में अर्हता, वे हैं जो साक्षेप अभिमत पैराग्राफ के लिए आधार में बताई गई हैं।

छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक–III में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;

ज. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी की गई अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, निदेशक को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है; तथा

झ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट किया है।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी वास्तविक पूर्वानुमानित क्षति हुई हो

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी फंड उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) या संस्थाएं, जिनमें विदेशी संस्थाएं (''मध्यस्थ'') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार या निवेश करेगा (''अंतिम लाभार्थी'') कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें

v. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''फंडिंग पार्टियों'') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (''अंतिम लाभार्थी'') या फंडिंग पार्टियों की ओर से या कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की ओर से प्रदान करेगी। अंतिम लाभार्थी।

vi. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में शामिल हैं कोई भी सामग्री गलत बयान।

vii. पिछले वर्ष के लिए घोषित उसी के संबंध में चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है। जैसा कि नोट नं. 37 वित्तीय विवरणों में, कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार उस सीमा तक है जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

23. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, हमारी पिछली रिपोर्ट पर, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए संशोधनों का विवरण अनुबंध–iv में दिया गया है।

एंड्रोस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 008976एन

ह/–
पुनीत गुप्ता
सहभागी
सदस्यता सं.: 093714
यूडीआईएनः 22093714AJRVNX5615

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12 जुलाई, 2022

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक एकल वित्तीय विवरण के संबंध में समतिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध–I

कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक एकल वित्तीय के संबंध में सही और निष्पक्ष अभिमत की रिपोर्ट करने के प्रयोजनार्थ निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और लेखापरीक्षा की सामान्य प्रक्रिया में हमें प्रदत्ति सूचना और स्पष्टीकरण और लेखाबहियों एवं हमारे द्वारा जांचे गई अन्य रिकॉर्ड पर विचार करते हुए और जहां तक हमारी जानकारी और विश्वामस है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिमाणात्मजक विवरण सहित पूरा विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड बनाया हुआ है।

(ख) तथापि, इस प्रकार बनाए गए रिकॉर्ड में अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर अचल परिसंपत्तियों का वास्तकविक सत्यापन किया गया है। हमें प्रदत्तद सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यासपन में कोई बड़ी विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) कंपनी द्वारा धारित अचल संपत्ति में से एक का टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है। ऐसी अचल संपत्ति का विवरण इस प्रकार है

संपत्ति का विवरण	देय राशि की प्रकृति	आयोजनकर्ता	क्या प्रमोटर निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी है	धारित अवधि– जहां उपयुक्त हो, सीमा का संकेत दें	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
201–222 दूसरी मंजिल, एनबीसीसी केंद्र, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली	6834.99 लाख	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड	प्रमोटर	30/03/2019 से	कोविड स्थिति के कारण पंजीकरण नहीं किया गया

(घ) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग की संपत्ति के अधिकार सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए उक्त आदेश का खंड 3 (आई) (डी) वर्तमान में लागू नहीं है।

(ध) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और इसके नियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

(ii) (क) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए उक्त आदेश का खंड 3 (ii) (क) है वर्तमान में लागू नहीं है।

(ख) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी को कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, इसलिए खंड 3 (ii) (ख) उक्त आदेश का वर्तमान में लागू नहीं है।

(iii) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण की प्रकृति, इसलिए उक्त आदेश का खंड 3 (iii) वर्तमान में लागू नहीं है।

(iv) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए खंड 3 (iv) उक्त आदेश का वर्तमान में लागू नहीं है।

(v) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे वर्ष के दौरान जनता से जमा माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 तक, इसलिए उक्त आदेश का खंड 3 (v) वर्तमान में लागू नहीं है।

(vi) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिस पर हमने लागत रिकॉर्ड का निर्भरता रखरखाव रखा है, केंद्र सरकार द्वारा परियोजना प्रबंधन और परामर्श के लिए उप–धारा (1) के तहत निर्दिष्ट नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत, इसलिए आदेश का खंड 3 (अप) वर्तमान में लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें प्रदत्त, सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है– कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया, सहित अविवादित सांविधिक देय नियमित जमा करा रहा है।

सांविधिक देय बकाया होने की तारीख से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया सांविधिक देय राशि का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	अधिनियम का नाम
1	आयकर	14.60	आयकर अधिनियम, 1961
2	सीजीएसटी–टीडीएस	0.04	सीजीएसटी– अधिनियम
3	एसजीएसटी–टीडीएस	0.04	एपीजीएसटी अधिनियम
4	भवन उपकर	1.29	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम

(ख) उपलब्ध कराई गई सूचना एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और कोई अन्य वैधानिक बकाया जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, वह निम्नानुसार है:

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि लाख रु. में	अवधि जिससे देय राशि संबंधित है	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	431.02	मूल्यांकन वर्ष 2018.19	आयकर आयुक्त (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	131.53	मूल्यांकन वर्ष 2014.2015	आईटीएटी दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	246.66	मूल्यांकन वर्ष 2020–21	आयकर आयुक्त (अपील)
एमपी जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	0.15	वित्तीय वर्ष 2018–19	अपीलीय प्राधिकारी, भोपाल
ईएसआई अधिनियम	ईएसआई	1.83	01.01.1997 से 31.07.2004	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
भविष्य निधि अधिनियम	भविष्य निधि	6.86	2004–05 से 2008–09	पीएफ ट्रिब्यूनल

(viii) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिस पर हमने भरोसा किया है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी राशि का समर्पण या खुलासा नहीं किया गया है।

(ix) (क) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी ने ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है, इसलिए खंड 3 (ix) (क) के प्रावधान उक्त आदेश वर्तमान में लागू नहीं है।

(ख) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, क्योंकि कंपनी ने ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है, इसलिए खंड 3 (ix) (ख) के प्रावधान उक्त आदेश का वर्तमान में लागू नहीं है।

(ग) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, क्योंकि कंपनी ने ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है, इसलिए खंड 3 (ix) (ग) के प्रावधान उक्त आदेश का वर्तमान में लागू नहीं है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की अधिक जांच पर, यह बंदरगाह था कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर उठाए गए किसी भी धन का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, क्योंकि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई से कोई धन नहीं लिया है।

(च) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है। इसलिए उक्त आदेश के खंड 3(ix) (f) के प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं हैं।

(x) (क) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से धन नहीं जुटाया है (ऋण लिखतों सहित) वर्ष के दौरान इसलिए उक्त आदेश का खंड 3;पगद्ध;द्धि वर्तमान में लागू नहीं है।

(ख) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिस पर हमने भरोसा किया है। कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। या वैकल्पिक रूप से (परिवर्तनीय) विचाराधीन वर्ष के दौरान, इसलिए उक्त आदेश का खंड 3(x)(a) वर्तमान में लागू नहीं है।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेज और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है। हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किया गया कि वर्ष के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए उक्त आदेश का खंड 3 (xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है,

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और विवरण का विवरण संबंधित पार्टी के लेन–देन का खुलासा स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में किया गया है जैसा कि लागू लेखा मानक द्वारा आवश्यक है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह कट–ऑफ प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करती है। संदर्भ नोट नं. 52 पूर्व अवधि आय और व्यय के पुनर्कथन पर।

(ख) हमने लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए कंपनी की अब तक जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी ने अपने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है, और इसलिए धारा के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 के 192 वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xvi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम, 1934 इसलिए आदेश का खंड 3(xvi)(a) वर्तमान में लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है, इसलिए आदेश का खंड 3 (xvi)(b) वर्तमान में लागू नहीं ह।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, इसलिए उक्त आदेश के खंड 3(xvi) (c) और (d) वर्तमान में लागू नहीं हैं।

(xvii) कंपनी को चालू और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xvii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है। इसलिए आदेश का खंड 3 (xviii) वर्तमान में लागू नहीं है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन के बारे में हमारी जानकारी योजनाओं और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी वर्तमान में अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तुलन–पत्र की तारीख जब और जब वे तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी। जब वे देय हो जाते हैं।

(xx) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया

है, पूर्व अवधि की आय और व्यय को बहाल करने के लिए वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण, 1.83 लाख, रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित, अव्ययित है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

इसके अलावा, वर्ष 2021–22 के लिए 110.17 लाख रुपये के अपने कुल दायित्व में से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप्प में निर्दिष्ट निधि के लिए 14.72 लाख रुपये की अव्ययित राशि को कंपनी ने स्थानांतरित नहीं किया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार 2021–22 के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के हस्तांतरण के संबंध में अनुपालन की नियत तारीख चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में समाप्त नहीं हुई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कोई भी सीएसआर परियोजना चालू नहीं है य इसलिए आदेश का खंड 3(xx) (ख) वर्तमान में लागू नहीं है।

(xxi) चूंकि कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश का खंड 3(xxi) वर्तमान में लागू नहीं है।

एंड्रोस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 008976N

हस्ता/–
(पुनीत गुप्ता)
साझेदार
सद. सं: 093714
यूडीआईएनः 22093714AJRVNX5615

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 12.07.2022

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक स्टैंडअलोन (एकल) वित्तीय विवरण के संबंध में समतिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध–II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए जारी किए गए निर्देश और उप–निर्देश।

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षकों का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ लेखाओं की निष्ठात के संबंध में आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन संसाधित करने के निहितार्थ, यदि कोई बताया जा सके।	कंपनी में एक ईआरपी प्रणाली है, • हालांकि, वर्तमान में प्रयुक्त ईआरपी प्रणाली कई पहलुओं से अधूरी है और इसमें मेकर–चेकर अवधारणा लाने, उपयोगकर्ता अधिकारों का पृथक्करण, भुगतान को ईआरपी प्रणाली के माध्यम से भेजने, और बैंक समाधान की प्रक्रिया, अचल परिसंपत्ति रजिस्टर आदि जैसे विभिन्नि क्षेत्रों में सुधार की आवशयकता है। हमें प्रदत्तम सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, एमआईएस, अचल परिसंपत्ति रजिस्टर, मूल्यह्रास परिगणना, बैंक समाधान, बैंक गारंटी और जीएसटी चालान, ईआरपी प्रणाली से तैयार नहीं किए जाते हैं। • साथ ही, प्रणाली में सिस्टम अपवाद रिपोर्ट भी स्वचालित रूप से एक तैयार नहीं होती। आईटी प्रणाली के बाहर लेनदेन संसाधित करने का वित्तीय निहितार्थ निर्धारणीय नहीं है।
2	क्या कंपनी की ऋण चुकौती की असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्संरचना है या ऋणदाता द्व ारा कंपनी को कर्ज / ऋण / ब्याज आदि को माफ करने / बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जाए। (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋण देने वाली कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें प्रदत्ता सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।
3	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्यव निधियों का नियम एवं शर्तों के अनुसार समुचित हिसाब रखा गया / उपयोग किया गया था? चूक के मामलों की सूची बनाएँ।	हमें प्रदत्तं सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई / प्राप्य नहीं है।

एंड्रोस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई एफआरएनः 008976एन

ह/–
पुनीत गुप्ता
सहभागी
सदस्यता सं.: 093714
यूडीआईएनः 22093714AJRVNX5615

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.07.2022

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर समतिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध–III

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ('कंपनी') की 31 मार्च 2022 को कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक एकल वित्तीय विवरण की अपनी लेखापरीक्षा के साथ–साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

प्रबंधन का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए उत्तररदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएएल') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्त रदायी है। इन उत्तआरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाना, इनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की विशुद्धता एवं पूर्णताऔर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करने सहित इसके व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की गई है, दोनों इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पायदन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बरकरार रखा गया था और क्याक ऐसे नियंत्रण सभी महत्वतपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्तं करना, इस संबंध में जोखिम का आकलन कि कोई महत्वकपूर्ण कमजोरी मौजूद है और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाईन और परिचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटिवश हो।

हमारा विश्वाास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में हमारे साक्षेप अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्योतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो समुचित विस्तारि से, सटीकता से और निष्पिक्षता से कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और व्य यन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) इस संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड किया गया है ताकि सामान्य तः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किया जा सके और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या व्य यन की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर अच्छाय–खासा प्रभाव पड सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाए

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं, मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अवहेलना की संभावना के कारण, त्रुटिवश या धोखाधड़ी से वास्त्विक गलत विवरण आ सकते हैं और इनका पता नहीं चल पाता। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अध्यिधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का दायर बिगड़ सकता है।

साक्षेप अभिमत

हमें प्रदत्तत सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित वास्तरविक कमजोरी / कमजोरियों की पहचान की गई हैः

i. कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी नीति संचालित नहीं की जा रही। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के डाटा निष्ठूता, गोपनीयता, आईटी प्रणालियों तक अनधिकृत पहुँच के संबंध में संभावित उल्लंघन हो सकता है।

ii. कंपनी के पास आईटी सामान्य नियंत्रणों का मूल्यांकन और इनकी जांच करने के लिए एकप्रभावी इनफॉर्मेशन सिस्टम (सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा) नहीं है, जिससे आईटी प्रणाली से प्राप्तश सृजित की गई रिपोर्टों की पूर्णता, सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

iii. ईआरपी में वाउचर पोस्टिंग और प्राधिकार देने के लिए मेकर चेकर अवधारणा त्रुटिपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप, मैनुअल अनुमोदन के बिना प्रविष्टियां गलत शीर्षों में की गईं/ गलत राशियां दर्शाई गई / प्रविष्टियाँ दो बार हुई और इससे वित्तीय विवरणों में विभिन्न कैप्शन संभावित रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत हो सकते है

iv. कंपनी के पास व्यापार प्राप्य के संबंध में शेष राशि का पुष्टिकरण प्राप्त करने और शेष राशि का समाधान करने, से वसूली योग्यम दावों / देय, व्यापार देय, प्रतिधारण धनराशि, उपभोक्तास जमा निधि, ईएमडी, जमानत राशि (प्राप्य और देय), मंत्रालयों, उपभोक्तालओं, सामान्या उपभोक्ताओं के शेष, देय दावों की एक प्रभावी प्रणाली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में परिसंपत्ति और देनदारियों का गलत विवरण देने की संभावना बनी रहती है।

v. कंपनी के पास ईआरपी प्रणाली में उपयोगकर्ता–अधिकारों के पृथक्करण की प्रणाली नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों द्वारा गलत प्रविष्टियां दी जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में गलत विवरण देने की संभावना बनी रहती है।

vi. कंपनी के पास वास्तविक समय आधार पर बैंकिंग लेनदेन दर्ज करने की प्रणाली नहीं है, और माह के अंत के बाद बैंक समाधान विवरण तैयार करने के संबंध में विभिन्न लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।इससे "संदिग्ध लेन–देन" की पहचान करने में विलंब हो सकता है और इससे उपयुक्ते कार्रवाई में और अधिक देरी हो सकती है।

vii. कट–ऑफ प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अंतर्निहित कमजोरी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि की वस्तुओं का पुनर्कथन हुआ।

एक 'महत्वपपूर्ण कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई कमी, या कमियों का संयोजन है, जिससे समुचित संभावना होती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण की समय आधार पर रोकथाम या पहचान नहीं होगी।

हमारे अभिमत में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्य प्राप्तक करने के संबंध में ऊपर वर्णित महत्व,पूर्ण कमजोरी / कमजोरियों के प्रभावों / संभावित प्रभावों के कारण, कंपनी ने इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में दिशा–निर्देश नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों संबंधी आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं बनाए है।

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्ता लेखापरीक्षा जांचों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी और रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है, और इन महत्वनपूर्ण कमजोरियों से कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत प्रभावित हुआ है और हमने एकल वित्तीय विवरण ों के संबंध में एक साक्षेप अभिमत जारी किया है।

एंड्रोस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई एफआरएनः 008976N

ह/–
पुनीत गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 093714
यूडीआईएनः 22093714AJRVNX5615

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.07.2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक IV

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों पर एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को लेखापरीक्षक की सम तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 23 में संदर्भित अनुबंध, हम रिपोर्ट करते हैं कि, हमने अपने स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के निम्नलिखित खंड को संशोधित किया है ।

क्र. सं.	मूल स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 26 मई 2022 को यूडीआईएन **22093714AJRVNXS615**	दिनांक 12 जुलाई 2022 वाली संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का यूडीआईएन **22093714AMRWMS34515**
1	"स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट" का शीर्षक अनुपलब्ध था	शीर्षक "स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट" शामिल है

एंड्रोस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई एफआरएनः 008976N

ह/–
(पुनीत गुप्ता)
साझीदार
सदस्यता सं.: 093714
यूडीआईएनः 22093714ANIRWMS3515

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 12.07.2022

एंड्रोस एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन किया है।

कृते एंड्रोस एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

आईसीएफआई एफआरएनरू 008976छ

(ह/–)

(पुनीत गुप्ता)

साझेदार

सदस्यता सं. 093714

यूडीआईएनः 22093714AJRVNX5615

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 26 मई, 2022

31 मार्च, 2022 तक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की योग्यता के वित्तीय विवरण पर प्रबंधकों द्वारा उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षकों की योग्यता	प्रबंधकों का उत्तर
1	मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच किए गए/पूछताछ किए गए/रिपोर्ट किए गए मामलों की जानकारी कंपनी द्वारा हमें प्रदान नहीं की गई है। कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर, इसका प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले के संबंध में योग्य थी।	31.3.2022 को न्यायालयी प्रकरणों और मध्यस्थता के मामलों का विवरण पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। सतर्कता के मामले से संबंधित मामले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित हैं और इसलिए इसका प्रभाव नहीं हो सकता है।
2	जिन परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और मंत्रालयों/ग्राहकों को सौंप दिया गया है तथा परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं लेकिन उन मंत्रालयोंध्ग्राहकों को नहीं सौंपी गई हैं उनकी संपत्ति और देनदारियां 163,489.21 लाख रुपये (पिछले वर्ष–48,956.77 लाख रुपये) कंपनी के लेखा बही में वित्तीय समापन करने के लिए लंबित है। वित्तीय विवरणों पर ऐसी परियोजनाओं की परिसंपत्तियों और देनदारियों के समायोजन से उत्पन्न परिण ामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले के संबंध में योग्य थी।	इस वर्ष के दौरान प्रयास किए गए हैं और परियोजनाओं के वित्तीय समापन का समाधान भी प्रगति पर है। सभी ग्राहक केंद्र सरकार, राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय और अन्य सार्वजनिक उपक्रम हैं। ग्राहकों के परामर्श से भौतिक रूप से पूर्ण और सौंपे गए परियोजनाओं के वित्तीय समापन के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। एचएससीसी ने एनएचआरएम छत्तीसगढ़, एम्स दिल्ली और पीएमएसएसवाई टांडा आदि जैसे ग्राहकों को संबंधि ात दस्तावेज जमा किए थे। जैसे ही इस पर टिप्पण ी प्राप्त होगी परियोजनाओं का वित्तीय समापन किया जाएगा। प्रबंधन का मानना है कि ऐसी परियोजनाओं के बंद होने पर एचएससीसी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3	कंपनी के पास व्यापार प्राप्य, दावाध देय से वसूली योग्य, व्यापार देय, प्रतिधारण धन, ग्राहक जमा निधि, ईएमडी, सुरक्षा जमा (प्राप्य और देय), मंत्रालयों, ग्राहकों और देय दावों की शेष राशि के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और उसका समाधान करने की प्रभावी प्रणाली नहीं है। उपरोक्त खातें की शेष राशियों की पुष्टि और समाधान की अनुपलब्धता के कारण, हम कंपनी के वित्तीय विवरणों पर खातें की शेष राशि के समाधान और निपटान से उत्पन्न समायोजन, यदि कोई हो, के प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले के संबंध में योग्य थी।	कंपनी के पास शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है और वर्ष के दौरान ग्राहक को शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए हैं। हालाँकि, अधिकांश ग्राहकों द्वारा पुष्टीकरण प्रमाणपत्र वापस नहीं किए जाते हैं। लेनदारों के लिए भी प्रयास किए गए हैं और कुछ शेष पुष्टि प्रमाण पत्र सीधे सांविधिक लेखा परीक्षकों को भेजे गए हैं और उनकी प्रतिलिपि हमें प्राप्त हुई हैं। कंपनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। ग्राहकों से शेष राशि की पुष्टि लेखांकन अभ्यास के अनुसार की जा रही है। आगामी वर्षों में पुष्टिकरण प्रमाण पत्र एकत्र करने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे।
4	प्राप्य के लिए 87.21 लाख रुपये (पिछले वषर्ू 85.15 लाख रुपये) और देय राशि के लिए 39.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष, 244.22 लाख रुपये) की अंतर परियोजनाओं की असंतुलित शेष राशि है। इस तरह के गैर–समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सका है। 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले के संबंध में योग्य थी।	अंतर परियोजना की प्राप्य/देय खाता–बही नियमित समाधान प्रक्रिया में हैं और कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष से शेष राशि में कमी आई है। कुछ 2018–19 से पहले के शेष हैं, जैसा कि कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं की गई थी। अब अप्रैल–2022 में न्यायिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस वित्तीय वर्ष में सभी समायोजन प्रविष्टियां पारित की जाएंगी।

क्र. सं.	लेखापरीक्षकों की योग्यता	प्रबंधकों का उत्तर
5	वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 50 में दिए गए विवरण के अनुसार, इंडियन ओवरसीज बैंक, नोएडा में कंपनी के बैंक खाते में संदिग्ध विश्वसनीयता के 2,926.07 लाख रुपये के महत्वपूर्ण लेनदेन देखे गए। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1 अप्रैल 2017 को आरक्षित निधियों में से 2,926.07 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया था। ऐसी संदिग्ध विश्वसनीयता के कारण, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए और पहले के वर्षों में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों द्वारा योग्य राय है। संदिग्ध विश्वसनीयता के लेन–देन की अंतिम राशि अब नियंत्रक कंपनी द्वारा नियुक्त न्यायिक लेखापरीक्षकों द्वारा निर्धारित की गई है। न्यायिक लेखापरीक्षकों ने बताया कि 490.07 लाख रुपये के अलावा कोई अतिरिक्त धोखाधड़ी का पता नहीं चला और कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों में 2684.55 लाख रुपये की आकस्मिकता के अतिरिक्त प्रावधान को वापस लिखा है। न्यायिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में न्यायिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई अस्पष्ट पुष्टि के साथ–साथ विभिन्न अस्वीकरणों और सीमाओं के कारण इस तरह से निर्धारित राशि का निष्पक्ष मूल्यांकन और आश्वासन हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2017–18 के लिए सीएजी लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर विचार करते हुए वर्ष 2018–19 के दौरान 2926.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। न्यायिक लेखापरीक्षक, श्री डेलॉइट को नियंत्रक कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था। इसकी रिपोर्ट अप्रैल 2022 में प्राप्त हुई है। रिपोर्ट मई–2022 के महीने में लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड में रखी गई थी। लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड ने इसे नोट किया। एचएससीसी ने रिपोर्ट पर भरोसा किया और आवश्यक लेखा प्रविष्टियां पारित कीं। इस संबंध में विशेषज्ञ व्यवसाय–प्रतिष्ठानों से भी राय ली गई थी।	वर्ष 2017–18 के लिए सीएजी लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर विचार करते हुए वर्ष 2018–19 के दौरान 2926.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। न्यायिक लेखापरीक्षक, श्री डेलॉइट को नियंत्रक कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था। इसकी रिपोर्ट अप्रैल 2022 में प्राप्त हुई है। रिपोर्ट मई–2022 के महीने में लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड में रखी गई थी। लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड ने इसे नोट किया। एचएससीसी ने रिपोर्ट पर भरोसा किया और आवश्यक लेखा प्रविष्टियां पारित कीं। इस संबंध में विशेषज्ञ व्यवसाय–प्रतिष्ठानों से भी राय ली गई थी।
6	जैसा कि नोट संख्या 51 में वर्णित है, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर–1 और नोएडा के दो बैंक खातों में असमाधान शेष हैं। कंपनी के स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर अमेलित और अप्राप्य प्रविष्टियों का परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है। 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले के संबंध में योग्य थी।	एचएससीसी ने अप्रैल 2022 के महीने में न्यायिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की है और मई 2022 के महीने में लेखापरीक्षा कमेटी और बोर्ड द्वारा स्वीकार की गई है। अब इसे सुलझा लिया जाएगा और समायोजन प्रविष्टियां तदनुसार पारित की जाएंगी। प्रबंधन का मानना है कि सुलहध्समायोजन का कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
7	जैसा कि नोट संख्या 52 में बताया गया है, कंपनी ने पूर्व अवधि की आय और खर्चों का पुनर्कथन किया है। हम इन वित्तीय विवरण ों पर वैधानिक देनदारियों और अन्य देनदारियों के परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, जो इस तरह के पुनर्कथन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी द्वारा हमें आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।	कंपनी ने कुछ पूर्व अवधि की त्रुटि के कारण इंड एएस–8 की आवश्यकता का पालन करने के लिए वित्तीय विवरण को पुनरू प्रस्तुत किया है। आय पर कर का भुगतान कर कानूनों के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय पर इस तरह के पुनर्कथन का भौतिक कर प्रभाव नहीं दिखेगा है। तथापि, परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पर विशेषज्ञ की राय ली जाएगी।

31, मार्च 2022 के अनुसार तुलन पत्र

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट सं.	31, मार्च 2022 तक	31, मार्च 2021 तक*	1 अप्रैल 2020 तक*
I. परिसम्पत्तियाँ				
1 असामयिक परिसम्पत्तियाँ				
(क) संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	7,097.81	7,223.34	7,364.88
(ख) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	4	194.24	78.61	-
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	13.86	0.15	0.75
(घ) विकास के तहत अमूर्त सम्पत्तियाँ	6	-	13.16	13.16
(ड) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	30.87	33.54	42.70
(छ) आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (निवल)	8	1,264.66	1,727.75	2242.20
(ज) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ	9	345.87	1,444.14	5919.64
		8,947.31	**10,520.69**	**15,583.33**
2 वर्तमान परिसम्पत्तियाँ				
(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) ट्रेड प्राप्ति योग्य	10	3,947.87	5,960.71	8,120.94
(ii) नकद तथा नकद समकक्ष	11	27,039.29	31,128.10	8,057.49
(iii) अन्य बैंक बैलेंस	12	2,28,857.55	2,73,130.61	2,72,729.42
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	73,615.77	40,956.88	20,414.69
(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	14	2,310.45	1,717.55	980.97
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	15	20,114.36	15,777.56	19,557.19
		3,55,885.29	**3,68,671.41**	**3,29,860.70**
(घ) बिक्री हेतु धारित संपत्ति	16	-	1.65	1.65
		3,55,885.29	**3,68,673.06**	**3,29,862.35**
कुल परिसम्पत्तियाँ		**3,64,832.59**	**3,79,193.75**	**3,45,445.68**
II. इक्विटी एवं देयताएँ				
1 इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	180.01	180.01	180.01
(ख) अन्य इक्विटी		14,180.63	12,185.03	11,003.41
कुल इक्विटी		**14,360.64**	**12,365.04**	**11,183.42**
2 देयताएँ				
असामयिक देयताएँ				
(क) वित्तीय देयताएँ				
(i) अन्य वित्तीय देयताएँ	18	3.41	4.91	6.28
(ख) प्रावधान	19	580.71	625.64	888.63
		584.12	**630.55**	**894.91**
वर्तमान देयताएँ				
(क) वित्तीय देयताएँ				
(i) लीज देयताएं	18	1.50	1.38	1.26
(ii) ट्रेड भुगतान योग्य	20			
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की बकाया राशि		7.60	45.60	479.39
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया राशि		43,223.21	49,428.41	73116.29
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	21	52,427.64	45,610.45	38610.29
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	22	2,53,307.31	2,67,592.29	217017.35
(ग) प्रावधान	23	920.57	3,520.03	4142.78
		3,49,887.83	**3,66,198.16**	**3,33,367.36**
कुल इक्विटी और देयताएँ		**3,64,832.59**	**3,79,193.75**	**3,45,445.68**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश नोट 1 से 56 तक

*पुर्नस्थापित, नोट संख्या – 52 देखें

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एंड्रोस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्याः 008976N)

ह/–
पुनीत गुप्ता
साथी
सदस्यता संख्या 093714
स्थानः दिल्ली
दिनांकः 26.05.2022

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(पवन कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष
(डीआईएनः 07698337)

ह/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : ACS-24442

ह/–
(सुरेश चंद्र गर्ग)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएनः 08684289)

ह/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
एफसीएमए सं.: 13771

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(लाख ₹ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**प्रचालनों से राजस्व**			
	सेवाओं का मूल्य	24	1,36,041.06	1,41,194.10
	अन्य परिचालन राजस्व	25	24.83	20.53
II.	**अन्य आय**	26	152.63	208.91
III.	**कुल आय (I+II)**		**1,36,218.52**	**1,41,423.54**
IV.	**व्ययः**			
	कार्य और परामर्श	27	1,29,612.60	1,34,819.41
	व्यय कर्मचारी लाभ	28	3,975.95	3,776.99
	व्यय वित्त लागत	29	0.48	0.60
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	30	140.00	147.54
	अपवादी मदें – (आय)/व्यय	31	1,852.72	801.33
	कुल व्यय (IV)		**1,35,581.75**	**1,39,545.87**
V.	**अपवादी एवं असाधारण मदों से पहले लाभ (III-IV)**		**636.77**	**1,877.67**
VI.	**अपवादी मदें – (आय)/व्यय**	32	(2,684.55)	-
VII.	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**3,321.32**	**1,877.67**
VIII	**कुल व्ययः**	33		
	(1) वर्तमान कर		366.68	-
	(2) आस्थगित कर		474.29	510.03
	(3) पहले के वर्षों के संबंध में कराधान		(37.42)	(0.67)
IX	**अवधि के लिए लाभ / हानि (VII-VIII)**		2,517.76	1,368.31
X	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			17.55
	(ii) मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ/हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		11.18	(4.42)
	ख (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XI	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX-X)**		**2,484.52**	**1,381.44**
XII	प्रति शेयर आय (100/– प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य)	35		
	(1) मूल (रु. में)		**1,398.64**	**760.11**
	(2) मंदित (रु. में)		**1,398.64**	**760.11**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश नोट 1 से 56 तक

*पुर्नस्थापित, नोट संख्या – 52 देखें

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एंड्रोस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्याः 008976N)

ह/–
पुनीत गुप्ता
साथी
सदस्यता संख्या 093714

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 26.05.2022

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(पवन कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष
(डीआईएनः 07698337)

ह/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : ACS-24442

ह/–
(सुरेश चंद्र गर्ग)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएनः 08684289)

ह/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
एफसीएमए सं.: 13771

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख ₹ में)

विवरण	रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में शेष राशि
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	180.01	-	180.01
31 मार्च, 2021 तक शेष राशि	180.01	-	180.01
1 अप्रैल, 2020 तक शेष राशि	180.01	-	180.01

ख. अन्य इक्विटी

(लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य आरक्षित	पूंजी मोचन रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप	
1 अप्रैल, 2020 तक शेष राशि	**3,335.53**	**60.00**	**7,440.11**	**(37.57)**	**10,798.07**
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण पुनः स्थापित प्रभाव	-	-	205.34	-	205.34
1 अप्रैल, 2020 तक शेष राशि (पुनः प्रकाशित)	**3,335.53**	**60.00**	**7,645.45**	**(37.57)**	**11,003.41**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	1,368.31	-	1,368.31
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)	-	-	-	17.55	17.55
ओसीआई की वस्तुओं पर आयकर	-	-	-	(4.42)	(4.42)
अंतरिम लाभांश सहित भुगतान	-	-	(199.82)	-	(199.82)
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	**3,335.53**	**60.00**	**8,813.94**	**(24.44)**	**12,185.03**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,517.76	-	2,517.76
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)	-	-	-	(44.41)	(44.41)
ओसीआई की वस्तुओं पर आयकर	-	-	-	11.18	11.18
अंतरिम लाभांश सहित भुगतान	-	-	(488.92)	-	(488.92)
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	**3,335.53**	**60.00**	**10,842.78**	**(57.68)**	**14,180.63**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश नोट 1 से 56 तक

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एंड्रोस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 008976N)

ह/–
पुनीत गुप्ता
साथी
सदस्यता संख्या 093714

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 26.05.2022

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(पवन कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष
(डीआईएन: 07698337)

ह/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : ACS-24442

ह/–
(सुरेश चंद्र गर्ग)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन: 08684289)

ह/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
एफसीएमए सं.: 13771

समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2022 को (अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके)

(लाख ₹ में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	कर और असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ	**3,321.32**	**1,877.67**
	समायोजनः		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	132.36	140.52
	उपयोग के अधिकार की संपत्ति पर मूल्यह्रास	6.41	6.41
	अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन	1.23	0.61
	वित्त लागत	0.48	0.60
	बिक्री के लिए धारित आस्तियों की बिक्री पर लाभ	(3.64)	-
	ब्याज आय	(148.21)	(207.60)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	**3,309.96**	**1,818.22**
	समायोजनः		
	अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	1,098.27	4,475.50
	अन्य वित्तीय आस्तियों में कमी / (वृद्धि) (गैर वर्तमान)	2.68	9.16
	व्यापार प्राप्यों में कमी / (वृद्धि)	1,611.19	1,648.27
	अन्य वित्तीय आस्तियों में कमी / (वृद्धि)	(52,230.35)	(19,253.80)
	(वर्तमान) अन्य मौजूदा संपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(4,336.80)	3,779.63
	(कमी) / प्रावधानों में वृद्धि (गैर वर्तमान)	(44.93)	(262.99)
	(कमी) / व्यापार देय में वृद्धि	(6,359.56)	(24,123.11)
	(कमी) / अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि (वर्तमान)	6,817.19	7,000.16
	(कमी) / प्रावधानों में वृद्धि (वर्तमान)	(2,643.87)	(605.20)
	(कमी) / अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि	(24,920.95)	36,073.75
	असाधारण वस्तुओं और कर से पूर्व संचालन से सृजित नकदी	**(77,697.16)**	**10,559.59**
	भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर	-	(87.00)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद (क)	**(77,697.16)**	**10,472.58**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(13.29)	(5.39)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	5.32	-
	अमूर्त संपत्ति की खरीद	(1.78)	-
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य पर व्यय की गई राशि	(115.63)	(78.61)
	3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा राशि	23,941.28	(5,853.61)
	3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा राशि	19,911.02	4,466.06
	12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा राशि	20,942.38	(2,584.79)
	12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा राशि	(1,370.93)	1,296.39
	प्राप्त ब्याज	10,800.76	15,559.67
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदः (ख)	**74,099.13**	**12,799.71**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाहः**		
	पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(1.86)	(1.86)
	लाभांश भुगतान (लाभांश वितरण कर सहित)	(488.92)	(199.82)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (ग)	**(490.78)**	**(201.68)**
	नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि (क) + (ख) + (ग) नकद	**(4,088.81)**	**23,070.61**
	नकद और नकद समकक्ष – प्रारंभिक	**31,128.10**	**8,057.49**
	नकद और नकद समकक्ष – समापन	**27,039.29**	**31,128.10**
i)	**नकद और नकद समकक्ष में शामिल हैं:**		
	बैंकों में चालू खातों में शेषः	475.90	574.21
	मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से		
	बैंकों के बचत खातों में शेष	23,868.12	30,428.89
	3 महीने तक फ्लेक्सी जमा मूल परिपक्वता	2,695.26	125.00
		27,039.29	**31,128.10**

ii) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकद व्यय को दर्शाते हैं,

iii) वित्तीय गतिविधियों की देनदारियों में उतार–चढ़ाव के लिए नोट 47 देखें

*पुनर्कथन, नोट संख्या– 52 देखें, **लीज देयता के भुगतान में प्रिंसिपल राशि रु. 1.38 लाख (पिछले वर्ष रु. 1.26 लाख) और ब्याज राशि रु. 0.48 लाख (पिछले वर्ष रु. 0.60 लाख)

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एंड्रोस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्याः 008976N)

ह/–
पुनीत गुप्ता
साथी
सदस्यता संख्या 093714

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 26.05.2022

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(पवन कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष
(डीआईएनः 07698337)

ह/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : ACS-24442

ह/–
(सुरेश चंद्र गर्ग)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएनः 08684289)

ह/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
एफसीएमए सं.: 13771

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण पर नोट

1. कॉर्पोरेट सूचना

1.1 प्रमुख गतिविधियों की प्रकृति

एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में एक मिनी रत्न (श्रेणी 1 कंपनी) है, जो भारत में तथा विदेशों में स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए परामर्श और क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पेशेवर सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल हैंय संकल्पनात्मक अध्ययन, प्रबंधन परामर्श, परियोजना प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और स्थापना, खरीद, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और इंजीनियरिंग और स्वस्थ्य देखभाल सुविधा डिजाइन आदि।

1.2 सामान्य जानकारी

कंपनी भारत में निगमित और अधिवासित है जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है तथा जिसका सीआईएन U74140DL1983GOI015459 है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसका मुख्य व्यवसाय स्थल नोएडा, उत्तर प्रदेश है।

एनबीसीसी इंडिया लि. को कंपनी के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय भारत सरकार के 13/09/2018 दिनांकित पत्र संख्या फा. सं. 3/8/2016– डीआईपीएएम–II–ए (पीटी.) दिनांक 13/09/2018 एवं डी.ओ. सं. 3/8/2016– डीआईपीएएम –आईआईए (पीटी.) दिनांक 13ध्09ध्2018 द्वारा लिया गया। प्रबंधन नियंत्रण के साथ कंपनी की 100 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को दिसंबर–2018 में रु. 285 करोड़ की कीमत में हस्तांतरित की गई।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण 26 मई, 2022 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत और अनुमोदित है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

2.1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत भारतीय लेखा मानकों (जिसे इसके पश्चात्इंडएएस के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार उपार्जन आधार पर कतिपय वित्तीय लिखतों को छोड़कर तैयार किए गए हैं जिन्हें उचित मूल्यों पर मापा जाता है। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधन नियमों के तहत इंडएएस निर्धारित किए गए हैं।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित किया जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

कंपनी ने बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए और वित्तीय विवरणों की अधिक विश्वसनीय और प्रासंगिक प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए अपनी लेखा नीतियों की समीक्षा की है, जिसका वित्तीय विवरणों पर मान्यता और माप पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

2.2 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

क्रियात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ('INR') में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की क्रियात्मक मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा राशि को लेनदेन की तारीख में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर पर लागू करते हुए विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है।

रिपोर्टिंग तारीख को प्रचलित विनिमय दर का उपयोग कर विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों का पुनः रूपांतरण किया गया है। गैर–मौद्रिक वस्तुओं को जो कि विदेशा मुद्रा में व्यक्ति ऐतिहासिक लागत के रूप में मापित हैं लेनदेन के तारीख को प्रचलित विनिमय दर का उपयोग कर बताया गया है।

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, या कंपनी की ऐसी मौद्रिकवस्तुओं की रिपोर्ट करने पर उन दरों से भिन्न दरों पर, जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, उन्हें वर्ष में आयध्व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। जहां ऐसे लेनदेन ग्राहकों की ओर से होते हैं, वहां लाभध हानि संबंधित ग्राहकों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।

2.3 राजस्व स्वीकरन

कंपनी परियोजना प्रबंधन परामर्श और अधिप्राप्ति सेवाओं से राजस्व अर्जित करती है। राजस्व का मापन ग्राहक के साथ संविदा में विनिर्दिष्ट विवेचन के आधार पर किया गया है और इसमें तीसरे पक्षों के लिए एकत्र राशि इसमें शामिल नहीं की गई है। कंपनी राजस्व को तब मानती है जब वह उत्पाद या सेवा का नियंत्रण किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है।

क) परियोजना प्रबंधन परामर्श

पीएमसी संविदाओं में, कंपनी भूतकनीकी अन्वेषण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, संसाधन–नियोजन, विस्तृत अभियांत्रिक डिजायन और कार्य निष्पादन का पर्यवेक्षण जैसे कार्य संपादित करती है। संबंधित विभिन्न तत्वों के बीच उच्च स्तर की अन्योन्याश्रयता के कारण इन सेवाओं के लिए, उन्हें एक एकल प्रदर्शन दायित्व के रूप में माना जाता है और राजस्व को समय के साथ प्रगति को मापने की आगत विधि के आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि ग्राहकों द्वारा लाभ की प्राप्ति और साथ ही उसका उपयोग किया जाता है।

डिजाइन, अभियंत्रण, अध्ययन, डीआरआर, एमओयू, प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में आय उस अवधि के दौरान आगत विधि के आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जिसके लिए बिल उठाए जाते हैं, ग्राहक के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भुगतान किए जाने वाले शुल्क के संबंध में।

ख) खरीद सेवा

कंपनी ग्राहक की ओर से परिसंपत्ति खरीदती है और राजस्व का आकलन कंपनी की क्षमता के रूप में प्रगति को मापने की आगत विधि के आधार पर समय के साथ शुद्ध आधार पर विश्वसनीय आकलन हेतु समान प्रणालियों पर इसके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अनुभव से उत्पन्न होता है।

राजस्व में शामिल हैं:

1. किया गया कार्य जिसके लिए केवल अभिप्राय पत्र प्राप्त किए गए, यद्यपि, औपचारिक संविदाएं / समझौते निष्पादन की प्रक्रिया में हैं।

2. ग्राहक के कंपनी लंबित प्रमाणन (कंपनी पेंडिंग सर्टिफिकेशन) द्वारा निष्पादित और अनुमापित कार्य
3. निष्पादित किंतु मापित नहीं / आंशिक निष्पादित कार्यों का अभियांत्रिकी आकलन होगा।
4. अतिरिक्त रु स्थानापन्न मद और निष्पाद्य सीमा तक ग्राहकों के विरुद्ध दर्ज दावे।

2.4 अन्य आय

प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय को प्रोद्भवन आधार पर सूचित किया जाता है। अल्पावधि में वसूली योग्य ठेकेदारों को दिए गए लामबंदी अग्रिमों पर ब्याज आय को साधारण ब्याज पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का अनुमान लगाती है।

ठेकेदारों को दिए गए प्रदत्त अग्रिमोंपर ब्याज आय ऐसे प्रदत्त अग्रिमोंपर ग्राहक को देय ब्याज से प्राप्त की जाती है।

ग्राहक की ओर से रखी गई बैंक जमाराशियों पर ब्याज आय ऐसी जमाराशियों पर ग्राहक को देय ब्याज से प्राप्त की जाती है।

2.5 अमूर्त संपत्ति

स्वीकरन

अमूर्त संपत्ति को शुरू में उसके अधिग्रहण की लागत पर मापा जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत, और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत शामिल है। खरीद मूल्य पर पहुंचने में किसी भी व्यापार छूट और कटौती को काट दिया जाता है।

परवर्ती मापन (परिशोधन)

प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के संदर्भ में प्राप्त दरों के आधार पर अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन का शुल्क सीधी–रेखा पद्धति पर लगाया जाता है।

आस्तियाँ श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3 वर्ष

अ–स्वीकरन

अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु या शुरू में मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो अमान्य कर दिया जाता है। आस्ति की गैर–मान्यता (निवल निपटान आय और आस्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

स्वीकरन

प्रॉसंपत्ति संयंत्र और उपकरण उनके अधिग्रहण की लागत पर बताए गए हैं। लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत यदि पूंजीकरण मानदंड (अर्हतापूर्ण संपत्ति के मामले में) को पूरा किया जाता है, और संपत्ति को इच्छित उपयोग के लिए अपनी कार्यशील स्थिति में लाने की सीधे जिम्मेदार लागत शामिल है। किसी भी व्यापार छूट और कटौती को खरीद मूल्य पर पहुंचने में काट दिया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में स्थानांतरण पर, कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों के वहन मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस लेखांकन मूल्य का उपयोग संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों के मान्यता प्राप्त लागत के रूप में किया जाता है।

परवर्ती मापन (अवमूल्यन)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास एक सीधी रेखा पद्धति पर या तो संपत्ति के उपयोगी जीवन के संदर्भ में प्राप्त दरों के आधार पर लगाया जाता है, जैसा कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और प्रबंधन द्वारा अनुमोदित या दरों के आधार पर लागू की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II के भाग 'ग' में अनुशंसित उपयोगी जीवन के आधार निर्दिष्ट दर पर किया जाता है।निम्नलिखित उपयोगी जीवन लागू होते हैं:

आस्तियाँ श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
भवन	60 वर्ष
भवन (कारखाने भवनों के अलावा)	03 वर्ष
अन्य (अस्थायी संरचना, आदि सहित)	12 वर्ष
सिविल निर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	10 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	08 वर्ष
मोटर वाहन	05 वर्ष
कार्यालय उपकरण	06 वर्ष
कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	
सर्वर और नेटवर्क	03 वर्ष
अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि	

भूमि पर चुकता प्रीमियम जहां निर्दिष्ट अवधि के लिए क्रियान्वित लीज (पट्टा) समझौते आनुपातिक रूप में लीज (पट्टा) की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं। भवन के अंतर्गत आते हैं चार दीवारी, स्कूटरशेड और ट्यूब वेल जो 5 वर्ष के जीवन लेने पर अवमूल्यित हो जाते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत रूप से रु. 10,000 तक की लागत का अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से अवमूल्यित हो जाता है।

अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवमूल्यन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

अ–स्वीकरन

संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण का एक वस्तु, और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निस्तारण करते समय या जब इसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति की गैर–मान्यता से उत्पन्न किसी भी लाभ या नुकसान (न्यूटडिस्पोजेबल आय और संपत्ति की लेखांकन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.7 पट्टे

एक पट्टाधारी के रूप में कंपनी

संविदा के आरंभ में, कंपनी मूल्यांकन करती है कि संविदा एक लीज (पट्टा) है या इसमें लीज (पट्टा) शामिल है। संविधा एक लीज होता है, या इसमें लीज होता है, यदि संविदा में प्रतिफल के बदले किसी चिह्नित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया हो।

स्वीकरन:

1. "संपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू)":

   प्रारंभ तिथि को, कंपनी संपत्ति उपयोग के अधिकार और पट्टे की देयता का स्वीकरन करती है, सिवाय इसके कि

क. बारह महीने या उससे कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के साथ पट्टे के लिए और,

ख. पट्टे जिसके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है।

अल्पावधिक पट्टे (लीज) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लिए कंपनी पट्टा भुगतान को पट्टे की शर्तों पर सरल–रेखा आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मानता है।

2. "पट्टा देयता"

प्रारंभ तिथि को, कंपनी पट्टे की उस देयता का मापन पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर करती है जिसका भुगतान उस तिथि तक नहीं हुआ था। लीज भुगतानों पर छूट प्रभावी ब्याज दर की मदद से तय की जाती है।

परवर्ती मापन

1. "संपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू)"

प्रारंभ तिथि के बाद, कंपनी संपत्ति उपयोग के अधिकार और पट्टे की देयता का मापन किसी संचित अवमूल्यन से कम लागत पर करती है और यह हानि क्षति (इंपेयरमेंट क्षति) से प्रभावित होता है।

निम्नलिखित उपयोगी जीवन अनुप्रयुक्त होते हैं:

परिसंपत्ति श्रेणी	पट्टे की अवधि (विस्तार सहित)
पट्टे वाली भूमि	90 वर्ष
भवन	5 वर्ष

2. "पट्टा देयता"

प्रारंभ होने की तारीख के बाद, कंपनी पट्टे की देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर पट्टे की देयता को मापती है, पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करती है। इसके अलावा, यदि कोई संशोधन, पट्टे की अवधि में बदलाव, पट्टे के भुगतान में बदलाव होता है तो पट्टे की देयता की वहन राशि को फिर से मापा जाता है।

प्रारंभ होने की तारीख के बाद, पट्टे के भुगतान का ब्याज तत्व पट्टे की अवधि में वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है।

अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

अ–स्वीकरन

शुरू में मान्यता प्राप्त उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार की मान्यता रद्द करने पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है जब उपयोग परिसंपत्ति का अधिकार अमान्य हो जाता है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

वित्त पट्टा

कंपनी वित्त पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्तियों को पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में मान्यता देती है। कंपनी लीज अवधि में वित्त आय को मान्यता देती है, जो सीधी रेखा के आधार पर थीलीज में शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है।

संचालन पट्टा

पट्टे जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित नहीं करती है, उन्हें संचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संचालन पट्टों के तहत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को अंतर्निहित परिसंपत्ति की प्रकृति के अनुसार मान्यता प्राप्त और प्रस्तुत किया जाता है। किराये की आय को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां किराए में अनुसूचित वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के साथ कंपनी को क्षतिपूर्ति करती है।

2.8 गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है जहां आंतरिकध्बाह्य संकेतकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होता है। हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जहां वहन राशि परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। हानि हानि उलट जाती है, अगर वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होता है और इस तरह की हानि या तो अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है या संकेत जिस पर हानि को पहचाना गया था, अब मौजूद नहीं है।

2.9 वित्तीय लेखपत्र

वित्तीय परिसंपत्तियां

आरंभिक स्वीकरन और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है और शुरू में लेनदेन लागत के लिए समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है।

परवर्ती मापन

परिशोधित लागत पर ऋण लिखपत्र– एक श्ऋण साधनश को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता हैः

- परिसंपत्ति को ऐसे व्यवसाय स्वरूप मे रखा जाता है जिसका उद्देश्य होता है परिसंपत्ति को संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रहण के लिए रखना, और
- परिसंपत्ति के संविदात्मक नियम निर्दिष्ट तिथियों को वैसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं जो पूरी तरह केवल बकाया मूलधन राशि पर मूलधन और ब्याज (सोलली पेमेंट्स ऑफ प्रिन्सिपल एंड इंटरेस्टध्एसपीपीआई) के भुगतान होते हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। मापे गए अन्य सभी ऋण साधन कंपनी के व्यवसाय मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य हैं।

i. **हिस्सेदारी निवेश**– इंड–एएस 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटीइंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रेडिंग के लिए रखे जाते हैं, उन्हें लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी इसे अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर या लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट आधार पर वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है।

ii. **पारस्परिक निधि**– इंड–एएस 109 के दायरे में सभी म्यूचुअल फंड को लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अ–स्वीकरन

एक वित्तीय परिसंपत्ति को मुख्य रूप से मान्यता रद्द कर दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय देयताएं

आरंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और लेनदेन लागत जो वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के

लिए जिम्मेदार है, को भी समायोजित किया जाता है। वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयदाओं का अ–स्वीकरन

वित्तीय देयदाओं का अ–स्वीकरण तब होता है जब देयता के अंतर्गत बाध्यता (आबंध) पूरी कर दी जाती है या रद्द या समाप्त हो जाती है। नहीं निपटाए गए ऋण शेष का परवर्ती प्रतिलेखन और अवलंबित बैंक गारंटी संबंधित परियोजना के समापन पर या उससे पहले, प्रबंधन के पूर्व अनुभव तथा प्रत्येक मामले के वास्तविक तथ्यों के आधार पर पूरा किए जाते हैं और अन्य परिचालन राजस्व में स्वीकृत होते हैं।

पुनः, जब किसी मौजूदा वित्तीय देयता की जगह पर्याप्त रूप से भिन्न नियमों के साथ उसी ऋणदाता की दूसरी देयता लेती है, या मौजूदा देयताओं के नियमों में बड़े बदलाव किए जाते हैं, तो ऐसी अदला–बदली या रूपांतरण को मूल देयता के अस्वीकरण और नई देयता के स्वीकरण के रूप में देखा जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर का लाभ–हानि विवरण में स्वीकरण किया जाता है।

वित्तीय लेखपत्र का प्रति–संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वितीय देयतायों का प्रति–संतुलन किया जाता है और निवल राशि का उल्लेख तुलन पत्र में किया जाता है यदि परिसंपत्तियों की प्राप्ति और साथ ही देयताओं के निबटारे के लिए वर्तमान में स्वीकृत राशियों को प्रति–संतुलित करने का प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर निबटारे की मंशा है।

2.10 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड–एएस 109 के अनुसार, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि हानि की माप और मान्यता के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

ईसीएल सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है जो अनुबंध के अनुसार कंपनी के कारण होता है और सभी नकदी प्रवाह जो कंपनी प्राप्त करने की उम्मीद करती है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय, कंपनी निम्नलिखित पर विचार करती है दृ

- परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन पर वित्तीय परिसंपत्तियों (पूर्वभुगतान और विस्तार सहित) की सभी संविदात्मक शर्तें.
- अनुषंगी के विक्रय से नकदी प्रवाह या अन्य ऋण संवर्द्धन, जो संविदा की शर्तों के अभिन्न अंग हैं।

व्यापार प्राप्य

व्यावहारिक समीचीन के रूप में कंपनी ने व्यापार प्राप्य पर अपेक्षित हानि की पहचान के लिए प्रावधान मैट्रिक्स विधि का उपयोग करके 'सरलीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्य के अपेक्षित जीवन पर देखे गए तीन वर्ष के रोलिंग औसत डिफॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे आगे दिखने वाले अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है। ये औसत डिफॉल्ट दरें व्यापार प्राप्य पर कुल ऋण जोखिम जोखिम पर लागू होती हैं और आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों को निर्धारित करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर एक वर्ष से अधिक समय तक बकाया होती हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हानि हानि का आकलन और प्रदान किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम एक्सपोजर पर हानि–क्षति के स्वीकरन हेतु, कंपनी निर्धारित करती है कि आरंभिक स्वीकरन के बाद से साख जोखिम में बड़ी वृद्धि हुई है कि नहीं और यदि साख जोखिम में बड़ी वृद्धि हुई है तो, हानि क्षति हुई है।

2.11 आयकर

लाभ और हानि में स्वीकृत कर व्यय के तहत मौजूदा कर और आस्थगित कर अन्य समग्र आय या सीधे तौर पर इक्विटी में स्वीकृत नहीं है।

मौजूदा कर का आकलन कर दरों और कर कानूनों पर आधारित है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत तक लागू किया गया है या तात्विक

रूप से लागू किया गया है। आस्थगित आय करों की गणना बैलेंस शीट अभिगम की मदद से की जाती है। इस तरह गणना की गई मौजूदा कर और आस्थगित कर प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को कर प्राधिकारों द्वारा कर उपचार की अनिश्चितता के लिए समायोजित किए जाते हैं।

आस्थगित कर देयताएं आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी भिन्नताओं के लिए पूर्ण स्वीकृत होती हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का स्वीकरण उस सीमा तक होता है कि संभावना यह हो जाती है कि अंतर्निहित कर क्षति, अप्रयुक्त कर साख या कटौतीयोग्य अस्थायी भिन्नता भविष्य की करयोग्य आय के लिए प्रयुक्त होगी। इसका आकलन कंपनी के भावी परिचालन परिणामों के पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है, जो महत्वपूर्ण गैर–करयोग्य आय और व्यय तथा किसी भी अप्रयुक्त कर हानि या खास के इस्तेमाल पर विशिष्ट सीमाओं के लिए समायोजित होता है।

2.12 नकद और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में आते हैं रोकड़ शेष, बैंक खाते के शेष, ट्रांजिट में विप्रेषण, हाथ में चेक और मांग जमा, और साथ में अन्य अल्प–कालिक, अत्यंत तरल निवेश (3 महीने से कम मूल परिपक्वता) जो कि नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय है और इसमें मूल्य में परिवर्तन के बड़े जोखिम निहित होते हैं।

2.13 इक्विटी, आरक्षित और लाभांश भुगतान

शेयर पूंजी निर्गमित शेयर के गए न्यूनतम मूल्य दर्शाते हैं। शेयर निर्गमन से जुड़ी कोई भी लेनदेन लागत को प्रतिधारित अर्जनों से घटाया जाता है, किसी भी संबंधित आयकर लाभों का निवल।

इक्विटी के अन्य घटकों में अन्य समग्र आय (ओसीआई) सम्मिलित हैं जो बीमांकिक लाभ या परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन और योजना परिसंपत्तियों पर लाभ की क्षति से उत्पन्न होती हैं।

प्रतिधारित आय में शामिल हैं सभी मौजूदा और पूर्व अवधि के प्रतिधारित लाभ। शेयरधारकों को होने वाले वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि की देयता के रूप में स्वीकरन किया जाता है जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कोई भी चुकता अंतरिम लाभांश का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होने स्वीकरन होता है। भुगतान योग्य लाभांश और लाभांश वितरण पर अनुरूपी कर का स्वीकरन सीधे तौर पर इक्विटी में होता है।

2.14 बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां

अप्रचलित परिसंपत्तियां और निस्तारण समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूली के लिए अभीष्ट है (सतत उपयोग के जरिए होने की बजाय) जब परिसंपत्ति (या निस्तारण) समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में केवल सामान्य शर्तों के अधीन तत्काल विक्रय के लिए उपलब्ध है और ऐसी परिसंपत्ति (अथवा निस्तारण समूह) के विक्रय के लिए प्रचलित है व विक्रय की संभावन अत्यधिक है और वर्गीकरण की तिथि से एक साल के अंदर पूर्ण विक्रय के रूप में स्वीकरन हेतु योग्य होना अपेक्षित है।

अप्रचलित परिसंपत्तियां और निस्तारण समूह जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत हैं बिक्री के लिए अपनी न्यूनतम वहन राशि और उचित मूल्य न्यून लागत पर मापित हैं। विक्रय के लिए उचित मूल्य न्यून लागत के निर्धारण में शामिल है प्रबंधन आकलनों और अनुमानों का उपयोग।

2.15 नौकरी के बाद लाभ और अल्पकालिक रोजगार लाभ

परिभाषित योगदान योजना

कंपनी का भविष्य निधि, ईपीएस 1995 और कंपनी की पेंशन योजना में वर्ष के दौरान भुगतानध्देय अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसका भुगतान अलग–अलग ट्रस्टों और ईपीएफओ द्वारा प्रशासित फंड को किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना

आनुतोषिक, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और सेवा निवर्तन पर यात्रा भत्ता के प्रति कंपनी की देनदारी योजनाएं इकाई ऋण विधि का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र कार्यशाला द्वारा निर्धारित की जाती है।

बीमांकिक लाभ या हानि अन्य समग्र आय में पहचाना जाता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपदान के लिए देयता का भुगतान एक अलग न्यास के माध्यम से प्रशासित निधि को किया जाता है।

अन्य दीर्घकालिक लाभ

छुट्टी (अर्जित और बीमार) और लंबी सेवा पुरस्कारों के प्रति कंपनी की देनदारी एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी गई है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालीन लाभों के अंतर्गत शामिल हैं कर्मचारी लागत जैसे कि वेतन, बोनस, पीआरपी आदि, जिनका मापन और उपार्जन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

कर्मचारी वियोजन लागत

कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के तहत सेवानिवृति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का अनुग्रह प्रबंधन द्वारा उस विकल्प को स्वीकार करने के वर्ष में लाभ–हानि विवरण में प्रभारित होता है।

2.16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी द्वारा स्वीकरन किए गए प्रावधानों में शामिल हैं वारंटी के प्रावधान, अनुसंधान और विकास, धारणीय विकास, आकस्मिकताएं और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)। प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व पिछली घटना के परिणामस्वरूप होता है, हो सकता है कि दायित्व के निष्पादन के लिए आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सके। प्रतिवेदित तिथि को दायित्व निष्पादित करना सर्वोत्तम आकलन के आधार पर निर्धारित प्रावधानों के लिए जरूरी है। प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को इन आकलनों की समीक्षा की जाती है और ताजा सर्वोत्तम आकलनों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों पर छूट दी जाती है, जहाँ धन का समय मूल्य सामग्री (मटीरियल) है।

आकस्मिक देयताएं संबंधित मामलों के तथ्यों और वैधानिक पहलुओं के सावधानी पूर्वक किए गए मूल्यांकन के बाद प्रबंधन द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर प्रकट की जाती हैं।

आकस्मिक परिसंपत्तियां का प्रकटन तब किया जाता है जब आय की प्राप्ति सुनिश्चित हो।

2.17 मध्यस्थता निर्णय

प्राप्ति योग्यध्भुगतान योग्य ब्याज के साथ पंचनिर्णय/अदालत के फैसलों पर आरंभ के समय विचार नहीं किया जाता है, न्यायिक निर्णय बन जाने के बाद मान्य होते हैं। भारत सरकार के पंचनिर्णय की स्थायी व्यवस्था, अपीली प्राधिकार द्वारा दिए गए फैसले को अंतिम रूप मिल जाने के बाद आता है। इन मामलों में प्राप्तध्प्रदत्त ब्याज का लेखा तब किया जाता है जब भुगतान संभावित हो जब मामला प्रबंधन द्वारा निबटाया हुआ माना जाए।

2.18 परिसमापन क्षति

ग्राहकोंध्ठेकेदारों के संदर्भ में तरलीकृत क्षति/मुआवजा, यदि कोई है, तो उनका हिसाब तब दिया जाता है जब मामले को प्रबंधन द्वारा निबटाया हुआ माना जाए।

2.19 पूर्व अवधि व्यय/आय

पूर्व अवधि से संबंधित व्यय / आय जिसे मटीरियल नहीं माना जाए मौजूदा वर्ष में लेखा के संबंधित मद में रखा जाता है।

2.20 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय और आकलन अनिश्चितता

वित्तीय विवरण भारत में जीएएपी के अनुरूप तैयार किए जाते हैं जिसके लिए जरूरी है कि प्रबंधन ऐसे आकलन और अनुमान करे जो वित्तीय वित्तीय विवरण की तिथि को और उन अवधियों में आय एवं व्यय के प्रतिवेदित राशि प्रतिवेदित परिसंत्ति शेष, देयता

और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें। यद्यपि ये आकलन और अनुमान वित्तीय विवरणों के साथ प्रयुक्त वित्तीय विवरणों की तिथि अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं, जो प्रबंधन के अनुसार विवेकपूर्ण और उचित हैं, वास्तविक परिणाम वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमानों और आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधन का संभावित रूप से उस अवधि से स्वीकरन होता है जिसमें परिणाम पता होते हैं / लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अमल में आते हैं।

उन आकलनों और अनुमानों के बारे में जानकारी जिनका स्वीकरन पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का मापन नीचे दिया गया है।

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का स्वीकरन – जहाँ तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों का स्वीकरन हो सकता है, वह कंपनी की भविष्य की कर–योग्य संभावित आय के अनुमान पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता के आकलन हेतु अनेक बाह्य एवं आंतरिक कारकों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जिसके कारण परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में कमी आ सकती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य का आकलन किया जाता है माना जाता है कि निर्दिष्ट उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य तर्कसंगत हैं।

आकलन अनिश्चितता

उन आकलनों और अनुमानों के बारे में जानकारी जिनका स्वीकरन पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का मापन नीचे दिया गया है।

राजस्व स्वीकरन– जहां राजस्व संविदाओं में आस्थगित भुगतान टर्म शामिल होते हैं, प्रबंधन द्वारा लेन–देन की तिथि पर प्रचलित समान क्रेडिट रेटिंग वाले समान उपकरणों पर लागू टाइल अपेक्षित संग्रह अवधि और ब्याज दर का उपयोग करके प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

अग्रिमों / प्राप्तियों की प्रतिलब्धता– परियोजना प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और क्षेत्रीय ६ रणनैतिक व्यवसाय समूह समय–समय पर अग्रिमों और प्राप्तियों की वसूली की समीक्षा करते हैं। समीक्षा वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार की जाती है और ऐसे अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक होता है जो प्रति–पक्षों, बाजार सूचना और अन्य संबंधित कारकों के वित्तीय स्थिति के आधार पर होता है।

परिभाषित लाभ बाध्यता (डीबीओ) – प्रबंधन का डीबीओ अनुमान कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणाओं पर आधारित होता है जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत रुझान, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य के वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन अनुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को प्रभावित कर सकती है।

आकस्मिकता– आकस्मिकता / दावा / कंपनी के विरुद्ध अभियोग के संदर्भ में संसाधनों के संभावित बहिर्वाह के लिए, यदि कोई हो तो, प्रबंधन निर्णय आवश्यक है क्योंकि लंबित मामलों के परिणाम का अनुमान सटीकता के साथ लगा पाना संभव नहीं होता।

वारंटियों के लिए प्रावधान – वारंटी के प्रबंधन का आकलन इंजीनियरिंग आकलनों पर आधारित है और इन अनुमानों में भिन्नता प्रावधान राशि और वार्षिक वारंटी व्यय को प्रभावित कर सकती है।

तरलीकृत क्षति – तरलीकृत क्षति प्राप्तियां संविदा की शर्तों के अनुसार आकलित और दर्ज की जाती हैंय संविदाकार पर लेवी के रूप में अनुमान वास्तविक से भिन्न हो सकता है।

2.21 मानक जारी किए गए लेकिन प्रभावी नहीं

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। 23 मार्च, 2022 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया, जैसा कि नीचे दिया गया है।

इंड एएस 16 – संपत्ति संयंत्र और उपकरण – संशोधन स्पष्ट करता है कि परीक्षण लागत से अधिक उत्पादों के शुद्ध बिक्री आय, यदि कोई है, लाभ या नुकसान में पहचाना नहीं जा सकता है, लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के हिस्से के रूप में माना जाता है कि सीधे संबंधित लागत से कम किया जाता है। इस संशोधन के अनुमोदन के लिए प्रभावी तारीख 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने बदलाव का मूल्यांकन किया है और इसकी वित्तीय रिपोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं है।

इंड एएस 37 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां – संशोधन में यह निर्दिष्ट किया गया है कि 'एक अनुबंध को पूरा करने की लागत में 'संभावित संपत्ति से सीधे संबंधित लागत' शामिल है। अनुबंध से सीधे संबंधित लागतें या तो उस अनुबंध को पूरा करने की बढ़ती लागतें हो सकती हैं (उदाहरण के लिए, सीधे श्रम और सामग्री) या अनुबंध को पूरा करने से सीधे संबंधित अन्य लागतों का आवंटन (उदाहरण के लिए, अनुबंध को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक आइटम के लिए डिप्रेशन शुल्क का आवंटन होगा)। इस संशोधन के अनुमोदन के लिए प्रभावी तारीख 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि जल्दी अनुमोदन की अनुमति है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट–3

कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण और रिपोर्टिंग अवधि के शुरू से अंत तक उनकी अग्रणीत राशि का मिलान इस प्रकार है:

(लाख ₹ में)

	विवरण	सकल वहन राशि (लागत पर)				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध बही मूल्य
		1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वृद्धि	निपटान	31 मार्च, 2022 के अनुसार	1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वर्ष के लिए शुल्क	निस्तारण पर	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क	**मूर्त परिसंपत्तियाँ**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	भवन*	7,175.06	-	-	**7,175.06**	431.02	111.58	-	**542.60**	**6,632.46**
	फर्नीचर व फिक्सचर	222.19	-	-	**222.19**	157.23	9.85	-	**167.08**	**55.11**
	वाहन	11.48	-	-	**11.48**	10.41	0.28	-	**10.69**	**0.79**
	कार्यालय उपकरण	216.05	2.53	-	**218.58**	190.17	5.17	-	**195.33**	**23.25**
	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	238.14	10.75	0.51	**248.38**	220.20	5.48	0.49	**225.20**	**23.18**
	कुल (i)	**7,862.93**	**13.29**	**0.51**	**7,875.69**	**1,009.02**	**132.36**	**0.49**	**1,140.89**	**6,734.79**
ख	**संपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू)**									
	पट्टेत वाली भूमि**	446.65	-	-	**446.65**	83.03	4.96	-	**87.99**	**358.66**
	भवन	8.71	-	-	**8.71**	2.90	1.45	-	**4.35**	**4.35**
	कुल (ii)	**455.36**	**-**	**-**	**455.36**	**85.93**	**6.41**	**-**	**92.34**	**363.02**
	कुल (ii)	**8,318.29**	**13.29**	**0.51**	**8,331.05**	**1,094.95**	**138.77**	**0.49**	**1,233.24**	**7,097.81**
	कुल (i+ii)									

(लाख ₹ में)

	विवरण	सकल वहन राशि (लागत पर)				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध बही मूल्य
		1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	वृद्धि	निपटान	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	वर्ष के लिए शुल्क	निस्तारण पर	31 मार्च, 20221 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क	**मूर्त परिसंपत्तियाँ**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	भवन*	7,175.06	-	-	**7,175.06**	317.49	113.53	-	**431.02**	**6,744.04**
	फर्नीचर व फिक्सचर	222.09	0.10	-	**222.19**	147.25	9.97	-	**157.23**	**64.97**
	वाहन	11.48	-	-	**11.48**	10.13	0.28	-	**10.41**	**1.07**
	कार्यालय उपकरण	214.06	1.99	-	**216.05**	183.98	6.19	-	**190.17**	**25.88**
	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	234.84	3.30	-	**238.14**	209.66	10.54	-	**220.20**	**17.94**
	कुल (i)	**7,857.53**	**5.39**	**-**	**7,862.93**	**868.51**	**140.52**	**-**	**1,009.02**	**6,853.91**
ख	**संपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू)**									
	पट्टेत वाली भूमि''	446.65	-	-	**446.65**	78.06	4.96	-	**83.03**	**363.63**
	भवन	8.71	-	-	**8.71**	1.45	1.45	-	**2.90**	**5.80**
	कुल (ii)	**455.36**	**-**	**-**	**455.36**	**79.52**	**6.41**	**-**	**85.93**	**369.43**
	कुल (ii)	**8,312.89**	**5.39**	**-**	**8,318.29**	**948.03**	**146.93**	**-**	**1,094.95**	**7,223.34**
	कुल (i+ii)									

पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

* कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में कंपनी के नाम पर लंबित पंजीकरण के लिए रु. 6,834.99 लाख के भवन का पूंजीकरण किया है, और पंजीकरण शुल्क की लागत लगभग रु. 500 लाख होगी।

**उपरोक्त लीजहोल्ड भूमि में प्लॉट नं. सेक्टर–1 नोएडा में ई–13 और ई–14, विलेख के उपबंध संख्या 4 के अनुसार, पट्टेदार, अर्थात एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को निर्दिष्ट अवधि चार वर्ष, अन्यथा जब तक कि पट्टादाता समय के विस्तार की अनुमति नहीं देता, के भीतर निर्धारित भूमि पर भवन का निर्माण और संरचना कार्य पूरा करना होगा। इसलिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 हेतु रु.11.30 लाख (वित्त वर्ष 2019–20: रु. 11.30 लाख) के लिए विस्तार शुल्क के रूप में, पट्टा विलेख विस्तार शुल्क उपबंध के अनुसार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देय, देयता प्रदान की है।

(i) अचल संपत्ति के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं

अचल संपत्ति के शीर्षक विलेख जो 31.03.2022 से कंपनी के नाम पर नहीं हैं						
बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड / ाारक प्रमोटर'धनिदेशक का प्रमोटर निदेशक या रिश्तेदाररुप्रवर्तकधनिदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति संयंत्र उपकरण	201–222, दूसरी मंजिल एनबीसीसी केंद्र, ओखला, फेज –1 नई दिल्ली	6834.99	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड	प्रमोटर	30–03–2019	कोविड सिचुएशन के चलते नहीं हो रही रजिस्ट्री

अचल संपत्ति के शीर्षक विलेख जो 31.03.2021 से कंपनी के नाम पर नहीं हैं						
बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड / ाारक प्रमोटर'धनिदेशक का प्रमोटर निदेशक या रिश्तेदाररुप्रवर्तकधनिदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति संयंत्र उपकरण	201–222, दूसरी मंजिल एनबीसीसी केंद्र, ओखला, फेज –1 नई दिल्ली	6834.99	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड	प्रमोटर	30–03–2019	कोविड सिचुएशन के चलते नहीं हो रही रजिस्ट्री

नोट–4

कंपनी की पूंजीगत कार्य–प्रगति

कंपनी की पूंजीगत कार्य–प्रगति का विवरण और रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से आखिर तक उनकी अग्रणीत राशियों का समाधान इस प्रकार हैं:

(लाख ₹ में)

विवरण	राशि (लाख रु. में)
1 अप्रैल 2020 तक	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**78.61**
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
31 मार्च 2021 तक	**78.61**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	115.63
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
31 मार्च 2022 के अनुसार	**194.24**

पूंजीगत कार्य–प्रगति में ओखला बिल्डिंग में किए जा रहे इंटीरियर वर्क और भूखंड ई–13 एवं ई14, सेक्टर–1 नोएडा के भवन प्लान सौंपने के शुल्क रु. 194.24 लाख और रु. 78.61 लाख (पिछले वर्ष: शून्य) क्रमशः शामिल हैं।

संविदात्मक प्रतिबद्धताएँ

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने ओखला बिल्डिंग में नए इंटीरियर के विकास के लिए रु. 192 लाख, वही पूरी तरह से वित्त वर्ष 2021–22 (पिछले वर्ष: 76.37 लाख) में बुक किया गया है। नए आंतरिक कार्य के संबंध में कोई और संविदात्मक प्रतिबद्धता नहीं है।

नोट –4क

क. 31.03.2022 को सीडब्ल्यूआईपी उम्र बढ़ने का कार्यक्रम (लाख ₹ में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
क. वीसं . में आंतरिक कार्य		115.63	76.37	-	192.00
ख. नोएडा में निर्माण कार्य		-	2.24	-	2.24
कुल					**194.24**

इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पूंजीकृत किया जाएगा, जो समिति द्वारा विद्युत–यांत्रिक उपकरणों के परीक्षण और निरीक्षण के कारण लंबित है, प्रगति पर है। प्रबंधन को सीडब्ल्यूआईपी के संबंध में कोई क्षति संकेतक नहीं लगता है।

31.03.2021 को सीडब्ल्यूआईपी उम्र बढ़ने का कार्यक्रम (लाख ₹ में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
क. वीसं . में आंतरिक कार्य	76.37	-	-	-	76.37
ख. नोएडा में निर्माण कार्य	2.24	-	-	-	2.24
कुल					**78.61**

ख. 31.03.2022 तक सीडब्ल्यूआईपी पूरा करने का कार्यक्रम

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
क. ओखला में आंतरिक कार्य*		-	-	-	-
ख. नोएडा में निर्माण कार्य**		-	-	-	-

*इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पूंजीकृत किया जाएगा, समिति द्वारा इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों के परीक्षण और निरीक्षण के कारण लंबित कार्य प्रगति पर है।

**यह ड्राइंग आदि जमा करने के प्रारंभिक चरण में है। यह ड्राइंग आदि के अनुमोदन पर निर्णय लिया जाएगा।

31.03.2021 तक सीडब्ल्यूआईपी पूरा करने का कार्यक्रम

सीडब्ल्यूआईपी	कार्य पूरा होगा			
	एक वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक
प्रगति में परियोजनाएं*				
क. ओखला में आंतरिक कार्य	115.63	-	-	-
ख. नोएडा में निर्माण कार्य	-	-	-	-

नोट–5
अन्य अमूर्त संपत्ति

(लाख ₹ में)

	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सकल वहन राशि (लागत पर)				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध बही मूल्य
		1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वृद्धि	निपटान	31 मार्च, 2022 के अनुसार	1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वर्ष के लिए शुल्क	निस्तारण पर	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	सॉफ्टवेयर	26.51	14.94	-	**41.45**	26.36	1.23	-	**27.59**	**13.86**
	कुल	**26.51**	**14.94**	**-**	**41.45**	**26.36**	**1.23**	**-**	**27.59**	**13.86**

*सॉफ्टवेयर में परिवर्धन में रुपये के विकास के तहत अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण शामिल है। 13.16 लाख

अन्य अमूर्त संपत्ति

(लाख ₹ में)

	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सकल वहन राशि (लागत पर)				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध बही मूल्य
		1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	वृद्धि	निपटान	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	वर्ष के लिए शुल्क	निस्तारण पर	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	सॉफ्टवेयर	26.51	-	-	**26.51**	25.75	0.61	-	**26.36**	**0.15**
	कुल	**26.51**	**-**	**-**	**26.51**	**25.75**	**0.61**	**-**	**26.36**	**0.15**

नोट–6

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

कंपनी की विकासाधीन अमूर्त संपत्ति के विवरण तथा रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से अंत तक किए समाधानों की राशि इस प्रकार हैं:

(लाख ₹ में)

विवरण	राशि (लाख रु. में)
1 अप्रैल 2020 तक	**13.16**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
31 मार्च 2021 तक	**13.16**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	13.16
31 मार्च 2022 के अनुसार	-

नोट –6क

क. 31.03.2022 के अनुसार विकास की उम्र बढ़ने की अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

(लाख ₹ में)

अमूर्त परिसंपत्तियाँ विकासाधीन	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
ईआरपी	-	-	-	-	-
कुल					-

31.03.2021 के अनुसार विकास उम्र बढ़ने की अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

(लाख ₹ में)

अमूर्त परिसंपत्तियाँ विकासाधीन	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
ईआरपी	-	-	-	13.16	13.16
कुल					**13.16**

नोट–7

(लाख ₹ में)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर–वर्तमान)	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार		1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	
सुरक्षा जमा राशि						
– असंदिग्ध माना गया	21.95		21.95		21.95	
– संदिग्ध माना गया	0.78		0.78		0.78	
	22.73		22.73		22.73	
घटाएँ: हानि भत्ता	(0.78)	21.95	(0.78)	21.95	(0.78)	21.95
कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम*		8.92		11.59		20.75
कुल		**30.87**		**33.54**		**42.70**
*अग्रिम पर अर्जित ब्याज शामिल है		4.63		4.69		6.89

नोट–8

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(लाख ₹ में)

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31 मार्च, 2021 तक	लाभ एवं हानि में प्रभारित / क्रेडिट किया गया	ओसीआई में प्रभारित / क्रेडिट किया गया	31 मार्च, 2022 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
निम्नलिखित में अस्थायी विसंगतियों के कारण उत्पन्नः				
अवशोषित मूल्यह्रास और हानियाँ	103.05	(114.20)	11.18	-
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	187.33	(5.42)	-	181.92
वीआरएस के तहत भुगतान की गई राशि	21.65	5.51	-	27.16
अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान	557.93	237.76	-	795.69
लाभ संबंधित वेतन (पीआरपी) प्रावधान	62.93	16.34	-	79.28
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	774.19	(675.65)	-	98.54
आस्थगित राजस्व (बिल न की गई प्राप्य का शुद्ध)	281.21	(58.02)	-	223.20
अन्य	275.69	-		275.69
बहाल प्रभाव	-199.46	193.68		(5.79)
आस्थगित कर देयताएँ				
मूल्यह्रास में अस्थायी विसंगतियों के कारण उत्पन्नः	336.78	74.26	-	411.04
कुल	**1,727.75**	**(474.29)**	**11.18**	**1,264.66**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(लाख ₹ में)

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31 मार्च, 2020 तक	लाभ एवं हानि में प्रभारित / क्रेडिट किया गया	ओसीआई में प्रभारित / क्रेडिट किया गया	31 मार्च, 2021 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
निम्नलिखित में अस्थायी विसंगतियों के कारण उत्पन्नः				
अवशोषित मूल्यह्रास और हानियाँ	-	107.47	(4.42)	103.05
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	260.47	(73.14)	-	187.33
वीआरएस के तहत भुगतान की गई राशि	9.98	11.67		21.65
अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान	516.38	41.56	-	557.93
लाभ संबंधित वेतन (पीआरपी) प्रावधान	208.66	(145.72)	-	62.93
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	774.19	-	-	774.19
आस्थगित राजस्व (बिल न की गई प्राप्य का शुद्ध)	543.38	(262.17)	-	281.21
अन्य	212.57	63.12	-	275.69
बहाल प्रभाव	(69.06)	(130.40)		(199.46)
आस्थगित कर देयताएँ				
मूल्यह्रास में अस्थायी विसंगतियों के कारण उत्पन्नः	214.37	122.41	-	336.78
कुल	**2,242.20**	**(510.03)**	**(4.42)**	**1,727.75**

नोट–9

(लाख ₹ में)

अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम:			
आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	290.56	1,333.51	5,753.70
पूर्वदात व्यय	55.31	110.63	165.94
कुल	**345.87**	**1,444.14**	**5,919.64**

नोट–10

(लाख ₹ में)

अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-
व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	6,200.29	7,328.03	9,633.76
व्यापार प्राप्तियां जिनमें महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	866.83	807.24	496.62
	7,067.13	8,135.27	10,130.38
हानि भत्ता			
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	(2,252.43)	(1,367.32)	(1,512.82)
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	(866.83)	(807.24)	(496.62)
कुल	**3,947.87**	**5,960.71**	**8,120.94**

नोट–10क

(लाख ₹ में)

व्यापार प्राप्तियों के लिए वृद्धावस्था– 31 मार्च, 2022 तक वर्तमान बकाया इस प्रकार है:	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने– 1 साल	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
अविवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	619.29	382.79	2,065.13	1,231.58	1,901.51	6,200.30
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	866.83	866.83
विवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-
	619.29	382.79	2,065.13	1,231.58	2,768.35	7,067.13
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते						-3,119.26

	3,947.87

(लाख ₹ में)

व्यापार प्राप्तियों के लिए वृद्धावस्था– 31 मार्च, 2021 तक वर्तमान बकाया इस प्रकार है:	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने– 1 साल	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
अविवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	766.48	2,067.19	1,936.61	1,251.07	1,306.69	7,328.03
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	807.24	807.24
विवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-
	766.48	2,067.19	1,936.61	1,251.07	2,113.93	8,135.27
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते						-2,174.56
						5,960.71

नोट–11

(लाख ₹ में)

नकद एवं नकद समकक्ष	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
बैंकों में बैंक खाते में शेष राशि*	475.90	574.21	834.98
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से			
बैंकों में बैंक खाते में शेष राशि	23,868.12	30,428.89	7,202.73
3 महीने तक मूल परिपक्वता की फ्लेक्सी जमा राशि	2,695.26	125.00	19.78
कुल	**27,039.29**	**31,128.10**	**8,057.49**
*इसमें शेष राशि शामिल है:			
– अनुसंधान और विकास कोष	16.77	16.77	16.77
– सतत विकास कोष	12.91	12.91	12.91

नोट–12

(लाख ₹ में)

उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
अन्य बैंक बैलेंस			
3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा राशि (नीचे नोट (i) और (ii) देखें)	488.86	1,057.48	1,128.53

उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (नीचे नोट (i) और (ii) देखें)	1,932.60	4,070.21	20,163.35
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से			
3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा राशि (नीचे नोट (पपप) और (iv) देखें)	99,461.35	1,22,834.00	1,16,909.33
3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (नीचे नोट (i) और (ii) देखें)	1,26,974.74	1,45,168.92	1,34,528.20
कुल	**2,28,857.55**	**2,73,130.61**	**2,72,729.42**

नोटः

(i) जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है	11.08	43.81	226.44
(ii) बैंक गारंटी पर गिरवी रखी गई जमाराशियां शामिल हैं	1,603.30	1,063.00	1,606.82
(iii) जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है	2,538.29	2,926.33	3,730.06
(iv) इसमें साख पत्र के एवज में गिरवी रखी गई जमाराशियां शामिल हैं	48.90	2,063.11	516.94

नोट–13

(लाख ₹ में)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार		1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	
बयाना राशि और सुरक्षा जमा राशि						
– अच्छा माना गया	192.71	-	161.31	-	142.48	-
– संदिग्ध माना गया	14.44	-	14.44	-	14.44	-
	207.15	-	175.75	-	156.92	-
घटाया: अनर्जक भत्ता	(14.44)	192.71	(14.44)	161.31	(14.44)	142.48
कर्मचारी से वसूली योग्य अग्रिम*	-	18.51	-	29.47	-	24.57
ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे						
– संदिग्ध माना गया	13.01	-	13.01	-	13.01	-
घटाएँ: अनर्जक भत्ता	(13.01)	-	(13.01)	-	(13.01)	-
ग्राहकों से वसूली योग्य	-	3,143.58	-	5,528.28	-	1,433.72
अन्य वसूली योग्य	-	14.12	-	14.12	-	14.12
बिल न किए गए राजस्व''	-	47,755.60	-	32,305.98	-	14,675.81
ब्याज वसूली योग्य	-	352.45	-	352.44	-	352.45
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से						
अन्यों से प्राप्य***	-	87.22	-	85.16	-	3.03
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा						
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा (नोट (i) देखें)		38.72		227.59		183.30

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार		1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से सावधि जमा						
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमाराशियां (नोट (ii) देखें)		21,147.91		205.52		2,790.31
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा (टिप्पणी देखें (ii))		864.95		2,047.00		794.90
कुल		**73,615.77**		**40,956.88**		**20,414.69**
*अग्रिम पर अर्जित ब्याज शामिल है		0.76		2.14		2.61

**बिल न किए गए राजस्व में बाद के महीनों में किए गए और बिल किए गए निर्माण से संबंधित किए गए कार्य का मूल्य शामिल है

***रुपये की अंतर परियोजनाओं की असंगत शेष राशि शामिल है। 31 मार्च, 2022 तक 87.21 लाख और 31 मार्च, 2021 को 85.15 लाख।

(i) जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है	2.05	2.66	14.40
(ii) जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है	251.96	96.30	37.89

नोट–14

(लाख ₹ में)

वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
अग्रिम आयकर	11,627.04	10,704.87	9,968.96
घटाएँ: कराधान का प्रावधान	9,316.59	8,987.32	8,987.99
कुल	**2,310.45**	**1,717.55**	**980.97**

नोट–15

(लाख ₹ में)

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	20,040.18	15,687.89	19,457.09
शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति – ग्रेच्युटी	-	14.44	-
पूर्वदात व्यय	60.02	56.35	62.07
सरकारी अधिकारियों के पास शेष राशि	5.84	14.50	21.16
अन्य	8.32	4.38	16.87
कुल	**20,114.36**	**15,777.56**	**19,557.19**

नोट–16

(लाख ₹ में)

बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियाँ	-	1.65	1.65
कुल	**-**	**1.65**	**1.65**

बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति वित्त वर्ष 2021–22 में बेची गई थी और खातों की पुस्तकों में उचित वित्तीय प्रभाव लिया गया है।

नोट–17

(लाख ₹ में)

इक्विटी शेयर पूंजी	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार		1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राधिकृत:						
रु. 100/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 100)	5,00,000	500.00	5,00,000	500.00	5,00,000	500.00
जारी, सदस्यता और किया गया भुगतान:						
रु. 100/– (विगत वर्ष रु. 100) प्रत्येक के पूर्ण चुकता/प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,80,014	180.01	1,80,014	180.01	1,80,014	180.01
कुल	**1,80,014**	**180.01**	**1,80,014**	**180.01**	**1,80,014**	**180.01**

नोट–17क

(लाख ₹ में)

इक्विटी शेयर पूंजी	इक्विटी शेयर 31 मार्च, 2022 के अनुसार		इक्विटी शेयर 31 मार्च, 2021 के अनुसार		इक्विटी शेयर 1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	1,80,014	180.01	1,80,014	180.01	1,80,014	180.01
जोड़ें / (कम): वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर / (वापस खरीदें)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**1,80,014**	**180.01**	**1,80,014**	**180.01**	**1,80,014**	**180.01**

नोट–17ख

पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक धारण करने वाले शेयरधारक:

नाम	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार		1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड*	1,80,014	100%	1,80,014	100%	1,80,014	100%

* एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के नामांकित व्यक्तियों द्वारा रखे गए 42 (नंबर) शेयर शामिल हैं

नोट–17ग

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, वार्षिक आम बैठक सुनिश्चित करने में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। तरलीकरण की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं कंपनी सभी प्राथमिक राशियों के वितरण के बाद, उनकी शेयरधारिता के अनुपात में।

नोट–17घ

प्रमोटरों की शेयरधारिता

प्रमोटरों का नाम	शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार		1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	
		कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	179972	99.98%	-	99.98%	-	99.98%	-
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के 7 नामांकित व्यक्ति	42	0.02%	-	0.02%	-	0.02%	-

नोट–17ङ

वर्ष 2003–04, के दौरान, 100/– के प्रत्येक 1,20,009 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए गए थे।

वर्ष 2008–09, के दौरान, 100/– के प्रत्येक 80006 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए गए थे।

वर्ष 2017–18 के दौरान, 60,004 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 100/– के हिसाब से पूर्ण भुगतान किए गए, को वापस खरीदा गया।

नोट–17च

पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक धारण करने वाले शेयरधारकः (लाख ₹ में)

अन्य इक्विटी	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
जनरल रिजर्व	3,335.53	3,335.53	3,335.53
पूंजी मोचन रिजर्व	60.00	60.00	60.00
प्रतिधारित आय	10,842.78	8,813.94	7,645.45
अन्य व्यापक आय (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप)	(57.68)	(24.44)	(37.57)
कुल	**14,180.63**	**12,185.03**	**11,003.41**

रिजर्व और अधिशेष

अन्य भंडारों की प्रकृति और उद्देश्य

प्रतिधारित आय

प्रतिधारित अर्जन कंपनी के अविभाजित लाभ का प्रतिनिधित्व करती है।

सामान्य भंडार

सामान्य भंडार का अर्थ है वैधानिक भंडार, जो कॉरपोरेट कानून के अनुरूप होता है, जहां लाभ का एक हिस्सा सामान्य भंडार के लिए अंशांकित होता है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, किसी कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अकरने से पहले राशि को हस्तांतरित करना अनिवार्य था, हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सामान्य भंडार में किसी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेकाधिकार में किया जाता है।

पूंजी मोचन रिजर्व

यह रिजर्व इक्विटी शेयरों के बाय–बैक पर निर्मित रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह रिजर्व कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप अप्रयुक्त है।

नोट–18

(लाख ₹ में)

अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएँ	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
पट्टा देयताएं (गैर चालू)	3.41	4.91	6.28
पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वता	1.50	1.38	1.26
कुल पट्टा देयताएं	**4.91**	**6.29**	**7.54**

नोट–19

(लाख ₹ में)

प्रावधान– गैर वर्तमान	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः			
छुट्टी नकदीकरण	580.71	624.02	887.23
छुट्टी यात्रा भत्ता	-	1.62	1.40
कुल	**580.71**	**625.64**	**888.63**

प्रावधानों और कर्मचारी लाभ नोट के प्रत्येक वर्ग में संचालनों हेतु क्रमशः नोट 38 और 42 देखें।

नोट–20

(लाख ₹ में)

व्यापार देय	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कारण			
– कार्यों और सेवाओं के लिए व्यापार देय	7.60	45.60	479.39
अन्यों के कारण			
– कार्यों और सेवाओं के लिए व्यापार देय	14,289.62	16,472.75	35,113.15
रोकी गई राशि	28,933.59	32,955.66	38,003.14
कुल	**43,230.81**	**49,474.01**	**73,595.68**

नोट–20क

31 मार्च, 2022 तक देय व्यापार के लिए वृद्धावस्था इस प्रकार है:

(लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष से अधिक	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार देनदारियां					
एमएसएमई*	-	7.60		-	7.60
अन्य	12,914.06	13,969.10	7,487.67	8,852.38	43,223.21
विवादित बकाया– एमएसएमई*					-
विवादित बकाया– अन्य					-
कुल	**12,914.06**	**13,976.70**	**7,487.67**	**8,852.38**	**43,230.81**

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार एमएसएमई

नोट–20 ख

31 मार्च, 2021 को देय ट्रेड के लिए उम्र बढ़ना इस प्रकार है: (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष से अधिक	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार देनदारियां					
एमएसएमई*	7.60	33.94	4.06	0.00	45.60
अन्य	16,675.47	14,246.17	9,380.45	9,126.32	49,428.41
विवादित बकाया– एमएसएमई*					0.00
विवादित बकाया– अन्य					0.00
कुल	**16,683.07**	**14,280.11**	**9,384.51**	**9,126.32**	**49,474.01**

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार एमएसएमई

नोट–20 ग

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एमएसएमईडी अधिनियम, 2006") के तहत प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत खुद को पंजीकृत करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित विवरण हैं:

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 तक	01 अप्रैल, 2020 तक
(i)	वर्ष के अंत तक बकाया मूलधन राशि	-	38.00
(ii)	उपरोक्त मूलधन पर देय ब्याज और वर्ष के अंत तक बकाया राशि	-	7.60
(iii)	देय तिथि के बाद वर्ष के दौरान किए गए भुगतान		
	– प्रधानाचार्य	38.00	-
	– ब्याज	-	-
(iv)	पहले से भुगतान किए गए मूलधन के लिए देय और देय ब्याज	-	-
(v)	कुल अर्जित ब्याज और वर्ष के अंत में बकाया	7.60	7.60

नोट–21

(लाख ₹ में)

अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
बुक ओवरड्राफ्ट	234.30	2,519.27	8,744.03
लीज देयताओं की वर्तमान परिपक्वता	15,496.65	17,742.90	20,336.96
बयाना राशि और सुरक्षा जमा राशि	59.57	32.79	41.63
होल्डिंग कंपनी को देय राशि	36,637.11	25,315.49	9,487.67
अन्य देय	**52,427.64**	**45,610.45**	**38,610.29**

*रुपये की अंतर परियोजनाओं की असंगत शेष राशि शामिल है। 31 मार्च, 2022 तक 39.58 लाख और 31 मार्च, 2021 को 244.22 लाख।

नोट–22

(लाख ₹ में)

अन्य वर्तमान देयताएं	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
देय कर	1,484.92	1,697.55	2,436.70
लाभांश वितरण कर देय	-	-	-
ग्राहकों से अग्रिम शुल्क	30.11	579.18	499.56
ग्राहकों से जमा राशि	2,46,001.89	2,59,876.72	2,07,246.63
आस्थगित राजस्व	5,790.39	5,438.84	6,834.45
कुल	**2,53,307.31**	**2,67,592.29**	**2,17,017.34**

नोट–23

(लाख ₹ में)

प्रावधान – वर्तमान	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः			
ग्रेच्युटी	58.31	0.18	52.41
छुट्टी नकदीकरण	142.14	120.30	145.47
छुट्टी यात्रा भत्ता	-	1.23	1.06
प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए प्रावधान	292.04	276.10	838.09
अनुसंधान एवं विकास कोष	16.77	16.77	16.77
सतत विकास कोष	12.91	12.91	12.91
कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी	6.88	16.47	-
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	391.52	3,076.07	3,076.07
कुल	**920.57**	**3,520.03**	**4,142.78**

प्रावधानों और कर्मचारी लाभ नोट के प्रत्येक वर्ग में संचालनों हेतु क्रमशः नोट 38 और 42 देखें।

नोट–24

(लाख ₹ में)

परिचालन से राजस्व	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवाओं का मूल्य		
किए गए कार्य का मूल्य	1,36,041.06	1,41,194.10
परामर्श शुल्क		
कुल	**1,36,041.06**	**1,41,194.10**

नोट–25

(लाख ₹ में)

अन्य परिचालन से राजस्व	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	24.82	12.62
पुनः लिखित प्रावधान	-	0.41
विविध प्राप्तियाँ	0.01	7.50
कुल	**24.83**	**20.53**

नोट–26

(लाख ₹ में)

अन्य आय	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंक ब्याज सकल	148.21	207.60
ग्राहक की ओर से प्राप्त ब्याज'	10,635.95	14,501.21
कमः ग्राहकों को दिया जाने वाला ब्याज'	(10,635.95)	(14,501.21)
	148.21	207.60
कर्मचारियों को अग्रिम से ब्याज	0.78	1.31
आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ / (हानि)	3.64	0.00
कुल	**152.63**	**208.91**

*अनुमानित / अनंतिम आधार पर परिकलित 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ग्राहक के फंड पर अर्जित और ग्राहक को दी गई रु. 250.81 लाख की ब्याज आय शामिल है।

नोट–27

(लाख ₹ में)

कार्य और परामर्श व्यय	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय (सामग्री के साथ)	1,29,612.60	1,34,819.41
कुल	**1,29,612.60**	**1,34,819.41**

नोट–28

(लाख ₹ में)

कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और प्रोत्साहन*	3,184.58	3,149.24
भविष्य निधि और अन्य निधि को योगदान	526.11	450.83
ग्रेच्युटी फंड योगदान	62.92	54.93
छुट्टी नकदीकरण	106.81	44.23
यात्रा भत्ता	(2.52)	0.39
कर्मचारी कल्याण व्यय	30.52	29.21
चिकित्सा लाभ के लिए योगदान	67.54	48.16
कुल	**3,975.95**	**3,776.99**

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 (पिछले वर्षः शून्य) के दौरान चिकित्सीय और कल्याण न्यास में पर्याप्त योगदान नहीं दिया है, क्योंकि न्यासियों ने चिकित्सीय और कल्याण न्यास दोनों में उपलब्ध पर्याप्त राशि का निर्धारण किया है और संबंधित निधि में अतिरिक्त योगदान की कोई आवश्यकता नहीं है।

नोट–28क

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक, निदेशक (इंजीनियरिंग), मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक रु. 111.75 लाख (पिछला वर्ष रु. 133.73 लाख) जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, जहां व्ययों की अदायगी को बाहर रखा गया है:–

(₹ in Lakhs)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और प्रोत्साहन*	90.64	117.18
भविष्य निधि और अन्य निधि को योगदान	13.66	13.55
ग्रेच्युटी फंड योगदान**	2.95	0.20
छुट्टी नकदीकरण	4.22	2.67
यात्रा भत्ता	-	0.01
चिकित्सा लाभ के लिए योगदान	0.28	0.10
कुल	**111.75**	**133.73**

*लाभ से संबंधित वेतन की गणना अनुमान के आधार पर की जाती है।

**केएमपी के ग्रेच्युटी खर्च की गणना बीमांकिक मान्यताओं पर विचार किए बिना की जाती है।

नोट–29

(लाख ₹ में)

वित्त लागत	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
पट्टा देयता पर ब्याज लागत	0.48	0.60
कुल	**0.48**	**0.60**

नोट–30

(लाख ₹ में)

मूल्यह्रास और परिशोधन	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास*	138.77	146.93
पट्टा देयता पर ब्याज लागत	1.23	0.61
कुल	**140.00**	**147.54**

*मूल्यह्रास में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु रु. 6.41 लाख (पिछले वर्षः रु. 6.41 लाख) की उपयोग की संपत्ति पर मूल्यह्रास शामिल है।

नोट–31

(लाख ₹ में)

अन्य व्यय	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
विज्ञापन	8.94	6.45
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	23.10	21.00
बैंक शुल्क और गारंटी कमीशन	14.64	3.58
सीएसआर व्यय	110.17	136.47
निदेशक का बैठने का शुल्क	1.90	1.10
विनिमय हानि	274.65	(0.17)
बीमा	0.16	0.07
व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि हेतु प्रावधान	127.34	144.38
कानूनी और पेशेवर शुल्क	38.86	39.61
विविध व्यय	6.89	7.74

अन्य व्यय	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
डाक और टेलीफोन	28.80	27.96
छपाई और स्टेशनरी	944.70	165.11
दरें और कर	1.78	5.18
किराया'	4.18	12.69
मरम्मत और रखरखाव		
(i) संयंत्र और मशीनरी / वाहन / उपकरण	28.47	29.21
(ii) भवन	61.72	64.57
(iii) अन्य	24.53	25.47
यात्रा और वाहन	116.13	80.42
जल, बिजली और संबद्ध शुल्क	35.76	30.49
कुल	**1,852.72**	**801.33**

*भाड़े में सभी पट्टों पर किए गए लीज रेंटल भुगतान शामिल हैं जिनकी अवधि बारह महीने से अधिक नहीं है, और अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है।

नोट–31क

(लाख ₹ में)

लेखा परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ऑडिट शुल्क	13.20	12.00
टैक्स ऑडिट	4.95	4.50
तिमाही लिमिटेड समीक्षा	4.95	4.50
कुल	**23.10**	**21.00**

नोट–32

(लाख ₹ में)

असाधारण आइटम – आय / (व्यय)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वापस लिखा प्रावधान	2,684.55	-
कुल	**2,684.55**	**-**

नोट–33

(लाख ₹ में)

कर व्यय	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कर व्यय में शामिल हैं:		
वर्तमान आयकर	366.68	-
आस्थगित कर'	474.29	510.03
पिछले वर्ष के संबंध में कराधान	(37.42)	(0.67)
कुल	**803.56**	**509.36**

*इंड एएस–8 के अनुसार वित्तीय विवरण के पुनर्कथन के कारण, पिछले वर्षों की आयकर देयता को आस्थगित कर देयता में शामिल किया गया है, जिसे उलट दिया गया है और चालू वर्ष और कंपनी के वर्तमान कर व्यय में दिखाया गया है। रुपये के लिए अन्य आकस्मिकता के प्रावधान को उलट दिया है। वर्ष के दौरान 2,684.55 लाख, फलस्वरूप उस पर पड़ी आस्थगित कर संपत्ति भी उस सीमा तक उलट जाती है। उत्क्रमण का वर्तमान आयकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट –33क: प्रभावी कर दर का समाधान

आयकर व्यय के प्रमुख घटक और कंपनी की घरेलू प्रभावी कर दर और लाभ या हानि में रिपोर्ट किए गए कर व्यय के आधार पर अपेक्षित कर व्यय का समाधान इस प्रकार है: (लाख ₹ में)

कर समाधान	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सतत संचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	3,321.32	1,877.67
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	**3,321.32**	**1,877.67**
भारत की सांविधिक आयकर दर पर	25.168%	25.168%
आयकर	835.91	472.57
गैर–कटौती योग्य व्यय का प्रभाव	5.07	37.46
पिछले वर्ष के संबंध में कराधान (स्थायी अंतर के कारण)	(37.42)	(0.67)
कर व्यय	**803.56**	**509.36**
वास्तविक कर व्यय	803.56	509.36
प्रभावी कर की दर	**24.19%**	**27.13%**

नोट–34

(लाख ₹ में)

अन्य व्यापक आय	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)	(44.41)	17.55
उपरोक्त का आयकर प्रभाव	11.18	(4.42)
Total	**(33.23)**	**13.13**

नोट–35

प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना "प्रति शेयर आय" पर भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक–33) के अनुसार की जाती है। (लाख ₹ में)

आय प्रति इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आय प्रति इक्विटी शेयर		
मूल / मंदित आय हेतु इक्विटी धारकों के कारण होने वाला लाभ (निरंतर संचालन)	2,517.76	1,368.31
बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या:		
वर्ष की शुरुआत में (सं.)	1,80,014	1,80,014
वर्ष के अंत में (सं.)	1,80,014	1,80,014
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या)	1,80,014	1,80,014
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	100.00	100.00
आय प्रति इक्विटी शेयर		
(1) मूल (₹ में)	1,398.64	760.11
(2) मंदित (₹ में)	1,398.64	760.11

नोट – 36

I. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(लाख ₹ में)

क.

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
ईएसआई – निदेशक, कर्मचारियों राज्य बीमा कॉर्पोरेशन, कानपुर के दावों को 01.01.1997 से 31.07.2004 के बीच अवधि के लिए ईएसआई अधिनियम के अधीन नहीं किया गया	1.83	1.83
बैंक प्रत्याभूति – कंपनी की ओर से निर्माण परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा जारी उत्कृष्ट प्रदर्शन बैंक प्रत्याभूति।	1,603.30	1,063.00
भविष्य निधि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) द्वारा वर्ष 2004–05 से 2008–09 के दौरान कंपनी द्वारा नियोजित ठेकेदारों के माध्यम से संविदा कर्मचारियों के संबंध में उठाई गई मांग। पीएफ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील लंबित। राशि पहले ही 5.15 लाख रुपये जमा कर दी गई है। हालांकि, लॉकडाउन के कारण मामला अभी भी लंबित है, हालांकि सुनवाई की अंतिम तारीख 16/04/2020 थी।	6.86	6.86
आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांग: सहायक वर्ष 2020–21 के लिए आयकर की मांग– मूल रिटर्न दिनांक 20/09/2021 की धारा 143 (1) के खिलाफ अपील दायर की गई है, जिसमें रिफंड की राशि को 20/09/2011 तक कम कर दिया गया है। सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित 246.66 लाख 14.10.2021 को आय के अतिरिक्त और विभिन्न अस्वीकरणों के संबंध में दायर किए गए। हालांकि, दिनांक 02/12/2021 के संशोधित विवरणी की धारा 143(1) के तहत सूचना के परिणामस्वरूप लौटाई गई आय और लौटाई गई कर देयता में कोई समायोजन नहीं हुआ। एचएससीसी ने विभाग द्वारा वांछित अपेक्षित दस्तावेज जमा कर दिए हैं।	246.66	-
सहायक वर्ष 2018–19 के लिए आयकर की मांग– लाभांश वितरण कर के क्रेडिट की आय और अस्वीकृति के संबंध में 18.02.2021 को सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील। जांच मूल्यांकन के लिए विभाग द्वारा अभी सुनवाई की तिथि की सूचना नहीं दी गई है।	431.02	431.02
सहायक वर्ष 2014–15 के लिए आयकर की मांग– आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील सरकारी निधियों पर टीडीएस की अस्वीकृति के संबंध में 20.09.2018 को दायर की गई। अब माह सितंबर–2018 में 42.14 लाख रुपये की राशि के खिलाफ आईटीएटी में अपील दायर की गई है।आयकर विभाग ने आईटीएटी के समक्ष सीआईटी (अपील) द्वारा तय किए गए मामले के खिलाफ अपील की थी।आय में वृद्धि और टीडीएस क्रेडिट की अस्वीकृति से विभागीय अपील का कुल प्रभाव 89.39 लाख है। सुनवाई की अगली तारीख 28–जून–2022 है।	131.53	42.14
जीएसटी विभाग द्वारा उठाए गए मांग:		
वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए जीएसटीआर–3 बी के देर से दाखिल होने के कारण ब्याज की मांग मध्य प्रदेश (एमपी) के जीएसटी विभाग द्वारा उठाई गई है जिसके लिए एचएससीसी ने मार्च –22 के महीने में अपील दायर की है।	0.15	
कुल	**2,421.35**	**1,544.85**

ख. कंपनी रुपये 13.48 लाख की बकाया टीडीएस मांग को रद्द करने के लिए एओ के समक्ष आवेदन भरने की प्रक्रिया में है। (31 मार्च 2021 12.73 लाख रुपये)

ग. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

कंपनी ने एक भवन स्थान खरीदा है जो अभी भी पंजीकरण के लिए लंबित है और पंजीकरण शुल्क की लागत लगभग 500 लाख रुपये होगी और ओखला बिल्डिंग में बनाए जा रहे नए आंतरिक कार्य के लिए 192 लाख रुपये का अनुबंध किया है और यह पुस्तकों में प्रदान किया गया था (पिछला वर्ष रू 76.37 लाख)। आंतरिक कार्य के लिए कोई और पूंजी प्रतिबद्धता नहीं है।

II. मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से आकस्मिक देयताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

क) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा सामग्री की आपूर्ति और कार्य अनुबंधों के लिए कुल 23,224.05 लाख रुपये (31 मार्च 2021 17,731.26 लाख रुपये) के दावे विभिन्न ग्राहकों के खिलाफ अदालत/मध्यस्थता के अधीन हैं और उपरोक्त पर ब्याज 8752.16 लाख रुपये (31 मार्च 2021 7,519.28 लाख रुपये) है। उपरोक्त राशि में 22–फरवरी–2022 को श्पार्किन्स एंड एडिफिसश के पक्ष में मध्यस्थता का एक अवार्ड घोषित किया गया था और 31.03.2022 को वित्तीय निहितार्थ 3113.06 लाख रुपये है। चूंकि पुरस्कार प्राप्ति के 90 दिन अभी समाप्त नहीं हुए हैं और पुरस्कार की आगे की कार्रवाई विचाराधीन है।

ख) 31 मार्च, 2022 तक विदेशी ऋण पत्र की राशि रु. 7.54 लाख (31 मार्च 2021 रु. 1979.99 लाख) आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में और मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से खोली गयी । हालांकि, इन मामलों में प्रबंधन कंपनी पर कोई दायित्व नहीं देखता है।

III. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
कंपनी ने विभिन्न पक्षों के खिलाफ मध्यस्थ / अदालत / अन्य अधिकारियों के समक्ष कुछ मामले दायर किए हैं। मुकदमों के जीतने की प्रबल संभावना है और संभावना है कि उक्त लाभ प्राप्त हो जाए।	3.55	3.55

नोट – 37

लाभांश और भंडार (₹ in Lakhs)

लाभांश और भंडार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पर नकद लाभांश		
वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अंतरिम लाभांश	100.00	-
वित्त वर्ष 2020–21 का अंतिम लाभांश घोषित	388.92	-
वित्त वर्ष 2020–21 के अंतरिम लाभांश का भुगतान	-	199.82

निदेशक मंडल ने 288 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है और यह कंपनी की आम बैठक में शेयरध ाारकों के अनुमोदन के अधीन है।

नोट – 38

कर्मचारी लाभ पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) – 19 के तहत प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

आनुतोषिक (ग्रेच्युटी)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ आनुतोषिक योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा दी है, आनुतोषिक अधिनियम 1972 के अनुसार सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) पाने का हकदार है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जिसका नाम सह–जीवन बीमा पॉलिसी ली है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए समूह ग्रेच्युटी सह–जीवन बीमा पॉलिसी ली है, जिसमें 35 कर्मचारी शामिल हैं। इसकी देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम को देय राशि के आधार पर स्वीकार की जाती है, जिसकी गणना उनके द्वारा वार्षिक आधार पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का इस्तेमाल कर बीमांकिक मूल्यांकन पर की जाती है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है और उसी के अनुरूप

ग्रेच्युटी ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दी जाती है। 31 मार्च, 2022 तक 143 कर्मचारियों वाली ग्रेच्युटी पॉलिसी और 35 कर्मचारियों वाली ग्रेच्युटी पॉलिसी की देय/ प्राप्य राशि क्रमशः ₹ 56.50 लाख {31 मार्च, 2021: ₹ 14.44 लाख प्राप्य} और ₹ 1.82 लाख देय {31 मार्च, 2021: ₹ 0.18 लाख देय} है।

अर्जित अवकाश

कंपनी के पास अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए एक दीर्घकालिक लाभ योजना है। वर्ष के अंत में अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का प्रावधान (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) प्रदान किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2021–22 के लिए देयता का लेखा–जोखा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2022 को अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए संचयी

बीमार अवकाश

कंपनी के पास बीमार अवकाश नकदीकरण के लिए एक दीर्घकालिक लाभ योजना है। अधिवर्षिता पर अर्ध–वेतन अवकाश के नकदीकरण की अनुमति अर्जित अवकाश के नकदीकरण के अतिरिक्त 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन होगी। बीमारी की छुट्टी के लिए देय नकद समतुल्य अर्ध वेतन और डीए के लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन के बराबर होगा और अर्जित अवकाश में कमी को पूरा करने के लिए होगा। इस प्रयोजन के लिए बीमारी अवकाश के किसी भी रूपान्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2021–22 के लिए देयता का लेखा–जोखा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2022 को बीमारी अवकाश नकदीकरण के लिए संचयी देयता

क) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि इस प्रकार है (लाख ₹ में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2021-22	968.71	14.92	384.15	338.71
	2020-21	962.60	7.18	378.67	365.64
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2021-22	912.21	13.10	-	-
	2020-21	977.04	7.01	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल (संपत्ति)/देयता	2021-22	56.50	1.82	384.15	338.71
	2020-21	(14.44)	0.18	378.67	365.64

ख) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार है : (लाख ₹ में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
वर्तमान सेवा लागत	2021-22	55.25	6.91	39.00	23.80
	2020-21	44.19	4.79	39.45	26.15
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	2021-22	67.48	0.50	25.79	24.90
	2020-21	63.17	0.16	46.16	25.20
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	2021-22	(68.39)	(0.49)	-	-
	2020-21	(64.74)	-	-	-
फंड प्रबंधन शुल्क	2021-22	7.02	-	-	-
	2020-21	4.68	-	-	-
उक्त अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	2021-22	-	-	45.87	(52.55)
	2020-21	-	-	(49.57)	(43.16)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय*	2021-22	61.35	6.92	110.66	(3.85)
	2020-21	47.29	4.95	36.04	8.19

लाभ और हानि के विवरण में ग्रेच्युटी व्यय में 2.18 लाख रुपये का ग्रेच्युटी बीमा शामिल है {31 मार्च, 2021: ₹ 2.69 लाख रुपये}

ग) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार हैं:

(लाख ₹ में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)
परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2021-22	(35.89)	0.33
	2020-21	(17.55)	(0.00)
बीमांकिक (लाभ)/परिसंपत्ति पर हानि	2021-22	(8.44)	(0.24)
	2020-21	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	2021-22	(44.33)	0.09
	2020-21	(17.55)	(0.00)

घ) परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभिक और अंतिम शेषों का मिलान निम्नानुसार है:

(लाख ₹ में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2021-22	964.05	7.18	378.67	365.64
	2020-21	902.38	2.23	668.04	364.66
अधिग्रहण समायोजन	2021-22	-	-	-	-
	2020-21	-	-	-	-
ब्याज लागत	2021-22	67.48	0.50	25.79	24.90
	2020-21	63.17	0.16	46.16	25.20
वर्तमान सेवा लागत	2021-22	55.25	6.91	39.00	23.80
	2020-21	44.19	4.79	39.45	26.15
बीमांकिक (लाभ)/हानि से उत्पन्न होने वाली हानि					
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्त	2021-22	-	-	-	-
	2020-21	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	2021-22	-	-	(13.99)	(9.12)
	2020-21	-	-	(34.94)	(25.71)
अनुभव समायोजन	2021-22	35.89	0.33	59.86	(43.43)
	2020-21	(17.55)	(0.00)	(14.63)	(17.44)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
विगत सेवा लागत	2021-22	-	-	-	-
	2020-21	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	2021-22	(153.95)		(105.18)	(23.09)
	2020-21	(29.60)		(325.41)	(7.20)
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2021-22	**968.71**	**14.92**	**384.15**	**338.71**
	2020-21	**962.60**	**7.18**	**378.67**	**365.64**

ङ) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक और अंतिम शेष राशि का मिलान निम्नानुसार है : (लाख ₹ में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2021-22	977.04	7.01
	2020-21	852.21	-
ब्याज आय	2021-22	66.97	0.73
	2020-21	64.74	-
पुनः मापन लाभ/(हानि)–शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल)	2021-22	-	-
	2020-21	-	-
नियोक्ता से योगदान	2021-22	29.18	6.84
	2020-21	94.36	7.01
फंड प्रबंधन शुल्क	2021-22	(7.02)	(1.48)
	2020-21	(4.68)	-
भुगतान किए गए लाभ	2021-22	(153.95)	-
	2020-21	(29.60)	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2021-22	912.21	13.10
	2020-21	977.04	7.01

च) बीमांकिक अनुमान इस प्रकार हैं:

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
छूट दर	2021-22	7.00%	7.00%	7.16%	7.16%
	2020-21	7.00%	7.00%	6.81%	6.81%
भविष्य की अपेक्षित दर वेतन वृद्धि	2021-22	7.00%	7.00%	6.00%	6.00%
	2020-21	7.00%	7.00%	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	2021-22	58	58	60	60
	2020-21	58	58	60	60
प्रति कर्मचारी लागत (₹ में)	2021-22	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
आयु		**निकासी दर**	**निकासी दर**	**निकासी दर**	**निकासी दर**
30 वर्षों तक	2021-22	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
	2020-21	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	2021-22	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	2020-21	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	2021-22	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	2020-21	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
अवकाश					
अवकाश लाभ प्राप्ति दर	2021-22	लागू नहीं	लागू नहीं	2.50%	2.50%
	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं	2.50%	2.50%
सेवा में रहते हुए अवकाश चूक दर	2021-22	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
सेवा छोड़ने पर अवकाश–चूक दर	2021-22	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	60.00%
	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	60.00%
सेवा में रहते हुए अवकाश नकदीकरण दर	2021-22	लागू नहीं	लागू नहीं	25.00%	शून्य
	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं	25.00%	शून्य
विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दरः	2021-22	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)
	2020-21	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)

योजना प्रावधानों से जुड़े जोखिम

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। इस तरह की कंपनी विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है, जो निम्नानुसार हैः

वेतन वृद्धि	वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देनदारी में वृद्धि होगी। इसी के साथ वेतन में वृद्धि, भविष्य के मूल्यांकन में दर अनुमान में वृद्धि, देयता में भी वृद्धि होगी।
निवेश जोखिम	यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो परिसंपत्तियां और देनदारियां बेमेल होंगी और परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश रिटर्न अंतिम मूल्यांकन तिथि पर ग्रहण की गई छूट दर से कम होगा जो देयता को प्रभावित कर सकता है।
छूट की दर	बाद के मूल्यांकन में छूट दर में कमी से योजना की देनदारी बढ़ सकती है।
मृत्यु दर और विकलांगता	वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले, जो मूल्यांकन में अनुमान दर से कम या अधिक साबित होते हैं, देनदारियों को प्रभावित कर सकते हैं।
निकासी	वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी की तुलना में अधिक या कम साबित होती है और बाद के मूल्यांकन पर निकासी दरों में बदलाव योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

छ) मार्च 2022 के वर्ष हेतु परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:

(लाख ₹ में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
परिभाषित लाभ दायित्व की अवधि अवधि (वर्ष)					
1	2022-23	297.95	0.02	78.64	63.50
2	2023-24	46.27	0.03	15.25	25.78
3	2024-25	24.70	0.34	41.46	37.21
4	2025-26	82.73	0.33	18.81	18.70
5	2026-27	35.72	0.33	6.71	9.07
5 से ऊपर	2026-27 के बाद	481.35	13.88	223.28	184.45
कुल		**968.71**	**14.92**	**384.15**	**338.71**

ज) सदस्यता डेटा का सारांश:

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
कर्मचारियों की संख्या	2021-22	143	35	179	179
	2020-21	157	26	183	183
कुल मासिक वेतन (लाख में)	2021-22	125.87	13.99	141.41	141.41
	2020-21	124.1	9.4	134.39	134.39
औसत विगत सेवा (वर्ष)	2021-22	13.37	1.95	11.15	11.15
	2020-21	12.84	1.45	11.23	11.23
औसत आयु (वर्ष)	2021-22	42.25	29.42	39.82	39.82
	2020-21	41.84	28.42	39.98	39.98
औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	2021-22	15.75	28.58	20.18	20.18
	2020-21	16.16	29.58	20.02	20.02

झ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजनागत परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) निम्नानुसार हैं:

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड	2021-22	100%	100%	-	-
	2020-21	100%	100%	-	-

ञ) संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नानुसार है:

छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव (लाख ₹ में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	2021-22	(30.87)	(1.48)	(18.57)	(12.29)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	2021-22	33.35	1.69	20.17	13.12

वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव (लाख ₹ में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	2021-22	16.87	1.68	20.37	13.25
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	2021-22	(19.01)	(1.49)	(18.71)	(12.38)

*मृत्यु दर और निकासी दर में 0.5% वृद्धि/कमी के कारण परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन, यदि अन्य सभी धारणाएं स्थिर रहती हैं, तो नगण्य है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होता है।

नोट–39

संबंधित पार्टी लेनदेन

होल्डिंग कंपनी

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

1 श्री पवन कुमार गुप्ता, अध्यक्ष
(7 अक्टूबर, 2019 से अब तक)

2 श्री ज्ञानेश पांडे (प्रबंध निदेशक)
(31 मई, 2011 से 31 जुलाई, 2021 तक)

3 श्री सुरेश चंद्र गर्ग, निदेशक (इंजीनियरिंग)
(15 जनवरी, 2020 से अब तक)

4 श्रीमती विनोद पंथी, स्वतंत्र निदेशक
(1 अगस्त, 2019 से अब तक)

5 श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला, स्वतंत्र निदेशक
(27 अप्रैल, 2020 से अब तक)

6 श्री दीपक सिंह भाकर, स्वतंत्र निदेशक
(15 नवंबर, 2021 से अब तक)

7 श्रीमती डी। थारा, सरकार द्वारा नामित निदेशक
(01 जनवरी, 2020 से अब तक)

8 श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी
(1 सितंबर, 2021 से अब तक)

9 श्री महेश चंदबंसल, मुख्य वित्तीय अधिकारी
(07 अगस्त, 2019 से 31 अगस्त, 2021 तक)

10 श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव
(18 नवंबर, 2019 से अब तक)

श्री ज्ञानेश पांडे (प्रबंध निदेशक) 31 जुलाई, 2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं और श्री सुरेश चंद्र गर्ग, निदेशक (इंजीनियरिंग) को 01 अगस्त, 2021 से प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

(लाख ₹ में)

लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	होल्डिंग कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	होल्डिंग कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
बकाया शेष राशि				
प्राप्य राशि / (देय)*	(59.57)	-	(32.79)	-
पूर्वदात व्यय	110.63	-	165.94	-
*देय राशि को डब्ल्यूआरटी से जोड़ता है				
फोरेंसिक ऑडिट व्यय देय	(31.95)		(31.95)	
उपनियुक्ति प्रभार देय	(2.87)		(0.84)	
एसआईसी –3 के लिए अग्रिम	(24.75)		-	

(लाख ₹ में)

लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	होल्डिंग कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	होल्डिंग कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
भवन अनुरक्षण प्रभार	55.31	-	55.31	-
उपनियुक्ति प्रभार'	19.06	-	45.78	-
प्रदत्त लाभांश	488.92	-	199.82	-
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	111.77	-	133.73
स्वतंत्र निदेशक को बैठने की फीस: –				
(i) श्रीमती विनोद पंथी, स्वतंत्र निदेशक	-	0.80	-	0.60
(ii) श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला, स्वतंत्र निदेशक	-	0.80	-	0.50
(iii) श्री डॉ. दीपक सिंह, स्वतंत्र निदेशक		0.30		

ऊपर उल्लिखित प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित विवरण

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु			
		अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	नियोजन उपरांत प्रतिलाभ	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	कुल
1.	श्री ज्ञानेश पांडेय, प्रबंध निदेशक	15.47	2.43	(3.26)	14.64
2.	श्री सुरेश चन्द्र गर्ग, निदेशक (अभियांत्रिकी)	36.15	5.74	6.61	48.50
3.	श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी	18.07	2.85	3.61	24.53
4.	श्री महेश चंदबंसल, मुख्य वित्तीय अधिकारी	15.78	-	-	15.78
5.	सुश्री सोनिया सिंह, कंपनी सचिव	7.00	1.10	0.22	8.32
	कुल	**92.47**	**12.12**	**7.18**	**111.77**

*कोष्ठक में आंकड़े अतिरिक्त प्रावधान को दर्शाते हैं जो वापस लिखा जाता हैध अतिरिक्त अवकाश लिया जाता है।

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु			
		अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	नियोजन उपरांत प्रतिलाभ	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	कुल
1.	श्रीज्ञानेश पांडेय, प्रबंध निदेशक	46.38	7.20	(0.77)	52.81
2.	श्री सुरेश चन्द्र गर्ग, निदेशक (अभियांत्रिकी)	33.91	5.31	3.08	42.30
3.	श्री महेश चंदबंसल, मुख्य वित्तीय अधिकारी	30.48	-	-	30.48
4.	सुश्री सोनिया सिंह, कंपनी सचिव	6.52	1.24	0.38	8.14
	कुल	**117.29**	**13.76**	**2.69**	**133.73**

*कोष्ठक में आंकड़े अतिरिक्त प्रावधान को दर्शाते हैं जो वापस लिखा जाता है/अतिरिक्त अवकाश लिया जाता है।

नोट–40

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 108 खंडों के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार, कंपनी के मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता होने के नाते निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल द्वारा नियमित रूप से समीक्षा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिचालन खंडों की पहचान की है।

भौगोलिक खंड

कंपनी के संचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किए जाते हैं और इसलिए, भौगोलिक खंडों का खुलासा नहीं किया जाता है।

ग्राहकों के अनुसार राजस्व (राजस्व का 10% से अधिक):

राजस्व में 10 प्रतिशत से अधिक योगदान करने वाले ग्राहकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
1	एम्स दिल्ली	10.56%	14.93%
2	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली	57.99%	56.07%

नोट–41

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटीकरण

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
धारा 135 (5)* के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	5508.55	6823.33
धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	110.17	136.47
पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।	-	-
वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि,	-	-
वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व	**110.17**	**136.47**
व्यय की गयी वास्तविक राशि (प्रशासनिक उपरिव्यय सहित)	105.11	120.00
व्यय की गईअधिशेष राशि	-	-
अव्ययित राशि''	5.06	16.47

*औसत शुद्ध लाभ की गणना संबंधित वर्षों के लिए पुनर्स्थापित लाभ के आधार पर की जाती है।

**वित्तीय विवरण के पुनर्कथन के कारण सीएसआर प्रावधान शामिल है 5.06 1.83

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:					
वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (लाख रुपये में)	अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची–VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
105.11	शून्य	लागू नहीं	–	शून्य	लागू नहीं

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:				
गत वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो,	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि।
2018-19	शून्य	134.16	शून्य	शून्य
2019-20	शून्य	129.25	शून्य	शून्य
2020-21	शून्य	120.00	शून्य	16.47*

*वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पीएम केयर्स फंड में दान के रूप में 14.64 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। शेष 1.83 लाख रुपये की राशि वित्तीय विवरणों की पुनर्कथन के कारण है, इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान खर्च किया जाएगा।

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु		
	नकद में	नगद भुगतान हेतु अभी भी शेष है	कुल	नकद में	नगद भुगतान हेतु अभी भी शेष है	कुल
I. किसी भी परिसंपत्तियों का निर्माण रु अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
II. उपरोक्त I के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु						
क. कोविड–19 के पीएम केयर्स (प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत) कोष में दान।	95.00	5.06	100.06	120.00	16.47	136.47
ख. गुजरात सीएसआर प्राधिकरण*	10.11	0.00	10.11	-	-	-
कुल	**105.11**	**5.06**	**110.17**	**120.00**	**16.47**	**136.47**

*31 मार्च 2022 तक 0.45 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है और शेष राशि का उपयोग गुजरात सीएसआर प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

नोट–42

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ग (वर्तमान और गैर–वर्तमान) के संसाधनों के आंदोलनों को नीचे वर्णित किया गया हैरू

प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों पर भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 37 के तहत प्रकटीकरणः

(लाख ₹ में)

विशेष	आनुतोषिक	अवकाश के बदले नकद भुगतान	अवकाश यात्रा रियायत	पीआरपी के लिए प्रावधान	अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	अनुसंधान एवं विकास कोष	सतत विकास कोष	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कोष
1 अप्रैल, 2020 तक	**52.41**	**1,032.70**	**2.46**	**838.09**	**3,076.07**	**16.77**	**12.91**	**-**
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	49.14	44.23	0.39	54.95	-	-	-	136.47
कमः वर्ष के दौरान किए गए उत्क्रमण	-	-	-	(0.41)	-	-	-	-
कमः वर्ष के दौरान भुगतान किया	(101.37)	(332.61)	-	(616.54)	-	-	-	(120.00)
31 मार्च, 2021 तक	**0.18**	**744.32**	**2.85**	**276.09**	**3,076.07**	**16.77**	**12.91**	**16.47**
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	92.88	106.80	-	59.28	-	-	-	110.16
कमः वर्ष के दौरान किए गए उत्क्रमण	-	-	(2.85)	(43.33)	(2,684.55)	-	-	-
कमः वर्ष के दौरान भुगतान किया	(34.76)	(128.27)	-	-	-	-	-	119.75
31 मार्च, 2022 तक*	**58.31**	**722.85**	**-**	**292.04**	**391.52**	**16.77**	**12.91**	**6.88**

नोट–43

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

उचित मूल्य प्रकटीकरण

(i) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तुलन पत्रों में उचित मूल्य पर मापा जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में बांटा गया है। माप के लिए महत्वपूर्ण निविष्टि के अवलोकन के आधार पर तीन स्तरों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (गैर–समायोजित)
- स्तर 2: वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य, जिनका एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं होता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करता है, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करता है।
- स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टि बाजार के अवलोकन योग्य डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो लिखतों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप

कंपनी के पास ऐसा कोई वित्तीय लिखत नहीं है जिसे उचित मूल्य पर मापा जाता है, या तो लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से, या अन्य व्यापक आय के माध्यम से।

(iii) परिशोधन लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य

परिशोधन लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य, जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है, निम्नानुसार है

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट संदर्भ	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
व्यापार प्राप्तियां	**नोट –10**	3,947.87	3,947.87	5,960.71	5,960.71
नकद और नकदी के समतुल्य	**नोट –11**	27,039.29	27,039.29	31,128.10	31,128.10
अन्य बैंक बैलेंस	**नोट –12**	2,28,857.55	2,28,857.55	2,73,130.61	2,73,130.61
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:					
वर्तमान	**नोट –13**	73,615.77	73,615.77	40,956.88	40,956.88
गैर–वर्तमान	**नोट –7**	30.87	30.87	33.54	33.54
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**3,33,491.34**	**3,33,491.34**	**3,51,209.84**	**3,51,209.84**

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट संदर्भ	31 मार्च, 2022 के अनुसार			31 मार्च, 2021 के अनुसार		
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	उचित मूल्य	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
वित्तीय देयताएं							
व्यापार देयताएं	**नोट –20**	-	43,230.80	43,230.80	-	49,474.01	49,474.01
अन्य वित्तीय देयताएं	**नोट –21**	-	52,427.64	52,427.64	-	45,610.45	45,610.45
पट्टे की देयताएं:	**नोट –18**						
वर्तमान		-	1.50	1.50	-	1.38	1.38
गैर–वर्तमान		-	3.41	3.41	-	4.91	4.91
कुल वित्तीय देयताएं		**-**	**95,663.35**	**95,663.35**	**-**	**95,090.74**	**95,090.74**

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, अन्य प्राप्य, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां, इन लिखतों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी अग्रणीत राशि का अनुमान लगाती हैं।

नोट – 44

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियाँ इसे ऋण जोखिम, नकदी प्रवाह जोखिम और बाजार जोखिम के लिए उजागर करती हैं। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की समग्र जिम्मेदारी है। यह नोट जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे इकाई उजागर होती है और वित्तीय विवरणों में इकाई जोखिम और संबंधित प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

(क) ऋण जोखिम

कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य) और बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अपनी निवेश गतिविधियों से ऋण जोखिम के संपर्क में है।

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्ग के लिए विशिष्ट मान्यताओं, इनपुट और कारकों के आधार पर आने वाली निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के ऋण जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है।

कः वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम

खः मध्यम ऋण जोखिम

गः उच्च ऋण जोखिम

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋणहानि प्रदान करती हैः

परिसंपत्ति समूह	वर्गीकरण का आधार	व्यय ऋण हानि के लिए प्रावधान
कम ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12 महीने की अपेक्षित ऋण हानि
मध्यम ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्तियां	आजीवन अपेक्षित ऋण हानि
उच्च ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्तियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	आजीवन अपेक्षित ऋण हानि या इसके लिए पूरी तरह से प्रदान किया गया

व्यापार प्राप्तियां के संबंध में, कंपनी आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के लिए एक प्रावधान को मान्यता देती है।

कारोबार के माहौल के आधार पर जिसमें कंपनी संचालित होती है, एक वित्तीय परिसंपत्ति पर एक पूर्व निर्धारित मूल्य (डिफॉल्ट या चूक) पर विचार किया जाता है, जब काउंटर पार्टी अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है या इसे मामला दर मामला आधार पर तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर बाद में निर्णय लिया जाता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक ऋण हानि अनुभव पर आधारित होती हैं, और वर्तमान तथा ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियों के बीच अंतर पर विचार करती हैं।

जब वसूली की कोई उचित अपेक्षा नहीं होती है, जैसे कि देनदार द्वारा दिवालिया घोषित करने या कंपनी के खिलाफ मुकदमें–बाजी का निर्णय आ जाता है। कंपनी उन पार्टियों के साथ जुड़ना जारी रखती है जिनकी शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है, और राशि को वसूलने का प्रयास करती रहती है। की गई वसूली को लाभ और हानि के विवरणों में दर्ज किया जाता है।

(लाख ₹ में)

ऋण (ऋण) रेटिंग	विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
कः कम ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेषराशि और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,29,543.48	3,24,150.21
खः मध्यम ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्तियां	6,200.29	7,328.03
गः उच्च ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्तियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	895.06	835.47

व्यापार प्राप्तियों का संकेन्द्रण

व्यापार प्राप्तियां के लिए ऋण जोखिम के लिए कंपनी का प्रमुख जोखिम विभिन्न सरकारी विभागोंध्मंत्रालयों से है।

ऋण जोखिम अनावरण

अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने और आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है –

कः कम ऋण जोखिम

31 मार्च, 2022 तक

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
नकद और नकद समकक्ष	**नोट –11**	27,039.29	-	27,039.29
अन्य बैंक बैलेंस	**नोट –12**	2,28,857.55	-	2,28,857.55
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**नोट –7,13**	73,646.64	-	73,646.64

31 मार्च, 2021 तक

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
नकद और नकद समकक्ष	**नोट–11**	31,128.11	-	31,128.11
अन्य बैंक बैलेंस	**नोट –12**	2,75,610.71	-	2,75,610.71
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**नोट –7, 13**	40,990.43	-	40,990.43

खः मध्यम ऋण जोखिम

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

31 मार्च, 2022 के अनुसार

(लाख ₹ में)

काल प्रभावन	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
सकल वहन राशि	**नोट–10**	1,002.07	2,065.13	1,231.58	1,901.51	6,200.29
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)		-	321.64	427.20	1,503.58	2,252.43
व्यापार प्राप्तियों की संवहन राशि (हानि का शुद्ध)		**1,002.07**	**1,743.49**	**804.37**	**397.93**	**3,947.87**

31 मार्च, 2021 तक (लाख ₹ में)

काल प्रभावन	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
सकल वहन राशि	नोट–10	2,833.66	1,936.61	1,251.07	1,306.69	7,328.03
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)		-	189.88	298.58	878.85	1,367.32
व्यापार प्राप्तियों की संवहन राशि (हानि का शुद्ध)		**2,833.66**	**1,746.72**	**952.49**	**427.84**	**5,960.71**

ग: उच्च ऋण जोखिम

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

31 मार्च, 2022 के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
व्यापार प्राप्य	नोट –10	866.83	866.83	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट –7,13	28.23	28.23	-

31 मार्च, 2021 के अनुसार (लाख ₹ में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
व्यापार प्राप्य	नोट –10	807.24	807.24	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट –7,13	28.23	28.23	-

हानि प्रावधान का मिलान दृ व्यापार प्राप्तियां (उच्च और मध्यम जोखिम) (लाख ₹ में)

हानि भत्ते का मिलान	हानि भत्ता
1 अप्रैल, 2020 को हानि भत्ता	**2,009.45**
मान्यता प्राप्त हानि भत्ता (शुद्ध)	165.11
हानि भत्ते का उत्क्रमण (शुद्ध)	-
31 मार्च 2021 को हानि भत्ता	**2,174.56**
मान्यता प्राप्त हानि भत्ता (शुद्ध)	944.70
हानि भत्ते का उत्क्रमण (शुद्ध)	-
31 मार्च 2022 को हानि भत्ता	**3,119.26**

(ख) नकदी प्रवाह जोखिम

कंपनी की नकदी प्रवाह के प्रमुख स्रोत नकद और नकद समकक्ष हैं, जो संचालन के नकदी प्रवाह से उत्पन्न होते हैं। कंपनी के पास कोई बैंक से बकाया उधारी नहीं है। कंपनी का मानना है कि परिचालन से नकदी प्रवाह उसकी मौजूदा नकदी प्रवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाएं कंपनी की वित्तीय देनदारियों का उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण करती हैं। तालिका में प्रकट की गई राशियाँ संविदात्मक बिना छूट वाले नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के भीतर देय शेष

राशि उनके संवहन शेष के बराबर है, क्योंकि छूट का प्रभाव नगण्य है।

(लाख ₹ में)

31 मार्च, 2022 के अनुसार	नोट संदर्भ	एक तक वर्ष	एक वर्ष से अधिक	कुल
पट्टे की देयताएं*	नोट –18	1.50	3.41	4.91
देय व्यापार	नोट –20	43,230.81	-	43,230.81
बयाना राशि और सुरक्षा जमा	नोट –21	15,496.65	-	15,496.65
होल्डिंग कंपनी को देय राशि	नोट –21	59.57	-	59.57
बुक ओवरड्राफ्ट	नोट –21	234.30	-	234.30
अन्य देनदारियां		36,637.11	-	36,637.11
कुल		**95,659.95**	**3.41**	**95,663.36**

*पट्टा देयता की विस्तृत परिपक्वता प्रोफाइल के लिए नोट 46 देखें

31 मार्च, 2021 के अनुसार	नोट संदर्भ	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
पट्टे की देयताएं*	नोट –18	1.38	4.91	6.28
देय व्यापार	नोट –20	49,474.01	-	49,474.01
बयाना राशि और सुरक्षा जमा	नोट –21	17,742.89	-	17,742.89
होल्डिंग कंपनी को देय राशि	नोट –21	32.79	-	32.79
बुक ओवरड्राफ्ट	नोट –21	2,519.28	-	2,519.28
अन्य देनदारियां	नोट –21	36,637.11	-	36,637.11
कुल		**1,06,407.46**	**4.91**	**1,06,412.37**

(ग) बाजार जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम

अनारक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम

प्रतिवेदन की तिथि के रूप में अनियंत्रित विदेशी मुद्रा जोखिमों की विवरण (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
	राशि (लाख ₹ में)	विदेशी मुद्रा	राशि (लाख ₹ में)	विदेशी मुद्रा
व्यापार प्राप्य	601.53	MUR 3,59,37,858.76	402.68	MUR 2,24,43,304

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है, जो विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी जोखिम के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिचालन गतिविधियों (जब राजस्व या व्यय को विदेशी मुद्रा में दर्शाया जाता है) से संबंधित है। विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रतिलाभ या हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है।

मुद्रा संवेदनशीलता	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
भारतीय रुपया आईएनआर/एमयूआर– की वृद्धि हुई: (31 मार्च 2022 5%)	30.08	-

मुद्रा संवेदनशीलता	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
आईएनआर/एमयूआर– की कमी हुई: (31 मार्च 2022 5%)	(30.08)	-
आईएनआर/यूएसडी– की वृद्धि: (31 मार्च 2021 5%)	-	19.83
आईएनआर/यूएसडी– की कमी: (31 मार्च 2021 5%)	-	(19.83)

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखना

कंपनी किसी अन्य बाजार जोखिम के संपर्क में नहीं है।

नोट –45

पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैंरू

– एक लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रखने की उनकी क्षमता को सुरक्षित रखना, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और

– पूँजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह ऋण को कम करने के लिए शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि को समायोजित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, नए शेयर जारी कर सकता है, या संपत्ति बेच सकता है, (शुद्ध ऋण में उधार कम नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं)। उद्योग में अन्य लोगों के अनुरूप, कंपनी निम्नलिखित लाभ–देयता अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है।

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
इक्विटी शेयर पूंजी	180.01	180.01
अन्य इक्विटी	14,180.63	12,185.03
कुल इक्विटी	**14,360.64**	**12,365.04**

संबंधित वर्षों के अंत में कंपनी का कोई बकाया ऋण नहीं है। तदनुसार कंपनी का 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को शून्य पूंजी गियरिंग अनुपात है।

नोट–46

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 115 के तहत राजस्व मान्यता पर नोट

1.मान्यता प्राप्त राजस्व

राजस्व में मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्श के माध्यम से सेवा की बिक्री शामिल है। नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विघटन निर्धारित किया गया है:

वर्णन	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(क) सेवा की बिक्री		
(क) परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा	1,36,041.06	1,41,194.10
(ख) अन्य सहायक राजस्व		
(क) निविदा दस्तावेजों की बिक्री	24.82	12.62
कुल राजस्व	**1,36,065.88**	**1,41,206.72**

*कंपनी एकल खंड यानी सेवा की बिक्री– परियोजना प्रबंधन परामर्श संचालित करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकृति, राशि और समय के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से अलग–अलग राजस्व प्रस्तुत करती है: (लाख ₹ में)

क्र. सं.	स्वभाव द्वारा सेवाओं के प्रकार	अनुबंध प्रकार के अनुसार सेवाओं के प्रकार	समय के अनुसार सेवाओं के प्रकार	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
1	परियोजना प्रबंधन परामर्श	लागत प्लस अनुबंध	समय की अवधि में	1,36,041.06	1,41,194.10
				1,36,041.06	**1,41,194.10**

2. ग्राहकों के साथ अनुबंध से संबंधित परिसंपत्तियां और देनदारियां

निम्नलिखित तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्तियों, अनुबंध की संपत्ति और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है: (लाख ₹ में)

वर्णन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
	वर्तमान	वर्तमान
सेवा की बिक्री से संबंधित संविदा देनदारियां		
ग्राहकों से अग्रिम	2,46,032.00	2,56,216.26
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	5,790.39	6,257.41
	2,51,822.39	**2,62,473.67**
सेवा की बिक्री से संबंधित संविदा आस्तियां		
व्यापार प्राप्य	7,067.13	8,135.27
घटाएः अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	(3,119.26)	(2,174.56)
शुद्ध प्राप्य	**3,947.87**	**5,960.71**
बिना बिल वाला राजस्व	47,755.60	32,305.98
	51,703.47	**38,266.69**

एक प्राप्य विचार का अधिकार है, जो समय बीतने पर बिना शर्त हो जाता है। अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि पर मान्यता दी जाती है।

ग्राहकों के लिए बिलिंग किया जाना अनुबंध में परिभाषित मापदण्डों पर आधारित है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व निर्धारण का समय ग्राहकों को बिलिंग किए जाने के समय से अलग होगा। बिलिंग से अधिक राजस्व को बिल नहीं किए गए राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है, और इसे अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी भी राशि को पहले एक अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में संलग्न शर्त के अनुसार मान्यता प्राप्त है, अर्थात भविष्य की सेवा, जो बिलिंग मापदण्डों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तथा इन्हें इसकी संतुष्टि पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

मान्यता प्राप्त राजस्व से अधिक के चालान को अग्रिम रूप से प्राप्त राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अग्रिम रूप से प्राप्त राजस्व के रूप में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि को निर्माण अवधि के दौरान प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

3. अनुबंध देनदारियों के संबंध में मान्यता प्राप्त राजस्व

निम्न तालिका दर्शाती है कि वर्तमान प्रतिवेदन अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व का कितना हिस्सा अग्रेषित अनुबंध देनदारियों से संबंधित है। (लाख ₹ में)

वर्णन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
मान्यता प्राप्त राजस्व जिसे वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देनदारियों में शामिल किया गया था	90,367.45	79,446.32
पिछले वर्षों में प्रदर्शन दायित्वों को पूरा किया गया	-	-
कुल	**90,367.45**	**79,446.32**

4. अनुबंध परिसंपत्तियों और देनदारियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(लाख ₹ में)

अनुबंध देनदारियां – ग्राहकों से अग्रिम	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
अनुबंध देनदारियों का प्रारंभिक शेष – ग्राहकों से अग्रिम	2,60,455.90	2,11,985.83
घटाएं: अनुबंध देनदारियों को खोलने के खिलाफ मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि	(89,487.25)	(77,549.75)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए अनुबंध देनदारियों की शेष राशि में शुद्ध वृद्धि	75,063.35	1,26,019.82
अनुबंध देनदारियों का समापन शेष – ग्राहकों से अग्रिम	**2,46,032.00**	**2,60,455.90**

संविदा देनदारियां – अग्रिम में प्राप्त राजस्व	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
अनुबंध देनदारियों का प्रारंभिक शेष – अग्रिम में प्राप्त राजस्व	5,438.84	6,834.45
घटाएं: अनुबंध देनदारियों को खोलने के खिलाफ मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि	(880.20)	(1,896.56)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए अनुबंध देनदारियों की शेष राशि में शुद्ध वृद्धि	1,231.75	500.96
अनुबंध देनदारियों का समापन शेष – अग्रिम में प्राप्त राजस्व	**5,790.39**	**5,438.84**

अनुबंध परिसंपत्तियाँ – बिना बिल वाला राजस्व	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
अनुबंध परिसंपत्तियों का प्रारंभिक शेष – बिना बिल वाला राजस्व	32,305.98	14,675.81
घटाएं: अनुबंध परिसंपत्तियों को खोलने के खिलाफमान्यता प्राप्त राजस्व की राशि	(9,674.08)	(659.54)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए अनुबंध परिसंपत्तियों की शेष राशि में शुद्ध वृद्धि	25,123.71	18,289.70
अनुबंध परिसंपत्तियों का समापन शेष – बिना बिल वाला राजस्व	**(47,755.60)**	**(32,305.98)**

5. शेष निष्पादन दायित्व

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115 में दिए गए व्यावहारिक उपाय को लागू करते हुए, कंपनी ने अनुबंधों के लिए शेष प्रदर्शन दायित्व संबंधित प्रकटीकरण का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि मान्यता प्राप्त राजस्व सीधे इकाई के प्रदर्शन के ग्राहक के मूल्य से मेल खाता है, जो अब तक पूरा हुआ है। शेष प्रदर्शन दायित्व अनुमान परिवर्तन के अधीन हैं और कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे अनुबंधों के दायरे में परिवर्तन, आवधिक पुनर्वेधीकरण, समाप्ति और राजस्व के लिए समायोजन, जो उक्त तिथि तक अमल में नहीं आया है।

नोट–47

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 के तहत पट्टों पर नोट

उपयोग के अधिकार की संपत्ति की प्रकृति

क. पट्टे वाली भूमि में प्लॉट सं. ई–6ए, ई–13 और ई–14, सेक्टर–1, नोएडा, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को लीज डीड की तारीख से 90 साल की अवधि के लिए आवंटित किया गया है, जिसका मूल्य 1996 से शुरू होकर रु. 57.49 लाख और 2006 से रु. 389.16 लाख मूल्य का है ।

ख. कंपनी कार्यालय सुविधाओं को पट्टे पर देती है जिसका उपयोग कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। पट्टे की अवधि 3 वर्ष की है जिसमें पट्टेदाता और पट्टेधारक की आपसी सहमति से विस्तार करने का विकल्प है।

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार उपयोग के अधिकार की संपत्ति के लिए मूल्यह्रास शुल्क	6.41	6.41
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज	0.48	0.60
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय*	4.18	12.69
कुल खर्च	**11.07**	**19.70**

*लघु अवधि के पट्टों के खर्चों में 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए विभिन्न स्थल कार्यालयों के पट्टे शामिल हैं। ये पट्टा व्यवस्था, जो रद्द करने योग्य हैं, आम तौर पर आपसी सहमति से नवीकरणीय हैं।

पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
पट्टा देयताओं के खिलाफ नकद बहिर्वाह	1.86	1.86
अल्पावधि पट्टों के लिए नकद बहिर्वाह	4.18	12.69
कुल नकद बहिर्वाह	**6.04**	**14.55**

पट्टा देयता में आंदोलन

विवरण	(₹ लाखों में)
1 अप्रैल, 2020 तक शेष राशि	7.55
अतिरिक्त	
ब्याज में वृद्धि	0.60
हटाए गए	-
पट्टे की देयता का भुगतान	(1.86)
31 मार्च, 2021 के अनुसार शेष राशि	**6.29**
अतिरिक्त	-
ब्याज में वृद्धि	0.48
हटाए गए	-
पट्टे की देयता का भुगतान	(1.86)
31 मार्च, 2022 के अनुसार शेष राशि	**4.91**
गैर–वर्तमान	3.41
वर्तमान	1.50
31 मार्च, 2022 के अनुसार शेष राशि	**4.91**

पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1 वर्ष के भीतर	1.50
1–3 वर्ष	3.41
3 वर्ष से अधिक	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार शेष राशि	**4.91**

कंपनी को अपनी पट्टा देनदारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण नकदी जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान संपत्ति पट्टा देनदारियों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जब और जहाँ कहीं वे देय हो जाते हैं।

विस्तार विकल्प

जैसा कि पंजीकृत कार्यालय परिसर की संपत्ति के उपयोग के अधिकार की प्रकृति में वर्णित है, पट्टे की अवधि 3 वर्ष की है, जिसमें पट्टेदाता और पट्टेधारक की आपसी सहमति से विस्तार के विकल्प हैं। कंपनी का आकलन है कि वह वर्तमान प्रतिवेदन अवधि (अर्थात 31 मार्च, 2022) के अंत से तीन साल की अवधि के लिए ऐसे परिसर का उपयोग करेगी क्योंकि कार्यालय परिसर का उपयोग कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। इसलिए, विस्तार विकल्प की एक उचित निश्चितता है जिसे पट्टा देयता में शामिल किया गया है, जिसका नकद बहिर्वाह रु. 4.81 लाख हैं।पट्टा समझौते की वर्तमान दर के अनुसार इस विस्तार विकल्प का आगे प्रयोग किया गया है जिसका नकद बहिर्वाह रु. 1.86 लाख प्रति वर्ष होगा।

कंपनी ष्संपत्ति, संयंत्र और उपकरणष् और ष्अन्य वित्तीय दायित्व ष् के तहत पट्टा देयता में उपयोग के अधिकार प्रदान करती हैं ।

नोट –48

अनुपात

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु विश्लेषणात्मक अनुपात निम्नलिखित हैं

क्र.सं.	विशेष	अंश	हर	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21	टिप्पणियां	25: से अधिक विभिन्नता का कारण
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयता	1.02	1.01	समय में	
2	ऋण इक्विटी अनुपात			लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी पर कोई ऋण नहीं	
3	ऋण सेवा परिव्यास अनुपात			लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी पर कोई ऋण नहीं	
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात शुद्ध लाभ	औसत शेयरधार इक्विटी	18.84%	11.62%		अज्ञात बैंक पंजीकरण के लिए प्रावधान को वापस लिखने के कारण पूंजी पर रिटर्न 62% बढ़ाया गया है। (नोट– 50 देखे)
5	वस्तु सूची पण्यावर्त अनुपात			लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी में कोई सूची नहीं	
6	व्यापार प्राप्य पण्यावर्त अनुपात	सेवाओं के मूल्य के लिए राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	27.46	20.05	समय में	चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिक प्राप्तियों और अधिक प्रावधान के कारण व्यापार प्राप्य पण्यावर्त अनुपात में 37% की वृद्धि हुई है।
7	व्यापार देय पण्यावर्त अनुपात	कार्य और परामर्श व्यय	औसत व्यापार देय	2.80	2.19	समय में	वित्त वर्ष 2020–21 और 2021–22 में देय व्यापार के लिए अधिक भुगतान के कारण व्यापार देय पण्यावर्त अनुपात में 28% का सुधार हुआ है।
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	सेवाओं के मूल्य के लिए राजस्व	कार्यशील पूंजी	22.68	57.05	समय में	अज्ञात बैंक प्रविष्टि के प्रावधान को वापस लिखने के कारण शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात में 60% की कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयता में कमी आई है। (नोट–50 देखें)
9	शुद्ध लाभ अनुपात	कर पश्चात शुद्ध लाभ	सेवाओं के मूल्य के लिए राजस्व	1.85%	0.97%		अज्ञात बैंक प्रविष्टि के प्रावधान को वापस लिखने के कारण शुद्ध लाभ अनुपात में 91% की वृद्धि हुई है। (नोट–50 देखें)
10	नियोजित पूंजी पर वापसी	टैक्स से पहले कमाई	शेयरधारकों की इक्विटी	23.13%	15.19%		आरओसीई को अज्ञात बैंकिंग प्रवेश के लिए प्रावधान को वापस लिखने के कारण 52% तक बढ़ाया गया है, यह भी निवेशित पूंजी में वृद्धि के कारण कुछ हद तक प्रतिस्थापित किया जाता है। (नोट–50 देखे)
11	निवेश पर वापसी			लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया	

नोट–49

बंद की गई कंपनियों के साथ एचएससीसी का संबंध

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए तालिका

बंद कंपनियों का नाम	लेन–देन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन–देन	31.03.2022 को शेष राशि	बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध
केयर फार्मास्युटिकल्स लि.	देय	-	0.01	विक्रेता
पसरीचा सर्जिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.43	विक्रेता
सेवा मेडिकल लिमिटेड	देय	-	30.54	विक्रेता
	कुल	-	**30.98**	

वित्त वर्ष 2021–21 के लिए तालिका

बंद कंपनियों का नाम	लेन–देन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन–देन	31.03.2022 को शेष राशि	बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध
केयर फार्मास्युटिकल्स लि.	देय	-	0.01	विक्रेता
पसरीचा सर्जिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.43	विक्रेता
सेवा मेडिकल लिमिटेड	देय	-	30.54	विक्रेता
	कुल	-	**30.98**	

नोट–50

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी के खाते के लेन–देनों की जांच के दौरान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा 2926.07 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण लेन–देनों को नोटिस किया गया था, जिन्हें "संदिग्ध विश्वसनीयता के लेनदेन" कहा जा सकता है। इंड एएस–101 के अनुसार 01 अप्रैल, 2017 तक भंडार से 2926.07 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, क्योंकि लेनदेन वित्त वर्ष 2016–17 से पहले की अवधि से संबंधित है। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान फॉरेंसिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

कंपनी को अंतिम फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 19.04.2022 को प्राप्त हुई थी और ऐसी रिपोर्ट को क्रमशः 06.05.2022 और 19.05.2022 को लेखा परीक्षा समिति की बैठक और कंपनी की बोर्ड बैठक में रखा गया था। लेखा परीक्षा समिति और कंपनी के बोर्ड द्वारा इस तरह की रिपोर्ट का संज्ञान संदिग्ध विश्वसनीयता के महत्वपूर्ण लेनदेन के अनुसरण में है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 में कंपनी की बैंक बुक में देखे गए 2,926.07 लाख रुपये के थे, और लेखा परीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2018–2019 से संबंधित वित्तीय विवरणों पर अपनी ऑडिट राय अर्हता प्राप्त करने का कारण बना और उसके बाद जारी रखा गया, चूंकि "संदिग्ध विश्वसनीयता के लेनदेन" की अंतिम राशि ऐसे वर्ष (2020–21) तक निर्धारित नहीं की गई थी। फोरेंसिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों के आधार पर कि 490.07 लाख रुपये के अलावा किसी भी अतिरिक्त धोखाधड़ी का पता नहीं चला था। 490.07 लाख रुपये में से 248.55 लाख रुपये बैंक द्वारा एचएससीसी को लौटा दिए गए हैं। चूंकि यह बैलेंस शीट की तारीख के बाद होने वाली समायोजन घटना है और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय विवरणों पर प्रभाव डालती है, इसलिए, इंडएएस 10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं के अनुपालन में, आकस्मिकता का अतिरिक्त प्रावधान 2684.55 लाख रुपये इन वित्तीय विवरणों में वापस लिखा गया है और 241.52 रुपये की शेष राशि अभी भी प्रावधान में पड़ी हुई है क्योंकि इसे अभी तक बैंक से प्राप्त नहीं किया गया है।

नोट–51

बैंक सामंजस्य में बेजोड़ और अप्राप्य प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं, इसलिए बेजोड़ और अप्राप्य प्रविष्टियों का कंपनी के लाभ और हानि और तुलन पत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। फॉरेंसिक लेखा परीक्षक ने इस मामले के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट किए जाने के अलावा कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है। निम्नलिखित बैंकिंग खातों के संतुलन का प्रभाव वित्तीय वर्ष 2022–23 में लेखांकन किया जाएगा।

क्रमांक	बैंक का नाम	शाखा	परियोजना का नाम	खाता सं.
1	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	आयुष, नई दिल्ली	172502000000644
2	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	एचएससीसी बैंक खाता	172502000000151

नोट – 52

इंड एएस 8 के अनुसार प्रकटीकरण – 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन' और इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति'।

इंड एएस 8 'लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन' और इंड एएस 1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 और 1 अप्रैल, 2020 (शुरुआत में) के अनुसार अपनी बैलेंस शीट को पूर्वव्यापी रूप से पुनरू स्थापित किया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि की रिपोर्ट को नीचे दिए गए कारणों से पुनः संशोधित किया हैरू

कंपनी ने पिछले वर्षों के लिए राजस्व, व्यय और क्रमशः परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विचार करना छोड़ दिया है। अब कंपनी ने तुलनात्मक वर्ष यानी 31 मार्च, 2021 और तुलनात्मक अवधि की शुरुआत यानी 1 अप्रैल, 2020 की अपनी बैलेंस शीट को फिर से बहाल कर दिया है। इस बदलाव के परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है और पहले के वर्षों में व्यय में वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2021 के लिए लाभ और हानि के विवरण में लाभ की अधिक राशि को मान्यता दी गई है, और 01 अप्रैल, 2020 को या उससे पहले लाभ की अतिरिक्त राशि को 01 अप्रैल, 2020 को प्रतिधारित आय में मान्यता दी गई है, इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में भी वृद्धि हुई है, आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी आई है, अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियों में वृद्धि, मौजूदा प्रावध ाानों में वृद्धि और अन्य मौजूदा देनदारियों में कमी का भी परिणाम दिया है।

पुनर्निर्धारित बैलेंस शीट लेखांकन की कुछ व्यापक अवधारणाओं के साथ बेहतर प्रस्तुतिकरण प्रदान करता है, अर्थात परिसंपत्तियों और देनदारियों का अधिक सटीक प्रतिबिंब, लागत और राजस्व का बेहतर मिलान, भौतिक संपत्ति की लागत का अधिक सटीक आवंटन और इसलिए इकाई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर लेनदेन और शर्तों के प्रभावों के बारे में विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है।

वित्तीय विवरण लाइन मदों का मिलान जो पूर्वव्यापी रूप से पुनर्कथित हैं, निम्नलिखित हैं (व्यावहारिक सीमा तक):

31 मार्च, 2021 और 01 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की पुनर्निर्देशित बिंदुओं का संतुलनः

विवरण	नोट सं	31 मार्च, 2021 तक			01 अप्रैल, 2020 तक		
		जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	के रूप में बहाल	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः कहा गया है
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	8	1,927.21	(199.46)	1,727.75	2,311.26	(69.06)	2,242.20
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां: बिना बिल वाला राजस्व	13	15,446.69	16,859.29	32,305.98	9,415.82	5,259.99	14,675.81
कुल परिसंपत्तियां		17,373.90	16,659.83	34,033.73	11,727.08	5,190.93	16,918.01
अन्य इक्विटी	17	11,593.78	591.25	12,185.03	10,798.07	205.33	11,003.41
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां: अन्य देय	21	8,456.20	16,859.29	25,315.49	4,227.68	5,260.00	9,487.67
अन्य वर्तमान देनदारियां:	22	6,257.41	(818.57)	5,438.84	7,117.88	(283.43)	6,834.45
प्रावधान–वर्तमानः	23						

विवरण	नोट सं	31 मार्च, 2021 तक			01 अप्रैल, 2020 तक		
		जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	के रूप में बहाल	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः कहा गया है
लाभ संबंधी वेतन के लिए प्रावधान (पीआरपी)*		250.06	26.04	276.10	829.05	9.04	838.09
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड		14.64	1.83	16.47	-		-
कुल इक्विटी और देनदारियां		**26,572.09**	**16,659.84**	**43,231.93**	**22,972.68**	**5,190.93**	**28,163.61**

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण की पुनर्निर्देशित बिंदुओं का संतुलनः

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट संख्या	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः कहा गया है
राजस्व	24	1,29,059.67	12,134.43	1,41,194.10
काम और परामर्श व्यय	27	1,23,220.12	11,599.29	1,34,819.41
कर्मचारी लाभ व्यय– वेतन और प्रोत्साहन (पीआरपी व्यय)	28	3,132.24	17.00	3,149.24
अन्य व्ययरू सीएसआर व्यय	31	134.64	1.83	136.47
कर व्ययरू आस्थगित कर व्यय	33	379.63	130.40	510.03
टैक्स के बाद मुनाफा		982.40	385.91	1,368.31
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		995.53	385.91	1,381.44
प्रति शेयर कमाई				
बुनियादी और पतला	35	545.74	214.38	760.11

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के विवरण का सामंजस्यः (लाख ₹ में)

विवरण	नोट संख्या	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः कहा गया है
कर पश्चात शुद्ध लाभ		982.40	385.91	1,368.31
कर पर व्यय	33	379.63	130.40	510.03
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पहले परिचालन मुनाफा		1,301.90	516.31	1,818.22
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन (वर्तमान)		(5,991.64)	(13,262.16)	(19,254)
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन		(4,599.14)	11,599.30	7,000
प्रावधानों में परिवर्तन (वर्तमान)		(624.03)	18.83	(605)
अन्य वर्तमान देनदारियों में परिवर्तन		32,369.24	3,704.51	36,073.75

पुनर्कथन के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व में 12134.43 लाख रुपये की वृद्धि हुई है और व्यय में 11618.13 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। तदनुसार कर पश्चात लाभ पर शुद्ध प्रभाव 385.91 लाख रुपये बढ़ जाता है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में 16859.29 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, आस्थगित कर परिसंपत्तियों में 199.46 लाख रुपये की कमी आई है, अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियों में 16859.29 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, वर्तमान प्रावधान में 27.87 लाख

रुपये की वृद्धि हुई है और अन्य चालू देनदारियों में 31 मार्च, 2021 तक 818.57 लाख रुपये की कमी आई है।

01 अप्रैल, 2020 से पहले की अवधि के लिए पुनर्कथन के परिणामस्वरूप अन्य इक्विटी में 205.33 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में 5259.99 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, आस्थगित कर परिसंपत्तियों में 69.06 लाख रुपये की कमी आई है, अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियों में 5260 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, वर्तमान प्रावधान में 9.04 लाख रुपये की वृद्धि हुई है और 01 अप्रैल, 2020 तक अन्य वर्तमान देनदारियों में 283.43 लाख रुपये की कमी आई है।

नोट –53

कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

नोट–54

कोविड–19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताएं

कोविड–19 महामारी के प्रकोप और इसके परिणामस्वरूप प्रतिबंधोंध्प्रोटोकॉल ने कार्यबल की बाधित उपलब्धता और बाधित आपूर्ति श्रृंखला के कारण वित्त वर्ष 2021–22 के पहले दौर के दौरान नियमित व्यावसायिक संचालन को प्रभावित किया है। कंपनी ने तब से अपनी निर्माण–संबंधी सेवाओं को धीरे–धीरे फिर से शुरू किया है। कंपनी द्वारा किए गए आकलन के अनुसार कंपनी को कंपनी के कारोबार पर कोविड–19 के दीर्घकालिक प्रभाव की उम्मीद नहीं है। कंपनी को अपने संपत्ति संयंत्र और उपकरण अमूर्त परिसंपत्तियों के व्यापार प्राप्य या किसी अन्य संपत्ति आदि के मूल्यों को ले जाने पर कोविड–19 के किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

नोट–55

कंपनी के पास बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरूध्लंबित नहीं की गई है।

नोट–56

पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनरू समूहीकृत और ध या पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जहां कहीं आवश्यक हो, चालू वर्ष के समूहीकरण और/या वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक हैं। नकारात्मक आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं।

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एंड्रोस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्याः 008976N)

ह/–
पुनीत गुप्ता
साथी
सदस्यता संख्या 093714
स्थानः दिल्ली
दिनांकः 26.05.2021

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
(पवन कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष
(डीआईएनः 07698337)

ह/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : ACS-24442

ह/–
(सुरेश चंद्र गर्ग)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएनः 08684289)

ह/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
एफसीएमए सं.: 13771

एचएससीसी कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय :

205 (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा,

प्लॉट नंबर 4, डीडीए एलएससी – सेंटर – II,

वसुंधरा एन्क्लेव,

दिल्ली – 110096

कॉर्पोरेट कार्यालय :

ई–6(ए), सेक्टर–1,

नोएडा–201301 (उ.प्र.)

परियोजना–सह–साइट कार्यालयः

मॉरीशस

फ्लैक टीचिंग हॉस्पिटल,

बेले वू एलेंडी, कॉन्स्टेंस,

फ्लैक जिला, 406601 मॉरीशस

राजस्थान

मकान नंबर ए–399,

वैशाली नगर, जयपुर, (राजस्थान)

पिन–302021

प्रमुख साइट कार्यालयः

राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, एम्स झज्जर,

100 बिस्तरों वाला अस्पताल, ईएसआईसी, सिलीगुड़ी

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों का पुनर्विकास, नई दिल्ली

एम्स, नई दिल्ली में नर्सिंग कॉलेज का उन्नयन – आरएके, दिल्ली न्यू पेड वार्ड

एम्स, रायबरेली

एम्स, नई दिल्ली में सर्जिकल ब्लॉक

एम्स, नई दिल्ली में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक

पीजीआईएमईआर, डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली के लिए रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए हॉस्टल ब्लॉक

एनआरएचएम–उत्तर प्रदेश, एनआरएचएम–केरल

न्यूरोसाइंसेज, निमहंस, बैंगलोर में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण

पीजीआई चंडीगढ़ में न्यूरोसाइंस ब्लॉक।

राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद।

नए एम्स, भुवनेश्वर के लिए आवासीय और छात्रावास परिसर

यूजी सीटों पर रिम्स, इंफाल से 100 से 150 प्रवेश प्रतिवर्ष

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चंद्रपुर – महाराष्ट्र

पीएमएसएसवाई उन्नयन चरण III परियोजनाएँ–.

– बेरहामपुर
– बुर्ला
– डिब्रूगढ़
– शिमला
– पणजी (गोवा)

न्यू एम्स में–

– नागपुर (महाराष्ट्र)
– कल्याणी (पश्चिम बंगाल)
– गुंटूर (एपी)
– राजलकोट (गुजरात)

मिजोरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, फाल्कन, मिजोरम

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी

ई–6 (ए), सेक्टर 1, नोएडा – यूपी – 201301
दूरभाष. – 91–120–2542436–40 | फैक्स – 91–120–2542447 | ईमेल – hsccltd@hsccltd.co.in
वेबसाइट: www.hsccltd.co.in | सीआईएन नंबर: U74140DL1983GOI015459

एमजीटी–11: प्रॉक्सि प्रपत्र

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार)

नाम

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सीआईएन:
कंपनी का नाम:
पंजीकृत कार्यालय:

मैं/हम ..... का सदस्य होने के नाते, ... शेयर धारित करता हूं, एतद्वारा नियुक्त करता हूं

सदस्य (सदस्यों) का नाम: .....
.....
पंजीकृत पता: .....
.....
ईमेल आईडी: ..... फोलियो नंबर / क्लाइंट आईडी: .....
डीपी आईडी: .....

1. नाम: .....-
   पता:
   ई–मेल आईडीरू
   हस्ताक्षर: ....., या उसके विफल होने पर
2. नाम: .....-
   पता:
   ई–मेल आईडी:
   हस्ताक्षर: .....,

27 सितंबर, 2022 को एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड में आयोजित होने वाली कंपनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक में मेरेध्हमारे लिए और मेरीध्हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए मेरेध्हमारे प्रॉक्सी के रूप में, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, और उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे प्रस्तावों के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैरू

संकल्प संख्या

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 100ध्– रु. प्रति 288 रुपये प्रति पेड अप इक्विटी शेयर रुपये का अंतिम लाभांश घोषित करना।
3. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
4. कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. दीपक सिंह भाकर (डीआईएन 08568480) की नियुक्ति को नियमित करना।

2014 का ..... दिन हस्ताक्षर किए गए
शेयरधारक के हस्ताक्षर
प्रॉक्सी धारक (धारकों) के हस्ताक्षर

नोट: प्रॉक्सी का यह रूप प्रभावी होने के लिए बैठक शुरू होने से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत रूप से पूरा और जमा किया जाना चाहिए।

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी

ई–6 (ए), सेक्टर 1, नोएडा – यूपी – 201301
दूरभाष. – 91–120–2542436–40 | फैक्स – 91–120–2542447 | ईमेल – hsccltd@hsccltd.co.in
वेबसाइट: www.hsccltd.co.in | सीआईएन नंबर: U74140DL1983GOI015459

उपस्थिति पर्ची

कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरें और इसे हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

पंजीकृत फोलियो नं. _____/डीपी आईडी _____ क्लाइंट आईडी/लाभार्थी खाता सं. _____ धारित शेयरों की सं._____

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के लिए एक पंजीकृत शेयरधारकध्प्रॉक्सी हूं और कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक में मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

_____ _____ सदस्य/प्रॉक्सी का नाम बड़े अक्षरों में सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर नोटः

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नोट्स

नोट्स

ह. स. कं. क.
HSCC
एक मिनीरत्न कंपनी

कारपोरेट कार्यालय :
ई–6, (ए), सैक्टर–1, नोएडा–203 301 (उ0प्र0)
फोन : 91–120–2542436–40
फैक्स : 91–120–2542447
ईमेल : hsccltd@hsccltd.co.in

पंजीकृत पता :
205 (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा,
प्लॉट नं. 4, एलएससी, सेंटर–II
वसुंधरा एनक्लेव,
नई दिल्ली–110096 (भारत)

Designed & Printed by Paromita Advertising Agency Pvt. Ltd.